खण्ड १ — अंक १०
२ मार्च, १९५६, (शुक्रवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १ — प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(XII Session)

(खण्ड १ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

चार आने या २५ नये पैसे (देश में)

एक शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

(खण्ड १—अंक १ से २०—१७ फरवरी से १५ मार्च, १९५६ तक)

अंक १—शुक्रवार, १७ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४१ से ४६, ४८ से ५३, ५५ से ६० — १–२१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ — २१–२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १ से २८, ३० से ४०, ४७, ६१ से ७२ — २३–४०

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २९ — ४०–४८

दैनिक संक्षेपिका ... — ४९–५२

अंक २—सोमवार, २० फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७३ से ७६, ७८, ७९, १०१, ८०, ८२ से ८५, ८७ से ९१ ... — ५३–७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७७, ८६, ९२ से १००, १०२ से १०७ — ७४–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३० से ४८ — ७९–८४

दैनिक संक्षेपिका — ८५–८६

अंक ३—मंगलवार, २१ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०८, ११०, १११, ११३, ११५, ११६, ११८, १२१ से १२६ और १२८ से १३१ — ८७–११०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०९, ११२, ११४, ११७, ११९, १२०, १२७, १३२ से १३४, १३६ से १४० और १४२ से १४९ — ११०–१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९ से ५५, ५७ से ६४ — ११७–२२

दैनिक संक्षेपिका — १२३–२४

पृष्ठ

अंक ४--बुधवार, २२ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५० से १५३, १५५, १५६, १६२ से १६८, १७१ से १७४, १७६, १७७, १७९ से १८२, १५४ और १६० १२५–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५७ से १५९, १६१, १६९, १७० और १७८ ... ... १४७–४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५ से ८१ १४९–५५

दैनिक संक्षेपिका १५६–५७

अंक ५--गुरुवार, २३ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८४ से १९५, १९७, २०७ से २१० और १८३ ... ... १५८–७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९६, १९८ से २०१ ... १७९–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ८२ से ९४ ... १८०–८४

दैनिक संक्षेपिका ... १८५–८६

अंक ६--शुक्रवार, २४ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २११ से २१५, २१८ से २३०, २३४ से २३८ ... ... १८७–२०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१६, २१७, २३१ से २३३, २३९ से २४५ ... ... २०९–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९५ से १०८ २१२–१६

दैनिक संक्षेपिका २१७–१८

अंक ७--मंगलवार, २८ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २८५ से २९६, २९८ से ३०१, ३०४, ३०६, ३१२, ३०८ से ३११ ... ... २१९–४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २४६ से २८४, २९७, ३०२, ३०३, ३१३ से ३१५, ३१७, ३१८, ८१ २४०–५३

अतारांकित प्रश्न संख्या. १०८ से १६७ २५३–७६

दैनिक संक्षेपिका २७७–८०

पृष्ठ

अंक ८—बुधवार, २९ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३१९ से ३२२, ३२४ से ३२७, ३२९, ३३०, ३३२, ३३४, ३३६ से ३३९, ३४३ से ३४७, ३४९ २८१–३०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३२३, ४२८, ३३१, ३३३, ३३५, ३४० से ३४२, ३४८, ३५० से ३६९ ... ३०३–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या १६९ सें १८६ ३१२–१७

दैनिक संक्षेपिका ३१८–१९

अंक ९—गुरुवार, १ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३७० से ३७२, ३७४ से ३७८, ३८१, ३८२, ३८४, ३८६ से ३९२ ३२०–४२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ ३४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३७३, ३७९, ३८०, ३८३, ३८५, ३९३ से ३९९ ३४२–४६

अतारांकित प्रश्न संख्या १८७ से २०७ ३४६–५३

दैनिक संक्षेपिका ३५४–५५

अंक १०—शुक्रवार, २ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४०० से ४०३, ४०५, ४०६, ४०८, ४०९, ४११, ४१२, ४१४, ४१५, ४१७, ४१९, ४२१ से ४२४, ४२७, ४२८ ... ३५६–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४०४, ४०७, ४१०, ४१३, ४१६, ४१८, ४२०, ४२५, ४२६ ... ३७७–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २०८ से २२९ ३७९–८४

दैनिक संक्षेपिका ३८५–८६

पृष्ठ

अंक ११—शनिवार, ३ मार्च, १९५६

प्रश्न का मौखिक उत्तर

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ ३८७–८९

दैनिक संक्षेपिका ३९०

अंक १२—सोमवार, ५ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४३३ से ४३७, ४३९, ४४०, ४४२ से ४४४, ४४६, ४४८ से ४५०, ४५२ से ४५४, ४६१, ४६३ से ४६५, ४६७ ... ३९१–४१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४२९ से ४३२, ४३८, ४४१, ४४५, ४४७, ४५५ से ४५९, ४६२, ४६६ और ४६८ से ४७२ ४१२–१८

अतारांकित प्रश्न संख्या २३० से २५३ ४१८–२४

दैनिक संक्षेपिका ४२५–२७

अंक १३—मंगलवार, ६ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४७४, ४७६ से ४८१, ४८३, ४८५, ४८८ से ४९०, ४९२ से ४९४, ४९६, ४९८, ४९९, ५०२, ५०५, ५०७ और ५०८ ४२८–५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४७३, ४७५, ४८२, ४८४, ४८६, ४८७, ४९१, ४९५, ४९७, ५००, ५०१, ५०३, ५०४, ५०६, ५०९ से ५३० ... ... ४५०–६०

अतारांकित प्रश्न संख्या २५४ से २९९ ४६०–७८

दैनिक संक्षेपिका ४७९–८१

अंक १४—बुधवार, ७ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५३३, ५३५, ५३६, ५३९, ५४०, ५४२, ५४४, ५४६, ५४७, ५५२ से ५५४, ५५६, ५५८, ५६०, ५२१, ५३७, ५३८... ... ४८२–५०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ५३२, ५३४, ५४१, ५४५, ५४८, ५४९, ५५१, ५५५ ५०१–०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०० से ३१९ ५०३–१०

दैनिक संक्षेपिका ... ५११–१२

अंक १५—गुरुवार, ८ मार्च, १९५६

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा पदत्याग ५१३

अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति ५१३

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५६१, ५६३ से ५६५, ५६७, ५६८, ५७१, ५७२, ५७३, ५७५, ५७६, ५८२, ५८५, ५८७, ५७० और ५८४ ५१३–२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५६२, ५६६, ५६९, ५७४, ५७७ से ५८१, ५८३, ५८६ और ५८८ ५२९–३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२० से ३२५ ५३३–३४

दैनिक संक्षेपिका ५३५–३६

अंक १६—शुक्रवार, ९ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५९० से ५९४, ५९९ से ६०१, ६०४ से ६०६, ६०८ से ६१०, ६१३ से ६१६, ५८९, ६०२, ६०३ और ६०७ ५३७–५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५९५ से ५९८, ६११, ६१२ और ६१७ ५५८–५९

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२६ से ३४६ ५५९–६५

दैनिक संक्षेपिका ५६६–६७

अंक १७—सोमवार, १२ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६२०, ६२३, ६२४, ६२६, ६२८, ६३०, ६३२, ६३४ से ६३६, ६३८ से ६४५, ५५९, ६२१ ५६८–८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६१८, ६२२, ६२५, ६२७, ६३१, ६३३, ६३७ ... ... ५८९–९१

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४७ से ३६२ ५९१–९७

दैनिक संक्षेपिका ५९८–९९

पृष्ठ

अंक १८—मंगलवार, १३ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६४६, ६४९, ६५०, ६५३, ६५२, ६५५, ६५६, ६५८, ६६०, ६६१, ६६३ से ६६५, ६६७ से ६७४ और ६७६ से ६७९ ६००–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६४७, ६४८, ६५१, ६५४, ६५७, ६५९, ६६२, ६६६, ६७५ और ६८० ६२१–२३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ से ३७९ ६२३–२८

दैनिक संक्षेपिका ६२९–३०

अंक १९—बुधवार, १४ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६८२, ६८४ से ६८७, ६८९, ६९१ से ६९३, ६९८ से ७०३, ७०७ से ७०९, ६८३, ६८८, ६८१, ६९५ ... ... ६३१–५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६९०, ६९४, ६९६, ६९७, ७०४ से ७०६ और ७१० ... ... ६५२–५५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८० से ४०८ ... ६५५–६४

दैनिक संक्षेपिका ६६५–६६

अंक २०—गुरुवार, १५ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७११ से ७१४, ७१६ से ७२०, ७२२, ७२३, ७२५ से ७२९, ७३१, ७३४, ७३२, ७१५, ७२१ और ७२४ ... ... ६६७–८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७३३ ... ६८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०९ से ४१८ ६८६–९०

दैनिक संक्षेपिका ... ६९१

M20LSD—190—7-3-58—GIPF.

लोक-सभा

शुक्रवार, २ मार्च, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पैप्सू में हडाया की खुदाई

†*४००. **श्री झूलन सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पैप्सू में हडाया नगर के भूमि में धंसने के कारणों को मालूम करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने खुदाई के सम्बन्ध में २५,००० रुपये नियत किये हैं;

(ख) खुदाई के परिणाम क्या हैं; और

(ग) क्या यह नगर अभी भी भूमि में धंस रहा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख) जी, नहीं। परन्तु राज्य सरकार द्वारा खुदाई का कुछ कार्य किया गया है। नगर के एक भाग के भूमि में धंसने के निम्न कारण बताये जाते हैं :

(१) एक पूर्वतर बस्ती के ऊपर नरम मिट्टी की तहें जमी हुई थीं और इस मिट्टी के एक टीले पर नगर का एक भाग स्थित था। वह भाग धंस गया;

(२) छिपने के स्थानों और तहखानों के रूप में पोले स्थानों का होना जो समय बीतने के साथ-साथ गिर गए हैं;

(३) हाल की बाढ़ के कारण पैदा हुई सील में वृद्धि और भूमि के नीचे के जल का स्तर ऊंचा होना जिसने भूमि की सहन शक्ति को कम कर दिया है।

(ग) यह ख्याल किया जाता है कि घरों में दरारें पड़ने और उनके भूमि में धंसने की इक्का दुक्का घटनायें अभी तक हो रही हैं।

†**श्री झूलन सिंह** : कुछ व्यक्तियों के मरने और घरों के धंसने के कारण नगर में अभी तक फैली हुई दहशत को देखते हुए क्या सरकार ने नगर को किसी और उपयुक्त स्थान पर बदलने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

†**श्री दातार** : राज्य सरकार नगर को किसी अन्य स्थान पर ले जाने की वांछनीयता पर विचार कर रही है; परन्तु जहां तक मेरी जानकारी है किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री झूलन सिंह** : मैं माननीय मंत्री को स्मरण कराना चाहता हूं कि कुछ समय पहले एक प्रश्न के उत्तर में लोक-सभा में ही बताया गया था कि दो व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।

†**श्री दातार** : जो कुछ मैंने कहा है यदि वह गलत है तो उसे ठीक किया जा सकता है।

†**श्री पी० सी० बोस** : वहां पर भूमि के नीचे की इस स्थिति की जांच करने के लिये क्या भारत के भूतत्वीय सर्वेशक्ष विभाग द्वारा खुदाई की कोई कार्यवाही की गई है ?

†**श्री दातार** : जैसा कि मैंने कहा है, राज्य सरकार खुदाई का कार्य कर रही है। मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि यह विशिष्ट स्थान नगर के कुल भाग का मुश्किल से ८ प्रतिशत भाग है।

उत्तर प्रदेश में खनिजों की खोज

*४०१. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-तत्वीय सर्वेक्षण विभाग उत्तर प्रदेश में खनिजों की खोज करने के काम में लगा हुआ है;

(ख) क्या राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में खनिजों के निक्षेप जैसे कि तांबा आदि का पता लगा है; और

(ग) यदि हां, तो किस स्थान पर और किस परिमाण में ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). उपलब्ध जानकारी विवरण पत्र के रूप में सभापटल पर प्रस्तुत की जाती है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १]**

श्री भागवत झा आजाद : उत्तर प्रदेश में जो सर्वेक्षण किया गया है, यह सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही किया गया है या यह किसी बृहत् योजना का भाग है और पूरे देश भर में किया जा रहा है और यदि और कहीं किया जा रहा है तो किस भाग में किया जा रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं, ऐसे खनिज पदार्थों के लिये जहां जानकारी प्राप्त होती है, प्रारम्भिक तौर पर वहां इस तरह की कुछ खोज-बीन कर ली जाती है। अलमोड़ा और गढ़वाल जिले में कुछ तो पहले हमें मालूम था। वहां पर हमने कुछ और जानकारी हासिल भी की है और अब के कार्यक्रम उसकी और ज्यादा तफसील में जांच पड़ताल करने का काम शामिल कर लिया है।

श्री भागवत झा आजाद : यह जो तांबा और ग्लास उत्तर प्रदेश के सर्वेक्षण में पाया गया है, उसके बाद क्या आपका मंत्रालय स्वयं उसकी खुदाई का कार्य करना चाहता है या यह काम किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहता है ? आपके कार्य का रूप क्या होगा ?

श्री के० डी० मालवीय : हमारे मंत्रालय का कार्य यह है कि हम ऐसे खनिज पदार्थों की खोजबीन करें और जब खोजबीन हो जाय तो उसको पत्र में प्रकाशित कर दें और अपने यहां के रेकार्ड में रख लें। अगर इसके बाद प्रादेशिक सरकार उस कार्य को करना चाहेगी या कोई प्राइवेट पार्टी उस काम को करना चाहेगी तो जितनी भी जानकारी हमारे पास होगी हम उसे दे देंगे।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि जो तांबा यहां पाया जायगा, उसको खदान से खोद कर तांबे के रूप में परिवर्तित करने में कितना व्यय पड़ेगा और क्या यह एकोनामिक होगा ? तांबे के अलावा और कौन-कौन से खनिज पदार्थ मिले हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक तांबे का सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में कोई बहुत तफसील से जांच पड़ताल नहीं हुई है। अब के कार्यक्रम में हमने उस काम को शामिल कर लिया है। यह कहना अभी कब्ल-अज-वक्त होगा कि उसका एकोनामिक एक्सप्लायटेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है।

श्री बी० डी० पांडे : क्या मैं जान सकता हूं कि यह सर्वे रिपोर्ट छप गई है या नहीं और इसे केन्द्रीय सरकार ने छपवाया है या प्रांतीय सरकार ने छपवाया है ?

श्री के० डी० मालवीय : अभी नहीं छपी है। हमारी सरकार ने उसकी प्रारम्भिक रिपोर्ट तो छाप दी है और अब सर्वे हुआ है उसके अनुसार तफसीली अन्वेषण चल रहा है। जब पूरी तफसील के साथ जांच पड़ताल का काम पूरा हो जायगा तब आगे की रिपोर्ट प्रकाशित हो जायगी।

श्री बी० डी० पांडे : क्या उस रिपोर्ट की कापियां उपलब्ध हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां उपलब्ध हैं।

†**श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या मैं इन इकाइयों (यूनिट्स) की संख्या जान सकता हूं और क्या ये सभी इकाइयां सारे देश में कार्य कर रही हैं ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** माननीय सदस्य किस इकाई की चर्चा कर रहे हैं।

†**श्री बी० एस० मूर्ति :** खनिजों की खोज की इकाइयां। ऐसी कितनी इकाइयां हैं ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** देश में खोज सम्बन्धी और सर्वेक्षण की सैकड़ों इकाइयां (यूनिट्स) हैं, मैं कह नहीं सकता कि माननीय सदस्य का संकेत किस इकाई (यूनिट) की ओर है।

†**श्री केशव आय्यंगार :** क्या यह सच है कि सरकार ने निर्णय किया है कि ····

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मेरे विचार में माननीय सदस्य प्रश्न संख्या ४०२ की चर्चा कर रहे हैं। क्या ऐसा ही है ? तब उन्हें वह प्रश्न पूछना चाहिये।

†**श्री केशव आय्यंगार :** मैं इस पर एक प्रश्न पूछना चाहता था।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैंने माननीय सदस्य से अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या ४०२ पूछने के लिये कहा है। इस का सम्बन्ध उत्तर प्रदेश से है। यदि यह दक्षिण प्रदेश के सम्बन्ध में है तो वह पूछ सकते हैं।

†**श्री केशव आय्यंगार :** आपकी अनुमति से मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि सरकार ने वर्तमान खानों, जैसे कि मैसूर की सोने की खानों के राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाने का निर्णय किया है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** इस प्रश्न से यह बात उत्पन्न नहीं होती।

†**श्री के० डी० मालवीय :** धन्यवाद, श्रीमान्।

एम० ई० एस० के कर्मचारी

†*४०२. **श्री केशव आय्यंगार :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एम० ई० एस० के असैनिक कर्मचारियों और सरकार के बीच औद्योगिक झगड़ों के निबटारे के लिये एक वार्ता-अभिकरण (नैगोशियेटिंग मैशिनरी) की स्थापना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह कार्य कर रहा है; और

(ग) उसके परिणाम क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) रक्षा संस्थाओं में असैनिक कर्मचारियों और

†मूल अंग्रेजी में

सरकार के बीच औद्योगिक झगड़ों के निपटारे के लिये एक वार्ता-अभिकरण (नैगोशियेटिंग मैशिनरी) स्थापित किया गया है जिसमें एम० ई० एस० के असैनिक कर्मचारी भी शामिल हैं।

(ख) जी हां।

(ग) कुछ मामलों में इसने बातचीत द्वारा झगड़ों का निपटारा करना सुविधाजनक बनाया है।

†**श्री केशव आय्यंगार** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विभिन्न कर्मचारियों के सम्बन्ध में निर्णय की बातें बहुत सी हैं और बैठकें बहुत कम हुई हैं। और उत्तर अभिकरण (मैशिनरी) कार्यकरण के ढंग को सुकर प्रभावशाली और अधिक दक्ष बनाने के लिये क्या सरकार एम० ई० एस० कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से स्वतंत्र रूप से भेंट करना पसन्द करेगी।

†**सरदार मजीठिया** : जब कभी भी श्रमिक बातचीत के लिये सरकार से कहते हैं तब सदैव बैठकें बुलाई जाती हैं। और यदि हम यह देखेंगे कि इससे आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तो निश्चय ही हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या यह सच है कि अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ ने, जो कि रक्षा मंत्रालय में एक ही संघ है, यह शिकायत की है कि बैठकें इतनी कम होती हैं और बैठक की कार्यावलि इतनी लम्बी होती है कि मंत्रालय के लिये सभी वाद-प्रश्नों पर बातचीत करना संभव नहीं हो सका है? क्या मैं पूछ सकता हूं कि १९५५ में इस वार्ता-अभिकरण की कितनी बैठकें हुई थीं।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (डा० काटजू)** : जब कभी भी आवश्यक हुआ बैठकें बुलाई गई थीं और जब कभी भी बातचीत के लिये कोई प्रश्न होता है बैठक बुलाने का प्रबन्ध किया जाता है।

†**श्री वेलायुधन** : इस अभिकरण द्वारा इस समय तक एम० ई० एस० कर्मचारियों से सम्बन्धित झगड़े की ऐसी कितनी बातों का निपटारा किया गया है जिनकी सूचना संघ द्वारा दी गयी थी ····

†**डा० काटजू** : मुझे प्रश्न की पूर्व सूचना चाहिये।

†**श्री वेलायुधन** : उनमें से कितने अभी तक लम्बित हैं और वे महत्वपूर्ण वाद प्रश्न क्या हैं जो अभी तक लम्बित हैं।

†**डा० काटजू** : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

अधिकतम आय

†*४०३. **श्री डाभी** : क्या **वित्त** मंत्री २३ नवम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कर जांच आयोग की सिफारिशों के अनुसार अधिकतम वैयक्तिक आय नियत करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कब तक निर्णय किये जाने की आशा है?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : आय और धन में असमानताओं को कम करने की वांछनीयता को सरकार ने सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है और समय-समय पर इस उद्देश्य के हेतु समुचित राजकोषीय कार्यवाहियां की गई हैं और की जायेंगी। इसलिये किसी विशिष्ट तारीख को इस विषय पर निर्णय की घोषणा किये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री डाभी** : क्या हम जान सकते हैं कि लगभग कितने समय में कोई निर्णय कर लिया जायेगा?

†**श्री बी० आर० भगत** : इस सम्बन्ध में कोई एक निर्णय नहीं हो सकता है। इसमें, जैसा कि पिछले आय व्यय में थी, राष्ट्रीयकरण की कार्यवाहियां, सम्पदा शुल्क आदि जैसी अनेक कार्यवाहियां—राजकोषीय या अन्य सकारात्मक कार्यवाहियां—अन्तर्ग्रस्त हैं जिनके द्वारा आप में असमानता कम की जायगी। इसके लिये दिन प्रतिदिन कार्य हो रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या सरकार हमें बतायेगी कि जब भूमि की उच्चतम सीमा निश्चित कर दी जायगी तब एक कृषक और एक अकृषक की आय में कितना अन्तर होगा ?

†**श्री बी० आर० भगत** : यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह प्रश्न उत्पन्न होगा ।

पंडित सी० एन० मालवीय : क्या मैं जान सकता हूं कि अभी तक कौन-कौन से मेजर्स (विधान) पास किये जा चुके हैं और अगले साल में कम से कम कितने मेजर्स (विधान) और लाये जाने वाले हैं ? क्या इस तरह के मेजर्स (विधान) की कोई योजना तैयार है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सारी बात पर विचार किया जा रहा है ।

†**पंडित सी० एन० मालवीय** : उपमंत्री ने कहा था कि कुछ कार्यवाहियां की गई हैं और कुछ की जायेंगी । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कार्यवाहियां की जा चुकी हैं और भविष्य में क्या की जायेंगी ।

†**श्री बी० आर० भगत** : जो कार्यवाहियां की जा चुकी हैं वे सभी को मालूम हैं । पिछले वर्ष निजी आय पर कर की दर में वृद्धि की गई थी । इस वर्ष भी ऊंची आय पर कर में वृद्धि की गई है । बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया है और अन्य सकारात्मक कार्यवाहियां हैं जैसे राजकोषीय नीति, छोटे पैमाने के उद्योग आदि । ये सभी कार्यवाहियां हैं । इसीलिये मैंने माननीय सदस्यों से द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्रतीक्षा करने के लिये कहा था जिसमें ये सभी ब्यौरा दिया जायगा ।

†**चौ० रणवीर सिंह** : क्या यह सच है कि अधिकतम कृषि आय अन्य साधनों की न्यूनतम आय से कम है ?

†**श्री बी० आर० भगत** : मैं प्रश्न समझ नहीं सका ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या कोई एसा निर्णय किया गया है जिसमें अधिकतम कृषि आय को न्यूनतम अकृषि आय से काफी कम नियत किया गया हो ?

†**श्री बी० आर० भगत** : ऐसी कोई उच्चतम सीमा नियत नहीं की गई है ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि एक व्यक्ति की कम से कम और अधिक से अधिक आय क्या है ?

श्री बी० आर० भगत : एक व्यक्ति की आय नैशनल इनकम कमेटी की रिपोर्ट में मौजूद है ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : नैशनल इनकम या ऐवरेज इनकम नहीं, एक व्यक्ति की कम से कम इनकम ?

†**श्री भागवत झा आजाद** : माननीय मंत्री ने कितनी ही कार्यवाहियां गिनवायी हैं । जब इन सभी कार्यवाहियों को लागू किया जायेगा तब क्या मैं जान सकता हूं कि कृषि-आय और अकृषि-आय में कितना अन्तर कम हो जायगा और कितना शेष रह जायगा ?

†**श्री बी० आर० भगत** : कृषि आय और अकृषि-आय के बीच सम्बन्ध का प्रश्न यहां नहीं उठता । कृषकों तथा अकृषकों दोनों के लिये अधिकतम आय निश्चित की जानी चाहिये । यह बात अधिक महत्वपूर्ण है ।

†**श्री डाभी** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि वास्तव में अधिकतम आय कब निश्चित की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बी० आर० भगत** : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका इस प्रकार उत्तर नहीं दिया जा सकता । यह केवल तभी हो सकता है जब आय व्यय या द्वितीय पंचवर्षीय योजना जैसी महत्वपूर्ण चीजों पर विचार किया जाये ।

अन्दमान द्वीपसमूह के वन

†*४०५. **श्री इब्राहीम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान और निकोबर-द्वीप में कुल कितने क्षेत्र में वन हैं ;

(ख) भविष्य में वहां बसने वालों के लाभ के लिये क्या सरकार का वन क्षेत्र की अग्रतर सफ़ाई के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) इन द्वीपों में कितने परिवार बसाये जा सकते हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) अन्दमान द्वीप.....२,३६३ वर्गमील ।

निकोबर द्वीप.....५२९.६ वर्ग मील ।

(ख) जी, हां ।

(ग) ४,००० परिवार ।

†**श्री इब्राहीम** : जिन परिवारों को भूमि दी जायेगी उनकी कुल संख्या क्या है ?

†**श्री दातार** : वे अधिकांशत: पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए परिवार हैं । जहां तक परिवारों की कुल संख्या का सम्बन्ध है, अब तक १,०२० परिवारों को बसाया जा चुका है । और ६०० परिवारों को बसाने की हमें आशा है । इससे परिवारों की कुल संख्या १,६०० हो जायेगी ।

†**श्री इब्राहीम** : भूमि विकास कार्य पर अब तक कितनी रकम खर्च की जा चुकी है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितनी रकम नियत की गई है ?

†**श्री दातार** : मेरे पास यहां पर ये आंकड़े नहीं हैं ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : अन्दमान में वनों से कुल कितनी आय होती है ?

†**श्री दातार** : वनों से कुल आय ९२·८० लाख रुपये होती है ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : वे क्षेत्र कौन से हैं जहां पर वनों को साफ करने का विचार है ?

†**श्री दातार** : उत्तर में और मध्य वर्ती क्षेत्रों में ।

†**श्री वेलायुधन** : वहां पर त्रावणकोर-कोचीन या दक्षिणी भारत के अन्य भागों से जो लोग बसने के लिये गए हैं उनमें से बहुत से व्यक्ति क्या मलेरिया आदि की कठिन स्थितियों के कारण वापिस आना चाहते हैं ? क्या गृह-कार्य मंत्रालय के पास कोई प्रार्थना पत्र आया है ?

†**श्री दातार** : मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि त्रावणकोर-कोचीन के लोग वहां पर जाने के इच्छुक थे । बहुत से परिवार वहां जा चुके हैं और यही कारण है कि उनके मामले में हमने विचलन किया है ।

†**श्री वेलायुधन** उठे—

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं एक ही सदस्य द्वारा सैंकड़ों प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता । श्री नम्बियार ।

†**श्री नम्बियार** : क्या जो लोग वहां पर पहले बसने गये थे उन्होंने यह मांग की है कि इस बात को देखते हुए कि उनके परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ गई है, उन्हें और अधिक भूमि दी जाय ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री दातार** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि सरकार का प्रत्येक परिवार को ५ एकड़ भूमि कृषि प्रयोजन के लिये और ५ एकड़ अन्य प्रयोजनों के लिये देने का विचार है।

हिन्दी टाइपराइटरों का प्रमापीकरण

*४०६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी टाइपराइटरों के की-बोर्डों के प्रमापीकरण के निमित्त नियुक्त विशेष समिति की सिफारिशों पर प्राप्त रायों के बारे में विचार करने के बाद क्या कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस निर्णय की एक प्रति सभा के टेबल पर रखी जायेगी ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) और (ख). नहीं, ज़ी।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रश्न पर कितने वर्षों से विचार हो रहा है और अभी कितने युग और बीतेंगे जब तक कि इसका निर्णय हो सकेगा ?

†**डा० एम० एम० दास** : इस समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन पर टिप्पण प्राप्त करने की अन्तिम तिथि ३१ दिसम्बर, १९५५ थी। समिति की टिप्पण प्राप्त हो चुकी हैं परन्तु उसने अपना अन्तिम प्रतिवेदन अभी तक नहीं भेजा है ।

प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विदेशी पदाधिकारी

†*४०८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय भारत में कितने विदेशी पदाधिकारी हैं जो विशेषकर रक्षा-कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : २०७ जिनमें से १४२ रक्षा-कार्य में ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में मंत्रालय-वार आंकड़े दे सकेंगे ?

†**श्री दातार** : मैं रक्षा के अतिरिक्त अन्य सभी मंत्रालयों के सम्बन्ध म आंकड़े दे सकता हूं। जहां तक अन्य मंत्रालयों का सम्बन्ध है, २७ व्यक्ति प्रविधिक सहयोग योजना तथा कोलम्बो योजना के अधीन प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हैं, १८ व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र प्रविधिक सहायता कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। एक व्यक्ति खाद्य और कृषि संगठन के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। १८ व्यक्ति विश्व स्वास्थ्य संस्था के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। बर्मा का एक व्यक्ति रेलवे में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : वे प्रशिक्षणार्थी कौन-कौन से देश से आये हैं और किस देश ने सर्वाधिक प्रशिक्षणार्थी भेजे हैं ?

†**श्री दातार** : उनमें से अधिकांश तो एशिया से हैं। कुछ एक फिलिपाइन्स, श्रीलंका, उत्तरी बोर्नियो, अफगानिस्तान, ईराक, मिस्र, सीरिया लेबनान, जोर्डन, यमन तथा इन्डोनेशिया से हैं।

†**श्री वी० एस० मूर्ति** : रक्षा विभाग में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा विदेशी पदाधिकारी किस देश से आया है ?

†**श्री दातार** : मैंने माननीय सदस्य को पहले ही बता दिया है कि मैं लोकहित की दृष्टि से सेना में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पदाधिकारियों के सम्बन्ध में कोई जानकारी देने के लिये तैयार नहीं।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या इस सम्बन्ध में देशों में पारस्परिक विनिमय होता है और क्या हमारे पदाधिकारियों को भी विदेशों में वे सभी सुविधायें तथा रक्षा प्रविधि की वैसी व्यवस्था प्राप्त है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : कुछ सीमा तक पारस्परिक विनिमय होता है, कुछ सीमा तक हमने स्वयमेव कोलम्बो योजना के अधीन उन लोगों को सहायता देना स्वीकार किया है ।

†**श्री केशव आय्यंगार** : क्या किन्हीं प्रशिक्षणार्थियों को संसदीय कार्यों में भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

†**श्री दातार** : प्रस्तुत विवरण से तो यही प्रकट होता है कि संसदीय कार्यों के लिये कोई प्रशिक्षणार्थी नहीं है ।

माध्यमिक शिक्षा

†*४०९. **श्री गिडवानी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है कि माध्यमिक शिक्षा स्तर पर तीन भाषाओं की अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाये ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : मामला विचाराधीन है ।

†**श्री गिडवानी** : कौन-कौन सी तीन भाषायें विचाराधीन हैं, और क्या इसके सम्बन्ध में राज्य सरकारों का दृष्टिकोण जान लिया गया है ?

†**डा० एम० एम० दास** : सर्वप्रथम मैं यह बता देना चाहता हूं कि बोर्ड की कार्यवाही को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है । वह अभी सदस्यों को भेजी जानी है जो उस पर विचार करेंगे । बोर्ड की प्रमुख सिफारिशें यह हैं कि निम्न लिखित सूत्रों में किसी भी सूत्र को अपनाने की उपयुक्तता पर राज्य सरकारों की राय मांगी जाये । क्या मैं सभी सूत्रों को पढ़कर सुनाऊं अथवा उनका सार ही बता दूं?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभासचिव केवल सार ही बता दें ।

†**डा० एम० एम० दास** : सूत्र के अनुसार किसी भी विद्यार्थी को माध्यमिक स्तर पर तीन भाषायें सीखनी चाहियें । मातृ भाषा अथवा प्रादेशिक भाषा अथवा मातृ-भाषा तथा प्रादेशिक भाषा का सम्मिश्रण; मातृ-भाषा तथा एक शास्त्रीय भाषा का सम्मिश्रण, अथवा प्रादेशिक भाषा तथा एक शास्त्रीय भाषा का सम्मिश्रण ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि माननीय सभासचिव यह जानकारी सभा में पहले ही दे चुके हैं । मुझे भय है कि यह प्रश्न बारम्बार पूछा जाता रहेगा ।

†**डा० एम० एम० दास** : भाषाओं के दूसरे वर्ग में विदेशी भाषायें आती हैं । यह अंग्रेजी अथवा अन्य कोई भी यूरोपीय भाषा हो सकती है । तीसरे वर्ग में हिन्दी भाषा-भाषी विद्यार्थियों के लिये कोई अन्य प्रचलित भारतीय भाषा तथा अहिन्दी भाषा-भाषी विद्यार्थियों के लिये हिन्दी भाषा होगी ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : माध्यमिक शिक्षा समिति ने जो सिफारिशें की हैं और शिक्षा परिषद ने जो शिफारिशें की हैं, जिनके बारे में अभी माननीय पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी ने कहा है, मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों सिफारिशों में कौन-कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर कि मतभेद है और शिक्षा मंत्रालय किन-किन पर विचार कर रहा है ?

†**डा० एम० एम० दास** : वास्तव में इन दोनों की सिफारिशें में कुछ छोटी-छोटी बातों को छोड़कर कोई बड़ा अन्तर नहीं है । अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की मूल सिफारिश लगभग उसी प्रकार के एक अन्य संकल्प सहित बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत की गयी थी ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या माननीय पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी को मालूम है कि माध्यमिक

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा समिति ने जो रिपोर्ट दी है उसमें यह है कि वे विद्यार्थी जिन की जबान हिन्दी है वे केवल अंग्रेजी के माध्यम को ही अपना सकते हैं और जो दक्षिण के विद्यार्थी हैं वे यदि हिन्दी नहीं पढ़ना चाहते तो दूसरी किसी भाषा को माध्यम नहीं बना सकते हैं ?

†**डा० एम० एम० दास** : उसमें शिक्षा के माध्यम का कोई उल्लेख नहीं था। इस पर चर्चा ही नहीं की गयी।

†**श्री एम० एल० द्विवेदी** : हिन्दी वालों के लिये केवल अंग्रेजी माध्यम रखा गया था ?

†**डा० एम० एम० दास** : नहीं यह सच नहीं है। क्या मैं सारा पढ़ कर सुनाऊं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

†**श्री डाभी** : संस्कृत के अध्ययन के सम्बन्ध में परिषद ने क्या सिफारिश की है ?

†**डा० एम० एम० दास** : जैसा मैंने बताया है, प्रथम वर्ग में एक विद्यार्थी को या तो अपनी मातृ-भाषा अथवा प्रादेशिक भाषा अथवा मिली जुली मातृ-भाषा आदि लेनी पडेगी। शास्त्री भाषा इस वर्ग में आती है।

†**श्री बासप्पा** : क्या राज्य सरकारों ने इस सिफारिश के बारे में अपनी सम्मति दे दी है ?

†**डा० एम० एम० दास** : जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा है बोर्ड की 'कार्यवाही' को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है। जब ऐसा हो जायेगा तब बोर्ड का संकल्प राज्य सरकारों को भेजा जायेगा।

अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये अनुदान

*४११. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने माध्यमिक पाठशालाओं के अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिये सुविधाओं को बढ़ाने अथवा नई प्रशिक्षण संस्थाओं के खोलने के लिये १९५४-५५ और चालू वर्ष में किन्हीं राज्य सरकारों को अनुदान देने की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो वह अनुदान किन-किन राज्य सरकारों को दिये जायेंगे और कितनी-कितनी धनराशि दी जायेगी;

(ग) राज्य सरकारों के अतिरक्त ऐसे अनुदान किन-किन संस्थाओं के लिये स्वीकृत किये गये हैं और प्रत्येक संस्था को अलग-अलग कितनी धनराशि स्वीकृत की गई; और

(घ) दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रशिक्षण सुविधाओं की वृद्धि के लिये मंजूर किये जाने वाले अनुदानों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां, जी।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २]**

(ग) इस कार्य के लिये किसी संस्था को कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

(घ) यह जानकारी राज्य सरकारों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर निर्भर है।

श्री के० सी० सोधिया : यह जो अनुदान दिये गये हैं और जिनका कि एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है, इनमें से कितनी राशि नए इंस्टीट्यूशंज को दी गई है और कितनी राशि उन इंस्टीट्यूशंज को दी गई जो बहुत पहले से ही चालू थे ?

†**डा० एम० एम० दास** : मेरे पास इस समय उस वर्गीकरण के अधीन पृथक्-पृथक् आंकड़े नहीं हैं। कुल योग तो इस विवण में दे ही दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री के० सी० सोधिया : क्या कोई नये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंज (प्रशिक्षण संस्थायें) भी खुलवायी गई हैं ?

†**डा० एम० एम० दास :** हमें अभी तक राज्य सरकारों से प्रगति-प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। हम इसका उत्तर नहीं दे सकते ।

†**श्री एन० वी० चौधरी :** क्या सरकार को ज्ञात है कि माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण सम्बन्धी पर्याप्त सुविधायें दिये बिना, कुछ एक राज्य सरकारों द्वारा माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति पर अनुचित रूप में जोर दिया जा रहा है और यह कि इसके कारण एक गतिरोध सा उत्पन्न हो गया है ?

†**डा० एम० एम दास :** जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि मैं उनकी ओर से सभा में कोई उत्तर दे सकता हूँ ।

अखिल भारतीय शिक्षा सेवा

†*४१२. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार एक अखिल भारतीय शिक्षा सेवा प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में एक प्रस्थापना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन सी परिस्थितयां हैं जिनके अधीन इस प्रस्थापना पर विचार किया जा रहा है ; और

(ग) यह सेवा कब स्थापित होगी ।

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) :** (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति को विकसित करने की आवश्यकता का अनुभव किया गया है । एक अखिल भारतीय शिक्षा सेवा इस उद्देश्य की पूर्ति में बड़ी सहायता करेगी ।

(ग) क्योंकि इस प्रस्तावित सेवा के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता है, इसलिये इसकी स्थापना में अभी कुछ समय लगेगा ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्योंकि शिक्षा के बारे में राज्य ही उत्तरदायी है, अतः क्या इस योजना को कार्यान्वित करने से पूर्व राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जायेगी ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** उन्होंने यही तो कहा है ।

†**डा० एम० एम० दास :** यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सम्मुख १९५० में आया था । परन्तु राज्य सरकारों की प्रतिक्रियायें अनुकूल नहीं थीं ।

†**श्री वोडयार :** इस सेवा के लिये पदाधिकारियों को चुनने की क्या प्रक्रिया है ?

†**डा० एम० एम० दास :** योजना अभी तक स्वीकार नहीं की गयी है । यह राज्य सरकारों की सम्मति पर निर्भर करती है ।

†**श्री अच्युतन :** क्या यह योजना केवल विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों तथा शिक्षकों पर ही लागू होगी अथवा माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों पर भी ?

†**डा० एम० एम दास :** यह एक अखिल भारतीय शिक्षा सेवा होगी ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** शिक्षा सेवा अथवा माध्यमिक शिक्षा का एक आदर्श रूप निर्धारित

---

†मूल अंग्रेजी में

करने के लिये शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितनी विशेषज्ञ समितियां अथवा आयोग तथा अन्य निकाय स्थापित किये गये हैं ?

†**डा० एम० एम० दास :** यदि माननीय सदस्य इसकी पूर्व सूचना देने का कष्ट करें तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** मैंने पूर्व सूचना दी है। मंत्रालय गत बार उत्तर नहीं दे सका था। इस बार वह फिर से प्रयत्न करे ।

†**श्री एस० सी० सामन्त :** अखिल भारतीय शिक्षा सेवा कब समाप्त कर दी गयी थी और उस समय उसके कारण क्या बताये गये थे ?

†**डा० एम० एम दास :** अखिल भारतीय शिक्षा सेवा १९२१ में समाप्त कर दी गयी थी। जब कि शिक्षा केन्द्रीय सरकार से लेकर राज्य सरकारों को दे दी गई थी, मेरा अर्थ है तत्कालीन प्रांतीय सरकारों को ।

तेल प्रोद्योगिकी

†*४१४. **श्री शिवमूर्त्ति स्वामी :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीयों को कई पश्चिमी देशों में तेल विकास तथा प्रद्योगिकी में प्रशिक्षण देने के लिये एक विस्तृत योजना तैयार की गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये किन-किन देशों से प्रस्ताव किया गया है; और

(ग) इस योजना पर लगभग कितना लागत आयेगी ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :** (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी २८ फरवरी, १९५६ को लोक-सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ३०४ के उत्तर में दी गयी थी ।

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी :** योजना का अन्तिम निश्चय कब किया जायेगा ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** बहुत जल्दी ।

†**श्री टी० एन० सिंह :** प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर नहीं मिला है। योजना की अनुमानित लागत क्या होगी ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** पूरी योजना तैयार हो जाने पर ही योजना की लागत का अनुमान लगाया जा सकता है। मैंने अपने उत्तर में इस बात का जिक्र किया है कि बाहर को भेजे जाने वाले और बाहर से लाये जाने वाले कर्मचारियों की वास्तविक संख्या का अन्तिम निश्चय अभी नहीं किया गया है ।

†**श्री वेलायुधन :** माननीय मंत्री ने अभी हाल में रूस का जो दौरा किया था उसमें क्या तेल के विकास के लिये वह वहां से कुछ विशेषज्ञ लाये हैं, और क्या उन्होंने देखा कि रूस की तेल विकास योजना संसार में सर्वोत्तम है ? उनका क्या ख्याल है ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** प्रश्न के प्रारम्भिक भाग का उत्तर इस सभा में कई बार दिया जा चुका है—बहुत से विशेषज्ञ आ गये हैं। वे हमारे दौरे के बाद आये हैं। वे कुछ काम कर रहे हैं। वे एक प्रारम्भिक प्रतिवेदन तैयार कर चुके हैं। ज्यों ही प्रतिवेदन का अन्तिम निश्चय हो जायेगा इसका संक्षिप्त विवरण सभा के सदस्यों को दे दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री टी० एन० सिंह :** गत तीन वर्षों में भारत से कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण के लिये विदेश--किन किन देशों को--भेजा गया। कितने व्यक्ति विदेशी व्यापारिक संस्थाओं से सम्बन्धित हैं और वहां अध्ययन कर रहे हैं या अन्य कार्य कर रहे हैं ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** जहां तक तेल की खोज के कार्यक्रम का सम्बन्ध है, बहुत थोड़े लोग बाहर अध्ययन के लिये गये हैं। कुछ अन्य प्रश्नों के परीक्षण के लिये कुछ व्यक्ति--दो या तीन--बाहर गये हैं। अब हम अध्ययन के लिये लोगों को बाहर भेजने और अपने व्यक्तियों को सभी व्योरेबार बातों का ज्ञान कराने के लिये विदेश से लोगों को बुलाने के कार्यक्रम को एक व्यापक रूप में शुरू करने जा रहे हैं।

तामिलनाड में तूफ़ान

†*४१५. **श्री नम्बियार :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तामिलनाड में अभी हाल में जो बाढ़ आई थी और जो तूफान आया था उससे पीड़ित क्षेत्रों में किये गये सहायता कार्यों में केन्द्र का अंशदान कितना था;

(ख) प्रधान मंत्री सहायता निधि में से कितनी राशि दी गयी;

(ग) तंजौर जिले को कितनी राशि आवण्टित की गयी थी; और

(घ) क्या सरकार ने ऐसा कोई विशेष प्रस्ताव रखा है कि सभी श्रेणी के कृषकों को जिन को तूफान से हानि हुई है, सहायता दी जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) भारत सरकार द्वारा दी गयी सहायता का ब्योरा बताने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३]**

(ख) ३,२२,००० रुपये।

(ग) प्रधान मंत्री राष्ट्रीय सहायता निधि में से दिये गये धन को राज्य सरकार ने मद्रास तूफान सहायता निधि में मिला दिया और कुल राशि में से १,२५,००० रुपये की एक राशि तंजौर जिले को आवण्टित की गयी थी।

(घ) तूफान से पीड़ित कृषकों को सहायता देने के लिये मद्रास सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही बताने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३]**

†**श्री नम्बियार** : विवरण से मैं यह नहीं जान सका कि क्या उन लोगों को सहायता दी गयी थी जिनको नमक क्षेत्रों, नारियल के बागानों और तम्बाकू की खेती में भारी हानि हुई थी। क्या उन लोगों को कुछ नकद सहायता देने के लिये सरकार ने कोई नयी योजना निकाली है ?

†**श्री दातार** : मद्रास सरकार से प्राप्त सभी जानकारी विवरणों के रूप में लोक-सभा पटल पर रख दी गयी है। हमारे पास और कोई जानकारी नहीं है।

†**श्री वेलायुधन** : क्या सरकार को निम्न वर्ग--अर्थात् हरिजनों--के उन व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में कोई जानकारी है जिनके मकान नष्ट हो गये हैं और कितने मकान फिर से उनको दिये गये क्योंकि इस तूफान की घटना में इन लोगों को सबसे अधिक हानि हुई ?

†**श्री दातार** : मेरे पास जानकारी नहीं है।

†**श्री नम्बियार** : बाढ़ और तूफान में वहां कुल कितने व्यक्ति मरे ?

†**श्री दातार** : उनकी संख्या हमारे पास नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सहायता उपायों की बात छोड़कर अब हम मरने वालों की संख्या की बात पर जा रहे हैं।

†**श्री वेलायुधन** : क्या सरकारी संस्थाओं के अलावा कुछ गैर-सरकारी स्वयंसेवक संस्थायें भी वहां काम कर रही हैं और क्या भारत सरकार उन गैर-सरकारी संस्थाओं को कोई सहायता या आर्थिक सहायता दे रही है ?

†**श्री दातार** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि जहां तक गैर-सरकारी संस्थाओं का सम्बन्ध है उनके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री नम्बियार** : क्या प्रधान मंत्री सहायता निधि से अधिक सहायता के लिये अभ्यावेदन आया था ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : किनकी ओर से ?

†**श्री नम्बियार** : सम्बन्धित व्यक्तियों की ओर से ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सम्बन्धित व्यक्ति कौन हैं ?

†**श्री नम्बियार** : पीड़ित व्यक्तियों या संस्थाओं ने अधिक सहायता के लिये अभ्यावेदन दिया है ।

†**श्री दातार** : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या सहायता का कार्य खतम कर दिया गया है या अभी जारी है ?

†**श्री दातार** : मैं समझता हूं कि अभी जारी है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के मामलों में सहायता कार्यवाही करना, एक विस्तृत योजना तैयार करना और केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगना मुख्य रूप से प्रांतीय सरकार का ही कर्त्तव्य है। हम सहायता कार्य के ब्यौरों, स्थानों और उनके जारी होने या खतम होने के बारे में तरह तरह के प्रश्न कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम लोग यह मान बैठें हैं कि जैसे वहां पर कोई एसेम्बली या स्थानीय क्षेत्र की सरकार है ही नहीं ।

†**श्री वेलायुधन** : सरकार को एक प्रतिवेदन मंगाना चाहिये क्योंकि उसने आर्थिक सहायता दी है। स्वयं प्रधान मंत्री तूफान सम्बन्धी सहायता के बारे में कह चुके हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरी बात का मतलब कुछ दूसरा है ।

†**श्री वेलायुधन** : अतः जो कुछ काम उन्होंने किया है उसकी जानकारी केन्द्रीय सरकार के पास ज़रूरी होनी चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : केन्द्रीय सरकार के पास जानकारी हो या न हो पर यदि आप यह मानते हैं कि केन्द्रीय सरकार के पास बाढ़ सहायता के सम्बन्ध में पूर्ण और विस्तृत जानकारी है तो मैं इन सब प्रश्नों को यहां पूछने की अनुमति नहीं दूंगा। हम इस सभा को राज्य विधान सभा के स्थान पर नहीं मान रहे हैं।

†**श्री नम्बियार** : इस मामले में मैं कहना चाहता हूँ कि यह विपदा राष्ट्रीय है। हजारों व्यक्ति मर गये और करोड़ों की सम्पत्ति नष्ट हो गयी। राज्य सरकार कुछ भी कर सकने की स्थिति में नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि राज्य सरकार कुछ करने की स्थिति में नहीं है तो केन्द्रीय सरकार उनकी सहायता अवश्य करेगी पर किये गये व्यय का ब्योरा एक ऐसा मामला है जिसके बारे में वहां के ही लोग जानते होंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नम्बियार** : आवश्यक मात्रा में सहायता नहीं मिल रही है। इसी कारण हम केन्द्रीय सरकार पर दबाव-जोर डाल रहे हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यहां पर उस सरकार के प्रवक्ता नहीं हैं। उन्हें कुछ भी पता नहीं है कि वह सरकार क्या मांगती है और इस सरकार ने क्या देने से इन्कार कर दिया है। पहले से बिना कुछ जानकारी प्राप्त किये प्रश्न पूछ लेते हैं जैसे कि यही सभा इस मामले में सारा काम कर रही हो – जब उन्होंने कहा था कि अभ्यावेदन भेजे गये हैं तो मैंने उनसे पूछा कि अभ्यावेदन क्या हैं। उन सभी लोगों ने मांग की होगी। उन्हें किसी भी विशेष अभ्यावेदन के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

†**श्री नम्बियार** : विवरण तो दिया गया है। किन्तु विवरण में ब्योरा नहीं दिया गया है। इसी कारण हम पूछ रहे हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सदस्यों को सदा ध्यान रखना चाहिये कि वहां भी एक विधान मंडल है, एक सरकार है और यह सरकार केवल उस सरकार की सहायता कर सकती है।

कोलार की सोने की खाने

†*४१७. **श्री गार्डिलिंगन् गौड़** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार कोलार की सोने की खानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में केन्द्रीय सरकार से पत्रव्यवहार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) जी, हां।

(ख) मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

†**श्री गार्डिलिंगन् गौड़** : क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि वह कोलार की सोने की खानों का राष्ट्रीयकरण न करे बल्कि कोई इससे छोटा कदम उठाये ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : मैं इस प्रश्न का उत्तर इस समय नहीं दे सकता। यह समय से पूर्व है। मामला अभी सरकार के विचाराधीन है। मामले पर मंत्रिमंडल विचार कर रहा है और शीघ्र ही एक निश्चय किया जायेगा।

†**श्री बासप्पा** : क्या मैसूर सरकार और कोयले की खानों के बीच कुछ विवाद हैं ? मैसूर सरकार ने राष्ट्रीयकरण के लिये क्या कारण बताये हैं ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : मैसूर सरकार और कोलार की सोने की खानों की कम्पनी के बीच कुछ मतभेद है। मैं नहीं समझता कि क्या इन मतभेदों के ब्योरे का वर्णन करना उचित है।

†**श्री तिमय्या** : क्या यह सच है कि मैसूर सरकार विधान सभा के आगामी सभा में एक विधान का प्रस्ताव करने जा रही है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : जी हां, हमें बताया गया है कि विधान तैयार किया जा रहा है।

†**श्री तिम्मय्या** : राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त की गयी विशेषज्ञ संस्था की सिफारिशों पर सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि समिति की सिफारिशें कब जनता को प्रकट की जायेंगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० डी० मालवीय** : इन सभी प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : मैसूर एसेम्बली किस प्रकार का विधान पेश करने जा रही है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या कोई विधेयक पुरःस्थापित हो गया है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : जी, हां। एक विधेयक पुरःस्थापित किया जाने वाला है। हमें ऐसा ही बताया गया है। और इस विधेयक में कोलार की सोने की खानों के राष्ट्रीयकरण का उपबन्ध है।

†**श्री गाडिंलिगन गौड़** : क्या इस मामले की छानबीन करने के लिये पदाधिकारियों की एक टोली यहां से भेजी गयी थी और उनके प्रतिवेदन को प्रकाशित न करने का क्या कारण है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : कुछ प्रश्नों का परीक्षण करने के लिये यहां से कुछ पदाधिकारी गये थे। प्रतिवेदन पर सरकार को विचार करना है और इस बारे में कुछ भी तय नहीं है कि उसे प्रकाशित किया जायेगा।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : मालूम होता है कि वह एक वित्तीय दल है न कि शिल्पिक विशेषज्ञ दल और वह इस बात का परीक्षण करने गये हैं कि कम्पनी को क्या प्रतिकर दिया जाये। उसे प्रकाशित क्यों न किया जाना चाहिये ? उन्होंने अपना प्रतिवेदन ६ मास पूर्व ही पेश कर दिया था।

†**श्री के० डी० मालवीय** : मैं माननीय मत्री के विचार से सहमत नहीं हूं।

†**श्री केशव अय्यंगार** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं है, क्या मैसूर सरकार ने मैसूर एसेम्बली में विधेयक पुरःस्थापित करने के लिये इस सरकार की सहमति ले ली है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : मैं माननीय सदस्य की पूर्व-कल्पना को स्वीकार नहीं करता।

आर्थिक विकास के लिये विशिष्ट संयुक्तराष्ट्र निधि

†*४१९. **श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या माननीय **वित्त** मंत्री १९ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कम विकसित क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिये विशिष्ट संयुक्त राष्ट्र निधि की स्थापना के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने दसवें सत्र में सर्व सम्मति से एक संकल्प पारित किया है जिसमें कम विकसित देशों के आर्थिक विकास के महत्व की अभिपुष्टि की है और अन्य चीजों के बीच (क) सेक्रेटरी-जनरल से प्रार्थना की है कि वह सदस्य राज्यों से आर्थिक विकास के लिये विशिष्ट संयुक्त राष्ट्रनिधि की स्थापना उसका ढांचा और उसके कार्यों के सम्बन्ध में अपने यथा-संभव निश्चित दृष्टिकोण, ३१ मार्च, १९५६ के पूर्व भेजने के लिये कहें।

(ख) एक तदर्थ समिति स्थापित की जिसमें १६ सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, जिससे कि वह समिति उपर्युत (क) के अधीन सरकारों के उत्तर और टिप्पणियों का विश्लेषण करे और आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के समक्ष उसके २२वें सत्र में और महासभा (जनरल एसेम्बली) के समक्ष उसके ११वें सत्र में एक अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें और अपना अंतिम प्रतिवेदन परिषद के २३वें सत्र में प्रस्तुत करें।

†**श्री एस० वी० रामस्वामी** : इस निधि का क्या आकार होगा और इस निधि से मिलने वाली सहायता किस प्रकार की होगी ? क्या वह ऋण के रूप में अथवा मलीनों आदि के रूप में होगी ?

†**श्री बी० आर० भगत** : मजबूत परियोजनाओं का खर्च चलाने के लिये कम विकसित देशों को ऋण दिया जायेगा। अन्य अन्तर्राष्ट्रीय बैंक-संस्थाओं से इन परियोजनाओं के लिये प्रायः ऋण नहीं मिलता। उनके ब्याज की दर कम होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या यह आशा की जाती है कि ये अंशदान एशियाई देशों लाभ के लिये मुख्यत: पश्चिमी देशों से प्राप्त होंगे ।

†**श्री बी० आर० भगत** : अंशदान सभी सदस्य देशों से प्राप्त होंगे ।

†**श्री एस० वी० रामस्वामी** : किस आधार पर यह वितरण किया जायगा ? क्या वह जनसंख्या का आधार है या अन्य कोई ?

†**श्री बी० आर० भगत** : इन सभी बातों का निश्चय उस समय किया जायगा जब कि सदस्य सरकारों से उत्तर प्राप्त होंगे और उनका विश्लेषण किया जायगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या भारत भी उन सोलह देशों में से एक है जो इस निधि में अंशदान देंगे ?

†**श्री बी० आर० भगत** : ये सोलह देश इस निधि में अंशदान नहीं देंगे । किन्तु वे तदर्थ समिति में होंगे जो सभी सदस्य देशों से प्राप्त उत्तरों का विश्लेषण करेगी और उनकी टिप्पणियों के साथ उस पर अपना प्रतिवेदन आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् को और बाद में महासभा (जनरल एसेम्बली) को प्रस्तुत करेगी । भारत उन सोलह देशों में से एक है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या भारत सरकार ने इस निधि के विषय में अपने विचार प्रकट किये हैं और वह अंशदान देना स्वीकार करेगी या नहीं ?

†**श्री बी० आर० भगत** : भारत ने अनेक बार इस निधि के पक्ष में अपने विचार प्रकट किये हैं । जहां तक विस्तृत दृष्टिकोण का सम्बन्ध है, मैं यह कहूंगा कि सरकार महासभा के विशेष संकल्प पर विचार कर रही है और उस पर सरकार के दृष्टिकोण निर्धारित तिथि के पूर्व बता दिये जायेंगे ।

पुस्तकों का अनुवाद

†***४२१. श्री भागवत झा आजाद** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चौदह प्रादेशिक भाषाओं में से प्रत्येक भाषा की कुछ सर्वोत्कृष्ट पुस्तकों का अन्य प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद कराने का विचार करती है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) हां जी, नैशनल बुक ट्रस्ट के अभिकरण के द्वारा ।

(ख) योजना का सविस्तार विवरण अभी बनाना है । माननीय सदस्य के समाधान के लिये मैं यह बता सकता हूं कि साहित्य अकादमी ने जो कि एक स्वायत्तशासी संस्था है तथा जिसे भारत सरकार खर्च देती है, यह कार्य आरम्भ किया है और उसने इस दिशा में पर्याप्त प्रगति की है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या सरकार मध्यम श्रेणी के उन कर्मचारियों को, जो पहले से ही इन पुस्तकों का अनुवाद करने के लिये हैं, नियुक्त करने का विचार करती है अथवा वह चुने हुये पुस्तकों के अनुवाद के लिये अन्य तरीके ढूंढने का विचार करती है ?

†**डा० एम० एम० दास** : मैं बता सकता हूं कि नैशनल बुक ट्रस्ट अभी स्थापित नहीं हुआ है । उसका संविधान अब बनाया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भागवत झा आजाद**: क्या चौदह प्रादेशिक भाषाओं में से प्रत्येक भाषा की पुस्तकों का अनुवाद अन्य तेरहों भाषाओं में किया जायगा अथवा केवल कुछ ही अन्य प्रादेशिक भाषाओं में किया जायगा ?

†**डा० एम० एम० दास** : नैशनल बुक ट्रस्ट उस पर विचार करेगी ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : पुस्तकों के चुने जाने के बाद क्या उनका अनुवाद इस ट्रस्ट के व्यक्तियों के द्वारा किया जायगा अथवा देश की प्रसिद्ध संस्थाओं द्वारा किया जायगा जो स्वयं यह कार्य करने के लिये तैयार होंगे ? क्या ऐसी संस्थाओं को अवसर दिया जायगा ?

†**डा० एम० एम० दास** : इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नैशनल बुक ट्रस्ट विचार करेगी ।

†**सेठ गोविन्द दास** : जहां तक इन पुस्तकों के चुनाव का सवाल है, क्या भिन्न-भिन्न भाषाओं के जो चोटी के विद्वान् हैं; उनसे भी इस बात की सलाह ली जायगी कि कौन सी पुस्तकें उस भाषा की अनुवाद करने के योग्य हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इन सभी बातों पर विचार हो रहा है और नैशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना के बाद वह इन बातों की ओर ध्यान देगी । सभासचिव ने यही बात कही हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यह नैशनल बुकट्रस्ट कौन बनायेगा और उस ट्रस्ट की रचना कैसी होगी?

†**डा० एम० एम० दास** : नैशनल बुक ट्रस्ट भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संगठित किया जायगा । ट्रस्ट की रचना का प्रश्न पहले ही उठाया जा चुका है । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री, शिक्षा मंत्री, गृह-कार्य मंत्री और वित्त मंत्री नैशनलबुक ट्रस्ट के संविधान का मसविदा तैयार कर रहे हैं ।

†**सेठ गोविन्द दास** : जहां तक इसके ट्रस्टियों का सवाल है, क्या यह ट्रस्टी भिन्न-भिन्न भाषाओं के लिये जायेंगे या किसी विशेष भाषा के लिये जायेंगे ?

†**डा० एम० एम० दास** : जब तक कि ट्रस्ट नहीं बनाया जाता, इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है ।

स्कैन्डिनेविया से सहायता

†*४२२. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में स्कैन्डिनेविया के देशों से कितनी सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) वह किस रूप में प्राप्त हुई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : (क) नार्वे से लगभग १०·५ लाख रुपये;

(ख) त्रावनकोर-कोचीन में मत्स्यपालन विकास परियोजना के सम्बन्ध में उपकरण का संभरण, नार्वे के कर्मचारियों को वेतन और अन्य विविध व्यय ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : यह परियोजना कब तक रहेगी और क्या नार्वे की सरकार उस में अन्त तक सहायता देती रहेगी ?

†**श्री बी० आर० भगत** : यह परियोजना १९५३ में प्रारम्भ हुई थी और हमें नार्वे से १९५३ में ५ लाख रुपये, १९५४ में ३५·२५ लाख रुपये, और १९५५ में १०·५ लाख रुपये मिले हैं । वह उस हद तक सहायता देंगे जहां तक कि करार में उपबंध रखा गया है ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : यह करार कब तक रहेगा और नार्वे का कितना अंशदान है ?

†**श्री बी० आर० भगत** : करार अगले वर्ष तक रहेगा । नार्वे का अंशदान १ करोड़ क्रोनर्स है जो ६७ लाख रुपये के बराबर होते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वेलायुधन** : त्रावनकोर-कोचीन राज्य में नार्वे के लोगों ने कौन-कौन सी परियोजनायें प्रारम्भ की हैं और भारत सरकार ने इन परियोजनाओं में क्या अंशदान दिया है ?

†**श्री बी० आर० भगत** : यह परियोजना मुख्यतः मत्स्यपालन कार्यवाहियों के विकास के लिये हैं और वह मछुओं का स्वास्थ्य और सफाई की हालत सुधारने के लिये भी है ।

भारत सरकार द्वारा उठाये गये ठीक-ठीक स्थानीय खर्च के सम्बन्ध में, मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : ट्रालर्स आदि उपकरणों पर कितना प्रतिशत धन खर्च किया गया है और त्रावनकोर-कोचीन के मछुओं की रहने की हालत और सफाई की हालत में सुधार करने के लिये कितना प्रतिशत खर्च किया गया है ?

†**श्री बी० आर० भगत** : मेरे पास यह अलग-अलग आंकड़े नहीं हैं ।

शिल्पिक शिक्षा

†*४२३. **श्री गिडवानी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अधिक छात्रवृत्तियां देने और शिल्पिक संस्थाओं में प्रवेश की अन्य सुविधायें देने के सम्बन्ध में केंद्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड ने अभी हाल में जो सिफारिशें की हैं उन्हें कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : यह विषय विचाराधीन है ।

†**श्री गिडवानी** : केंद्रीय सरकार ने शिल्पिक शिक्षा के लिये छात्रवृत्तियों के हेतु कुल कितना धन प्रतिवर्ष दिया है ?

†**डा० एम० एम० दास** : दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में १ करोड़ रुपये खर्च करने की प्रस्थापना है ।

†**श्री गिडवानी** : क्या सरकार इस बात से सतुष्ट है कि अब तक जितने लोगों को प्रशिक्षित किया गया है, उन्हें काम मिल गया है ?

†**डा० एम० एम० दास** : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

***सरदार ए० एस० सहगल** : क्या मध्य प्रदेश में श्रम मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली शिल्पिक संस्था से १००० शिल्पिक लाने की कोई प्रस्थापना है ?

†**डा० एम० एम० दास** : वह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है किन्तु वह इससे उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : जहां तक मुझे ज्ञात है, कुछ शिल्पिक संस्थाएं तब तक छात्रों को स्वीकार नहीं करतीं जब तक कि काम सीखने वालों को कारखानों में प्रशिक्षण देने की सुविधायें उन्हें प्राप्त न हो जाय । क्या मैं जान सकती हूं कि छात्रवृत्तियां देते समय केंद्रीय सरकार काम सीखने वालों की बढ़ती हुई संख्या के लिये, जिन्हें कारखानों में प्रशिक्षण के लिये लिया जायगा, कोई प्रबंध करेगी ?

†**डा० एम० एम० दास** : कारखानों में जहां तक व्यावहारिक प्रशिक्षण का सम्बन्ध है, उसके लिये पहले ही व्यवस्था की गयी है और प्रौद्योगिक तथा यांत्रिक संस्थाओं से डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त कर लेने के बाद ही लड़कों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है । सरकार प्रशिक्षण सुविधाओं को यथासंभव बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है ।

†**श्री बासप्पा** : अधिक छात्रवृत्तियां देने के लिये जितना अतिरिक्त धन आवश्यक होगा क्या सरकार ने उसका अनुमान लगाया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० एम० एम० दास** : मैंने बताया है कि अभी इसका अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है । किन्तु दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में १ करोड़ रुपया खर्च करने की प्रस्थापना है ।

कहवा उगाने वालों पर आयकर

†*४२४. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार आयकर लगाने के हेतु कहवा से होने वाली आय का कुछ भाग निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पर विनिश्चय किया गया है; और

(ग) क्या अभी वसूली बकाया छोड़ दी गयी है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)**: (क) और (ख). सरकार को यह सलाह दी गयी है कि विद्यमान आयकर अधिनियम के अधीन, कहवा उत्पादन से मुनाफे के कुछ भाग पर, कुछ परिस्थितियों में, आयकर लगाया जा सकता है । कर लगाने के लिये कुछ लाभ का कुछ प्रतिशत भाग निर्धारित किया जा चुका है । इस प्रतिशत भाग का पुनर्विलोकन आवश्यक है या नहीं यह प्रश्न विचाराधीन है ।

(ग) चूंकि अपील में यह प्रश्न उठाया गया है कि उपर्युक्त मुनाफों के किसी भाग पर कर लगाया जा सकता है अथवा नहीं, इसलिये मुनाफों पर कर की वसूली बकाया छोड़ दी गयी है ।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या सरकार कहवा बागान के विकास के लिये यह धनराशि अलग रखने का विचार कर रही है ।

†**श्री एम० सी० शाह** : आयकर अधिनियम के अधीन आयकर की वसूली केंद्रीय राजस्व में जाती है और विकास कार्यों के लिये जब किसी धनराशि की आवश्यकता पड़ती है तब वह केंद्रीय राजस्व से अलग तौर पर दी जाती है ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या काफी बोर्ड के द्वारा कृषकों अथवा विक्रय अभिकर्त्ताओं से प्रत्यक्ष रूप से आय-कर लिया जाता है ? यह करारोपण किस सीमा तक किया गया है ?

†**श्री एम० सी० शाह** : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य प्रश्न को पूर्णतया समझे नहीं है । यह प्रश्न आय-कर निर्धारण के सम्बन्ध में है । आय-कर के सम्बन्ध में, मैं बता चुका हूं कि कहवा के फलों को साफ करने में जो मुनाफा होता है उसके कुछ भाग पर आयकर लगता है । परन्तु क्योंकि मामले की अपील की गई है इसलिये हमने एकत्रित धनराशि को रोका हुआ है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या ये प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित नहीं किये जाते हैं जैसे कि चाय के सम्बन्ध में किये जाते हैं ?

†**श्री वेलायुधन** : वह स्वयं ही प्रश्न को नहीं समझे हैं । इसका संग्रह कौन कर रहा है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आय-कर प्राधिकारी ।

†**श्री गाडिलिंगन गौड** : कुल कितनी धनराशि की वसूली रोक दी गई है ।

†**श्री एम० सी० शाह** : मेरे पास, किये गये निर्धारण के आंकड़े नहीं हैं । जहां तक इन निर्धारणों का सम्बन्ध है, हमने इनको रोक रखा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुल धन सम्पत्ति पर वार्षिक कर

†४२७. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने कुल धन सम्पत्ति पर वार्षिक कर लगाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह आय-कर तथा संपदा शुल्क से अलग होगा; और

(ग) क्या इस प्रकार के कर का प्रस्ताव बना लिया गया है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) जी हां, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में वर्णित सम्पत्ति कर की असमानताओं को कम करने के लिये यह एक राजकोषीय युक्ति है ।

(ख) और (ग). प्रारूप में वर्णित अन्य राजकोषीय युक्तियों के साथ-साथ सरकार इस पर विचार कर रही है । इस समय यह बताना संभव नहीं है कि यदि यह कर लगाया गया तो इसकी सही उपलक्षणाएं क्या होंगी ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या यह सच है कि इस समय सरकार द्वारा सभी राजकोषीय कार्यों के करने के पश्चात् भी, विभिन्न क्षेत्रों--निगम संस्थाओं तथा व्यक्तिगत--सम्पत्ति का बड़ा भाग करा-रोपण के बिना छोड़ दिया गया है ?

†**श्री एम० सी० शाह** : हमने इन सभी राजकोषीय युक्तियों की जांच कर ली है । तथा ये राजकोषीय युक्तियां, जो भी लागू होंगी, हम उन्हें आय-व्ययक प्रस्तावों में ही लागू करेंगे ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : कुल सम्पत्ति पर वार्षिक कर की योजना को लागू करने के परिणाम-स्वरूप, केंद्रीय राज्य कोष, कितनी धनराशि व्यय करेगी ?

†**श्री एम० सी० शाह** : इस पर विचार किया जा रहा है । मैं इसके आंकड़े किस प्रकार बता सकता हूं कि इसका केंद्रीय सरकार पर कितना प्रभाव पड़ेगा ? कोई नहीं जानता कि कितना, तथा किस आधार पर कर एकत्रित होगा, और प्रतिशतता क्या होगी । इन सब बातों पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या विभिन्न राज्य सरकारों का परामर्श लिया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी राज्य सरकारों ने अपना मत भेज दिया है ।

†**श्री एम० सी० शाह** : राज्य सरकारों की राय अभी नहीं मांगी गई है । केंद्रीय सरकार, इस प्रश्न पर विचार कर रही है । कर जांच आयोग ने कुछ राजकोषीय उपायों की सिफारिश की थी, कुछ युक्तियों की सिफारिश द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में की गई है । इन सभी की भारत सरकार पूर्णतया जांच तथा अध्ययन कर रही हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया था कि इस कर के सम्बन्ध में कोई ब्यौरे प्राप्त नहीं हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह प्रस्ताव अन्तःकरण की पुकार के परिणाम-स्वरूप है ?

†**श्री नम्बियार** : संभव है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री बंसीलाल** : भारतीय संघ में सरकारी कर्मचारी की अधिकतम आय क्या है तथा पूर्णकाल के सरकारी कर्मचारी की न्यूनतम कमाई क्या है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह इससे कैसे उत्पन्न होता है ?

†**श्री एम० सी० शाह** : यह प्रश्न सम्पत्ति पर कर लगाने के सम्बन्ध में है । परन्तु अधिकतम तथा न्यूनतम वेतन को अनुपात, जितना मुझे याद है, १ से ३१ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न, श्री डी० सी० शर्मा ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : माननीय मंत्री का 'कुल संम्पत्ति' से क्या अर्थ है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना अगला प्रश्न प्रस्तुत करें ।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी

†*४२८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पढ़ने वाले छात्र सैनिकों की शारीरिक क्षमता की परीक्षा के लिये नई प्रक्रिया बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो यह परीक्षा किस प्रकार की है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में इस समय शारीरिक परीक्षा किस प्रकार की जाती है; तथा क्या इन शारीरिक परीक्षाओं की अपर्याप्तता के विरुद्ध कोई शिकायत हुई हैं ?

†**सरदार मजीठिया** : कोई शिकायत नहीं की गई है ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : माननीय उपमंत्री, दूसरे मंत्री से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने मेरे प्रश्न को सुना नहीं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्होंने बताया कि कोई शिकायत नहीं है ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : मैंने उनसे पूछा था कि इस समय शारीरिक परीक्षा किस प्रकार की जाती है तथा यदि हां तो क्या इसके विरुद्ध कोई शिकायत हुई है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : कोई शिकायत नहीं है ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : मेरे प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर क्या है ?

†**सरदार मजीठिया** : कई प्रकार की परीक्षायें हैं जिन में दौड़ना, चलना आदि हैं ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या इसमें पर्याप्त मात्रा में खेल-कूद तथा जिमनास्टिक परीक्षायें नहीं है ? यदि नहीं तो इस कमी को पूरा करने के लिये क्या किया जा रहा है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शारीरकि क्षमता के लिये, कुछ परीक्षायें होनी चाहिये । अन्यथा इसका निर्णय किस प्रकार हो सकता है । परन्तु क्या हमें ब्यौरों के सम्बन्ध में पूछना चाहिये कि यह दौड़ने की परीक्षा है अथवा कूदने की परीक्षा है तथा यदि हां, तो कितने गज की दौड़ तथा कितने गज की कूद ? इस प्रकार के ब्यौरों का कोई अर्थ नहीं होता है । एक प्रक्रिया है ठीक है । परन्तु क्या हम विशेषज्ञ हैं जो इन ब्यौरों पर विचार करें ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : मैं ब्यौरे जानना नहीं चाहता हूं । मैं केवल यह जानना चाहता था कि ये शारीरिक परीक्षायें किस प्रकार की होती हैं तथा यह किस सिद्धांत पर आधारित हुई हैं । इनके सम्बन्ध में समाचारपत्रों तथा अन्य स्थानों में बहुत शिकायतें हैं ।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (डा० काटजू)** : वह एक उचित प्रश्न पूछे ?

†**श्री सी० भट्ट** : क्या माननीय मंत्री को इन परीक्षाओं की जानकारी है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री पूछेंगे कि क्या माननीय सदस्य को इसकी जानकारी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार ए० एस० सहगल** : नैशनल डिफेंस एकेडमी में जो केडेट्स वर्तमान समय में लिये जाते हैं क्या उनकी संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में मंत्रालय द्वारा कोई विचार हो रहा है ?

†**सरदार मजीठिया** : यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गणराज्य दिवस समारोह

†*४०४. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष कोई विदेशी शिष्ट मंडल अथवा प्रतिष्ठित व्यक्ति, गणराज्य दिवस समारोह देखने आये थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनमें से किसी को भारत में इसी प्रयोजन के लिये बुलाया गया था अथवा उन्होंने इस समारोह को केवल यहां आने के कारण देखा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (डा० काटजू)**: (क) जी, हां ।

(ख) इस प्रयोजन के लिये विशेषतया किसी को भी नहीं बुलाया गया था । जो उस अवसर पर दिल्ली में थे उनको गणराज्य दिवस की परेड देखने को बुला लिया गया था ।

बैंक

†*४०७. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी बैंकों की संख्या तथा नाम क्या हैं जिन को भारत में व्यापार चलाने के लिये १ जनवरी, १९५६ से अनुज्ञप्तियां नहीं दी गईं; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह)** : (क) किसी भी विदेशी बैंक का १ जनवरी १९५६ से व्यापार चलाने की अनुज्ञप्ति अस्वीकार नहीं की गई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बिहार की भाषायें

†४१०. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के मानभूम जिले में विभिन्न भाषा-भाषियों की गिनती की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या तत्सम्बन्धी रिपोर्ट पेश कर दी गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार): (क) तथा (ख). १९५१ की जन-गणना की मातृ-भाषा के आंकड़ों की ग्रामोनुसार छंटनी दुबारा की गई है । अन्तिम सारणी तथा रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

आर्थिक विकास संस्था, वाशिंगटन

†*४१३. **श्री पुन्नूस** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विद्यार्थी, आर्थिक विकास संस्था, वाशिंगटन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या तथा नाम क्या हैं और उनको विदेश में कब भेजा गया था ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : (क) और (ख). भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में उप-सचिव श्री एफ० सी० धाऊं को इस संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भेजा गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अखिल भारतीय विधि-जीवी संस्था

†*४१६. **श्री के० के० बसु :** क्या **विधि** मंत्री १४ अप्रैल, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २२०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय विधि जीवी संस्था स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय किस प्रकार है ?

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर) :** (क) जी, नहीं। मामले पर विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राजकोषीय एकाधिपत्य

†*४१८. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, लोक राजस्व को बढ़ाने के लिये राजकोषीय एकाधिपत्य की स्थापना की संभावनाओं पर विशेषज्ञों की जांच के सम्बन्ध में कर जांच आयोग की सिफारिशों पर निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय किस प्रकार का है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत) :** (क) इस सिफारिश पर अभी विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

स्कूलों में राजपथ संहिता को पढ़ाना

†*४२०. **श्री एम० इस्लामुद्दीन :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय मंत्रणा बोर्ड ने स्कूलों में राजपथ संहिता को अनिवार्य रूप से पढ़ाने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का निर्णय किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) :** (क) जी, हां।

(ख) मामले पर विचार किया जा रहा है।

उच्च शिक्षा की ग्रामीण संस्थायें

†*४२५. **श्री एम० इस्लामुद्दीन :**
श्री बंसल :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय उच्च शिक्षा की कितनी ग्रामीण संस्थायें हैं; और

(ख) इस प्रकार की और संस्थाओं को स्थापित करने तथा वर्तमान संस्थाओं के विकास के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) :** (क) श्रीमाली समिति द्वारा सुझाई गई ग्रामीण संस्थाओं जैसी कोई ग्रामीण संस्था इस समय नहीं है। विकास के लिये चुनी गई संस्थाओं की एक सूची संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ४]**

(ख) (१) देहाती उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में अगस्त १९५५ में शिक्षा विशेषज्ञों का एक सम्मेलन बुलाया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) कार्य शीघ्रता से निबटाने के लिये एक परामर्शदात्री समिति नियुक्त की गई थी।

(३) चार पाठचर्या समितियां स्थापित की गई हैं।

(४) ग्रामीण उच्च शिक्षा के लिये राष्ट्रीय परिषद स्थापित की गई हैं।

(५) दस वर्तमान संस्थाओं को ग्रामीण संस्था के रूप में विकसित करने के मामले पर विचार किया जा रहा है।

भारतीय कला प्रदर्शनियां

†*४२६. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५५ में, किसी विदेश में भारतीय कला प्रदर्शनी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों में ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) जी, हां।

(ख) (१) बर्मा;

(२) मिस्र, इटली, यूगोस्लाविया, लेबनान, सीरिया, ईराक; और

(३) चेकोस्लोवेकिया।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

†२०८. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत वर्ष में प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कितने स्थान रिक्त हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के चार स्थान रिक्त हैं; बंबई, उड़ीसा, पटना तथा मैसूर सब के उच्च न्यायालयों में एक-एक स्थान रिक्त है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण

†२०९. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवें चक्कर में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का बिहार में क्या कार्यक्रम होगा; और

(ख) बिहार के सम्बन्ध में नवें नमूना-सर्वेक्षण से क्या निष्कर्ष निकाले गये हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में दसवें चक्कर में निम्न-लिखित विषय होंगे; नौकरियों तथा बेकारी, छोटे पैमाने के हस्त उद्योगों, परिवारों के आय व्यय गृह उद्योगों, कुछ चुने हुये कृषि पदार्थों की कीमतों के सम्बन्ध में तथ्य तथा आंकड़े संकलित करना तथा भूमि के उपयोग के सम्बन्ध में अध्ययन करना। राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण देश के सभी भागों में नमूने के आधार पर तथ्य तथा आंकड़े इकट्ठा कर रहा है। इस तरह से जिन विषयों को अन्य जगहों पर लिया जायगा, बिहार में भी उन्हीं विषयों को लिया जायेगा। दसवां चक्कर दिसम्बर १९५५ में प्रारम्भ हुआ था और अप्रैल १९५६ तक जारी रहेगा।

(ख) सर्वेक्षण का नवां चक्कर १९५५ के नवम्बर के अन्त तक जारी रहा था। उस सर्वेक्षण के परिणामों से तभी कोई निष्कर्ष निकाला जा सकेगा जब उनकी छानबीन हो चुकेगी तथा उसका भली-भांति विश्लेषण हो चुकेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुस्तकालय सेवा योजना

†२१०. { **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री सभा पटल पैर निम्न पत्र रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक ऐसा विवरण जिस में केंद्रीय सरकार द्वारा १९५५-५६ के दौरान में पुस्तकालय सेवा योजना के व्यय के उपलक्ष्य में प्रत्येक राज्य को दिये गये अनुदान अथवा अनुसहाय्य की राशि कितनी है; तथा

(ख) बिहार राज्य के लिये अनुमोदित पुस्तकालय सेवा योजना की एक प्रति ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५]**

एम० ई० एस० के कर्मचारी

†२११. **श्री केशव अय्यंगार** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५५ को एम० ई० एस० में पहली से चौथी श्रेणी तक के कुल कितने कर्मचारी थे;

(ख) उनमें से उस तारीख तक किस श्रेणी के कितने आदमी स्थायी थे और कितने अस्थायी; और

(ग) अस्थायी कर्मचारियों में से कितनों की सेवा

(१) २० वर्ष से अधिक,
(२) २० वर्ष से कम और १० वर्ष से अधिक, तथा
(३) ३ वर्ष से अधिक और १० वर्ष से कम है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) से (ग). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६]**

सेना के भगोड़े

†२१२. **श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २ दिसम्बर १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिन सिपाहियों को सेना से भाग जाने के कारण निकाल दिया जाता है उनको निवृत्ति वेतन भी दिया जाता है ?

†**प्रतिरक्षा उपभंत्री (सरदार मजीठिया)** : जी, नहीं ।

उद्योगों में विनियोजन

†२१३. **श्री बर्मन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में बड़े उद्योगों में सरकारी क्षेत्र के मुकाबले में गैर-सरकारी क्षेत्र में कुल कितना विनियोजन था;

(ख) १९५४-५५ के अन्त तक दोनों में कितनी वृद्धि हुई; और

(ग) १९५४-५५ में प्रत्येक क्षेत्र में कितना शुद्ध लाभ हुआ ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) और (ख). कुछ अन्वीक्षात्मक प्राक्कलनों के अनुसार प्रथम योजना के प्रारम्भ में गैर-सरकारी क्षेत्र के विद्युत उपक्रमों तथा निर्माण उद्योगों का सकल विनियोजन ८०२ करोड़ रुपये और सरकारी क्षेत्र का १३४ करोड़ रुपये था। योजना के अन्त में गैर-सरकारी क्षेत्र का विनियोजन ११४२ करोड़ रुपये तथा सरकारी क्षेत्र का ४५४ करोड़ रुपये था ।

(ग) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी भाषाओं का स्कूल

†२१४. **श्री इब्राहीम** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्य विदेशी भाषाओं के स्कूल में भाषा-वार कितने विद्यार्थी पढ रहे हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (डा० काटज):

भाषा	विद्यार्थियों की संख्या
अरबी	६
चीनी	३१
फ्रेंच	११०
जर्मन	११
जापानी	१४
फारसी	१३
रूसी	५९
तिब्बती	५

राष्ट्रीय छात्र सेना दल

†२१५. **श्री इब्राहीम** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ के दौरान में राष्ट्रीय छात्र सेना दल में कितनी लड़कियां भर्ती हुईं ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)**: ९१ पदाधिकारी और २,७६० छात्र सैनिक ।

राष्ट्रीय छात्र सेना शिविर

†२१६. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में समाज सेवा तथा विकास कार्यों के लिये देश में कितने राष्ट्रीय छात्र सेना शिविर लगाये गये; और

(ख) उन्होंने क्या-क्या काम किये ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)**: (क) २४

(ख) एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७]**

भारत में फ्रांसीसी बस्तियां

†२१७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय विदेश विनिमय विनियमों के, जिनकी भारत के फ्रांसीसी क्षेत्रों के यथार्थ हस्तान्तरण के पश्चात् वहां पर लागू कर दिया गया था, अन्तर्गत उस क्षेत्र के निवासियों को कौन-कौन सी विनिमय की सुविधायें दी गई हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)**: जो विनिमय सम्बन्धी सुविधायें भारत के निवासियों को प्राप्त हैं वे सब सुविधायें भारत की भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों के निवासियों को भी दी गई हैं। उनके लिये विभिन्न कार्य करने के लिये दिसम्बर १९५५ तक समाप्त होने वाली १३ महीनों की अवधि में ७१·२४ लाख रुपये (लगभग) की विदेशी विनिमय सुविधायें दी गई हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा उत्पादन बोर्ड

२१८. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ९ दिसम्बर, १९५५ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा संगठन मंत्री के इंग्लैंड तथा अन्य दूसरे पश्चिम यूरोपीय देशों के दौरों के फलस्वरूप प्रतिरक्षा उत्पादन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र व कार्य प्रणाली में कोई परिवर्तन किया गया है अथवा किये जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन परिवर्तनों का विवरण सभा के टेबल पर रखा जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) जी हां, सिवा इसके कि सेना में काम आने वाली वस्तुओं का निरीक्षण भी अब बोर्ड के क्षेत्राधिकार में रहेगा ।

(ख) पहले इसमें कुछ संदेह था कि निरीक्षण बोर्ड के अन्तर्गत होना चाहिये अथवा सेनाओं के अन्तर्गत । परन्तु प्रतिरक्षा संगठन मंत्री की विदेश यात्रा और उसके फलस्वरूप प्राप्त अनुभव के बाद यह फैसला किया गया है कि निरीक्षण भी बोर्ड के अन्तर्गत होना चाहिये ।

फोर्ड प्रतिष्ठान

†२१९. **श्री सी० डी० पांडे :**
श्री एम० एल० द्विवेदी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संस्थाओं के नाम क्या हैं जिनको कि फोर्ड फाउंडेशन सहायता योजना के अन्तर्गत ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिये चुना गया है; और

(ख) उनमें से प्रत्येक को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है अथवा दी जाने की आशा है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) तथा (ख). एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८]**

सेना शिक्षा तथा चिकित्सा दल

†२२०. **श्री हेमराज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना शिक्षा तथा चिकित्सा दल में कितने व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं;

(ख) उनको कैसे भर्ती किया जाता है और उन्हें स्थायी होने के लिये कितनी अवधि चाहिये;

(ग) १९५३ से १९५५ तक इन सेवाओं में प्रतिवर्ष कितने व्यक्ति भर्ती किये गये;

(घ) इन वर्षों में कितनों को स्थायी बनाया गया; और

(ङ) स्थायी बनाने का क्या आधार रखा गया ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) तथा (ग). सूचना देना लोकहित में नहीं है ।

(ख), (घ) और (ङ) एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९]**

क्रीड़ा-संस्थाओं को अनुदान

†२२१. **श्री डी० सी० शर्मा :**
श्री के० के० दास :

क्या **शिक्षा** मंत्री लोक-सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में कि अखिल भारत क्रीडा परिषद की सिफारिशों के आधार पर १९५५-५६ में विभिन्न अखिल भारतीय क्रीडा संस्थाओं के दिये गये अनुदानों की राशियां दी गई हों ।

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०]**

---

†मूल अंग्रेजी में

चूने के पत्थर की खानें

†२२२. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होशियारपुर और कांगड़ा के ज़िलों में चूने के पत्थर की खानें पाई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे किन स्थानों पर पाई गई हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) तथा (ख). भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा कांगड़ा जिले के धर्मकोट स्थान पर चूने के पत्थर के निक्षेप पाये गये हैं। किन्तु उन्हें होशियारपुर जिले में किसी निक्षेप के बारे में कुछ पता नहीं ।

चोरी छिपे माल ले जाना

†२२३. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक १९५५-५६ में पश्चिम बंगाल की सीमा पर कितने तस्कर व्यापारी पकड़े गये हैं;

(ख) इस अवधि में कुल कितने रुपये की लागत का माल बरामद हुआ है;

(ग) उसमें मुख्य-मुख्य क्या वस्तुएं हैं; और

(घ) कितने तस्कर व्यापारियों को दंड दिया गया है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह)** : (क) १९५५-५६ में (३१ जनवरी १९५६ तक) पश्चिम बंगाल की सीमा पर कोई भी तस्कर व्यापारी नहीं पकड़ा गया है ।

(ख) इस अवधि में सक्षम सीमाशुल्क पदाधिकारियों ने सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत ९,५३,८८४ रुपये के मूल्य का माल जब्त किया ।

(ग) मुख्य-मुख्य वस्तुएं ये थीं, सुपारी, धनिये का बीज, चटाईयां, सेंदा नमक, सोना, चांदी, भारतीय और पाकिस्तान के करैंसी नोट, कपड़ा, कृत्रिम रेशम तथा दवाईयां ।

(घ) इस अवधि में किसी भी तस्कर व्यापारी पर न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया गया है ।

कच्चा लोहा

†२२४. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा हाल ही में नैनीताल जिले के तली रामगढ़ स्थान पर कच्चा लोहा ढूंढने के लिये कोई खोज की गई थी ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : जी हां । वहां कुछ पुराने पत्थर की खानें, लोहा मिश्रित बिल्लोर तथा रक्त वर्ण के पत्थर आदि तो मिले हैं किन्तु वहां कच्चे लोहे के निक्षेप नहीं दिखाई दिये हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का भूतत्वीय तथा खनिज निदेशालय इस वर्ष वहां और खोज करने का विचार कर रहा है ।

चूने के पत्थर की खानें

†२२५. **चौ० रघुबीर सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि देहरादून और मसूरी में चूने के पत्थर की खानों के लिये विस्तृत रूप से खोज की गई है: और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) जी, हां ।

(ख) पूछी गई सूचना के सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न किया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११]**

†मूल अंग्रेजी में

विधि आयोग

†२२६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २० दिसम्बर, १९५५ से लेकर आज तक विधि आयोग की कुल कितनी बैठकें हुईं हैं और उसने कितने दौरे किये ह ?

†**विधि कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)**: चार (इस में आयोग के दोनों विभागों द्वारा अलग-अलग की गई बैठकें भी सम्मिलित हैं) । आयोग ने अभी तक कोई दौरा नहीं किया है । आयोग तभी दौरे पर जायगा जब इसके द्वारा जारी की गई प्रश्नावली के उत्तर आ जायेंगे और उनकी छानबीन हो चुकेगी ।

भूतत्वीय सर्वेक्षण

†२२७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १९५४ और १९५५ के दौरान पंजाब, पेप्सू और हिमाचल प्रदेश में कोई भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई और नई कच्ची धातुएं मिली हैं;

(ग) उन धातुओं के नाम; और

(घ) उन स्थानों के नाम जहां पर ये धातुएं मिली हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). ऐसी सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२]**

पेप्सू में कल्याण विकास परियोजनाएं

†२२८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेप्सू में कितने स्थानों पर इस समय तक कल्याण विकास परियोजनायें आरम्भ की जा चुकी हैं तथा उनके नाम क्या हैं;

(ख) इन परियोजनाओं के अन्तर्गत कितने गांव आते हैं; और

(ग) इन पर १९५५-५६ के दौरान में कितना रुपया व्यय किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)**: (क) पूछी गई सूचना के सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १३]**

(ख) १७५ ।

(ग) यह सूचना वर्तमान वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उपलब्ध होगी ।

भारत में विदेशी विद्यार्थी

२२९. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल भारत में कितने विदेशी विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं; और

(ख) भारत सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत कितने विदेशी छात्र छात्र-वृत्तियां पा रहे हैं ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है । इसके इकट्ठा करने में जो मेहनत और समय चाहिये वह परिणाम के तुल्य नहीं है ।

(ख) ५१० ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, २ मार्च, १९५६]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३५६–७७

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
४००	पेप्सू में हडाया की खुदाई	३५६–५७
४०१	उत्तर प्रदेश में खनिजों की खोज	३५७–५८
४०२	एम० ई० एस० के कर्मचारी	३५८–५९
४०३	अधिकतम आय	३५९–६१
४०५	अन्दमान द्वीप समूह के बन ...	३६१–६२
४०६	हिन्दी टाइपराइटरों का प्रमापीकरण	३६२
४०८	प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विदेशी पदाधिकारी	३६२–६३
४०९	माध्यमिक शिक्षा	३६३–६४
४११	अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये अनुदान ...	३६४–६५
४१२	अखिल भारतीय शिक्षा सेवा	३६५–६६
४१४	तेल प्रोद्योगिकी ...	३६६–६७
४१५	तामिलनाड में तूफान	३६७–६९
४१७	कोलार की सोने की खानें	३६९–७०
४१९	आर्थिक विकास के लिये विशिष्ट संयुक्त राष्ट्रनिधि	३७०–७१
४२१	पुस्तकों का अनुवाद ...	३७१–७२
४२२	स्कैन्डिनेविया से सहायता	३७२–७३
४२३	शिल्पिक शिक्षा ...	३७३–७४
४२४	कहवा उगाने वालों पर आयकर	३७४
४२७	कुल धन संपत्ति पर वार्षिक कर ...	३७५–७६
४२८	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी	३७६–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३७७–८४

तारांकित प्रश्न संख्या		
४०४	गणराज्य दिवस समारोह	३७७
४०७	बैंक	३७७
४१०	बिहार की भाषायें	३७७
४१३	आर्थिक विकास संस्था, वाशिंगटन	३७७
४१६	अखिल भारतीय विधिजीवी संस्था	३७८
४१८	राजकोषीय एकाधिपत्य ...	३७८
४२०	स्कूलों में राजपथ संहिता को पढ़ाना ...	३७८
४२५	उच्च शिक्षा की ग्रामीण संस्थायें	३७८–७९
४२६	भारतीय कला प्रदर्शनियां	३७९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२०८ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ३७९
२०९ राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ३७९
२१० पुस्तकालय सेवा योजना ३८०
२११ एम० ई० एस० के कर्मचारी ३८०
२१२ सेना के भगोड़े ३८०
२१३ उद्योगों में विनियोजन ... ३८०
२१४ विदेशी भाषाओं का स्कूल... ३८१
२१५ राष्ट्रीय छात्र सेना दल ... ३८१
२१६ राष्ट्रीय छात्र सेना शिविर... ३८१
२१७ भारत में फ्रांसीसी बस्तियां... ३८१
२१८ प्रतिरक्षा उत्पादन बोर्ड ३८२
२१९ फोर्ड प्रतिष्ठान ... ३८२
२२० सेना शिक्षा तथा चिकित्सा दल ३८२
२२१ क्रीड़ा संस्थाओं को अनुदान ३८२
२२२ चूने के पत्थर की खानें ... ३८३
२२३ चोरी छिपे माल ले जाना ... ३८३
२२४ कच्चा लोहा ३८३
२२५ चूने के पत्थर की खानें ३८३
२२६ विधि आयोग ३८४
२२७ भूतत्वीय सर्वेक्षण ३८४
२२८ पेप्सू में कल्याण विकास परियोजनायें ... ३८४
२२९ भारत में विदेशी विद्यार्थी ३८४

M10LSD—2-5-57—190—GIPF.

खण्ड १ — अंक १४
२ मार्च, १९५६, (शुक्रवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २ — प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(XII Session)

(खण्ड १ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

३७ नये पैसे (देश में) दो शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

[खंड १—१५ फरवरी, १९५६ से ३ मार्च, १९५६ तक]

	पृष्ठ
संख्या १—बुधवार, १५ फरवरी, १९५६	
राष्ट्रपति का अभिभाषण	१–५
अध्यक्ष महोदय से सन्देश	६
श्री नटेशन का निधन	६
विशेषाधिकार प्रश्न ...	६–७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ...	७
स्थान प्रस्ताव—	
पुर्तगाली सशस्त्र सेना द्वारा भारतीय राज्यक्षेत्र का अतिक्रमण	८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ...	८–१०
लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक	१०
प्रतिभूति संविदायें (विनियमन) विधेयक	११
नौवहन नियंत्रण (जारी रखना) विधेयक	११
दैनिक संक्षेपिका ...	१२–१५
संख्या २—गुरुवार, १६ फरवरी, १९५६	
श्री मेधनाद साहा का निधन	१७
दैनिक संक्षपिका ...	१८
संख्या ३—शुक्रवार, १७ फरवरी, १९५६	
स्थगन प्रस्ताव—	
मनीपुर राज्य में गोली चलाना –	१९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२०–२२, २३
ग़ैर-सकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
तैंतालीसवां प्रतिवेदन ...	२१, ४६–४७
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक	२१
बिक्री-कर विधियां मान्यीकरण विधेयक	२१–२२
पूंजी निर्गम (नियंत्रण का जारी रखना) संशोधन विधेयक	२२
जीवन बीमा निगम विधेयक ...	२२
लोक-सभा का कार्य	२३, ४६
विशेषाधिकार का प्रश्न ...	२३
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, ...	२४–४२
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	४३–४६
औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प	४७–६४
दैनिक संक्षेपिका	६५–६६

संख्या ४--शनिवार, १८ फरवरी, १९५६

	पृष्ठ
कार्य मंत्रणा समिति—	
इकतीसवां प्रतिवेदन	६८
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	६७–७०
खंड १--२९	७०–९७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	९७
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विधि जीवी परिषद् (राज्य विधियों का मान्यीकरण) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	९७–१०४
खंड १--२ और अनुसूची ...	१०४–०५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ...	१०५
स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१०५–०६
खंड १--२	१०६–०७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	१०७
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—	
राज्य-सभा के संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव	१०७–१०
भारतीय रेडक्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	११०–१३
खंड १--९ और अनुसूची १--३ ...	११३–१४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	११४–१५
सेंट जान एम्बूलेंस एसोशिएसन (भारत) विधियों का स्थानान्तरण विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	११५–१९
खंड १--२ और अनुसूची ...	११६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	११६–१७
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	११७–२५
दैनिक संक्षेपिका ...	१२६
संख्या ५--सोमवार, २० फरवरी, १९५६	
आचार्य नरेन्द्र देव का निधन	१२७–२८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१२९
कार्य मंत्रणा समिति--	
इकतीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१२९
दो सदस्यों की नज़रबन्दी से रिहाई ...	१२९
राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव ...	१३०–७०
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१७०–८३
खंडों पर विचार	१८३–८७
दैनिक संक्षेपिका	१८८

पृष्ठ

संख्या ६---मंगलवार, २१ फरवरी, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... १८९–९०
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक--रायें १९०
राज्य-सभा से संदेश १९०
बहु-एकक सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, १९५६ १९१
प्राक्कलन समिति
उन्नीसवां प्रतिवेदन १९१
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक--
खण्ड १९१–९३
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १९३–९६
राष्ट्रपति का अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव १९६–२३५
दैनिक संक्षेपिका ... २३६–३७

संख्या ७---बुधवार, २२ फरवरी, १९५६

स्थगन प्रस्ताव--
कच्छ की खाड़ी के छाड़बेट में पाकिस्तानी सेना का बलात् प्रवेश २३९–४१
सभा-पटल पर रखे गये पत्र २४१–४२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
चालीसवां प्रतिवेदन ... २४२
समिति के लिये निर्वाचन--
दिल्ली विकास अस्थायी प्राधिकार ... २४३
राष्ट्रपति का अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव २४३–९१
दैनिक संक्षेपिका ... २९२–९३

संख्या ८---गुरुवार, २३ फरवरी, १९५६

सदस्य की गिरफ्तारी के लिये वारण्ट ... २९५
रेलवे आय-व्ययक का उपस्थापन ... २९५–३१३
राष्ट्रपति का अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव ३१३–५६
दैनिक संक्षेपिका ... ३५७

संख्या ९---शुक्रवार, २४ फरवरी, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३५९
राज्य-सभा से सन्देश ३५९
भारत लाख उपकर (संशोधन) विधेयक ... ३५९
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में याचिकाएं ३५९–६०
नौवहन नियंत्रण (जारी रखना) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... ३६०–७७
खण्ड २ और १ ... ३७७
पारित करने का प्रस्ताव ३७७–७८
पूंजी निर्गम (नियंत्रण का जारी रखना) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ३७८–८५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
चवालीसवां प्रतिवेदन ३८५
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा १७०क का रखा जाना) ३८५
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा ४२७क का रखा जाना) ३८६
विधान-मंडलों की कार्यवाही (प्रकाशन-संरक्षण) विधेयक ... ३८६
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक (धारा ६५, आदि के स्थान पर नई धारा रखना)--
विचार करने का प्रस्ताव ३८६-४०१
अनुपूरक अनुदानों की मांगें ४०१
श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४०१-०६
दैनिक संक्षेपिका ४०७-०८

संख्या १०--सोमवार, २७ फरवरी, १९५६

श्री जी० वी० मावलंकर का निधन ४०९-१६
दैनिक संक्षेपिका ४१७

संख्या ११--मंगलवार, २८ फरवरी, १९५६

श्री लालचन्द नवलराय का निधन ४१९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४१९-२०
राष्ट्रपति से सन्देश ४२०
राज्य-सभा से सन्देश ४२०
भारतीय रुई उपकर (संशोधन) विधेयक ४२१
एक सदस्य की गिरफ्तारी ४२१
प्राक्कलन समिति--
बीसवां प्रतिवेदन ४२१
समिति के लिये निर्वाचन
राष्ट्रीय सेना छात्र दल की केन्द्रीय मंत्रणा समिति ४२१
कृषिउत्पाद (विकास तथा गोदामों में रखने की व्यवस्था) निर्गम विधेयक ४२१-२२
पूंजी निर्गन (नियंत्रण का जारी रखना) संशोधन विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४२२-२३
खण्ड २, ३ और १ ... ... ४४३
पारित करने का प्रस्ताव ... ४४३
बिक्री कर विधियां मान्यीकरण विधेयक
विचार करने का प्रस्ताव ४४४-६३
दैनिक संक्षेपिका ४६४-६५

संख्या १२--बुधवार, २९ फरवरी, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ४६७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
पैंतालीसवां प्रतिवेदन ४६७

प्रतिभूति संविदायें (विनियमन) विधेयक ४६७
विक्री-कर विधियाँ मान्यीकरण विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४६८-८८
खण्ड २, ३ और १ ४८९-९२
पारित करने का प्रस्ताव ४९२
सभा का कार्य ४९२
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४९२-५१०
१९५६-५७ के सामान्य आय-व्ययक का उपस्थापन ५१०-३२
वित्त विधेयक ५३२
दैनिक संक्षेपिका ५३३

संख्या १३--गुरुवार, १ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ५३५
प्राक्कलन समिति--
इक्कीसवां प्रतिवेदन ५३५
सभा का कार्य--
बैठक का समय ५३५
१९५५-५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें ५३६...७६
विनियोग विधेयक ५७६
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ५७६-९१
दैनिक संक्षेपिका ५९२

संख्या १४--शुक्रवार, २ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ५९३-९४
राज्य-सभा से सन्देश ५९४
विनियोग विधेयक ... ५९४
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ५९५-६१२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
पैंतालीसवां प्रतिवेदन ६१२
सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं
की जांच के लिये समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प ६१३-३५
मद्य निषेध के लिये अंतिम तिथि निश्चित करने के बारे में संकल्प ६३५
दैनिक संक्षेपिका ६३६

संख्या १५--शनिवार, ३ मार्च, १९५६

स्थगन प्रस्ताव ६३७-३८
सभा-पटल पर रखा गया पत्र ६३९

वित्त विधेयक में छपाई की गलतियों के बारे में वक्तव्य ... ६३९

जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक——

विचार करने का प्रस्ताव ६३९–६८

खण्ड २ से १६ और १ ६६८–७७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ६७७–७८

दैनिक संक्षेपिका ६७९

M87LSD—190—21-3-58—GIPF

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

शुक्रवार, २ मार्च, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११.६९ म० पू०

सभा-पटल पर रखा गया पत्र

मनीपुर खाद्यान्न (यातायात) नियंत्रण आदेश

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : मैं पटल पर रखता हूं.....

†**डा० लंका सुन्दरम्** (विशाखपटनम्) : एक औचित्य प्रश्न है। उन्हें 'श्री ए० पी० जैन की ओर से' कहना चाहिये।

†**डा० पी० एस० देशमुख** : एक औचित्य प्रश्न उठाया गया है। मेरा विचार है कि जहां तक 'राज्यमंत्रियों' का सम्बन्ध है यह आवश्यक नहीं है क्योंकि वह एक दूसरे का कार्य करते हैं।

†**एक माननीय सदस्य** : ऐसा वह क्यों नहीं कहते।

†**डा० पी० एस० देशमुख** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा कहना आवश्यक है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : कोई भी माननीय मंत्री अपने स्थान का प्राधिकार किसी दूसरे को दे सकता है।

†**डा० पी० एस० दशमुख** : यह उसी मंत्रालय से सम्बन्धित है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्राधिकार की आवश्यकता नहीं है। परन्तु अभिलेखों को पूर्ण करने के लिये वह 'श्री ए० पी० जैन की ओर से' कह सकते हैं।

†**डा० पी० एस० देशमुख** : क्या प्रश्नों के सम्बन्ध में भी ऐसा ही होगा ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जब प्रश्न आयेंगे तब हम उस पर विचार कर लेंगे।

†**डा० पी० एस० देशमुख** : श्री ए० पी० जैन के स्थान पर, मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अधीन मनीपुर खाद्यान्न (संचरण) नियंत्रण आदेश १९५६,

†मूल अंग्रेजी में

M86LSD—1

[डा० पी० एस० देशमुख]

जो खाद्य और कृषि मंत्रालय अधिसूचना संख्या एफ० २०४ (१)/५६-पी. वाई. २ दिनांक २१ फरवरी, १९५६ में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस—७३/५६]**

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरा यह विचार है कि उसी मंत्रालय के सम्बन्ध में इस प्रकार के वक्तव्य की आवश्यकता नहीं है।

राज्य-सभा से संदेश

†**सचिव** : श्रीमान्, मुझे सभा को, राज्य-सभा से प्राप्त निम्न दो सूचनायें बतानी हैं :

(१) राज्य-सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १२५ के उपबन्धों के अनुसार, मुझे लोक-सभा को यह सूचना देनी है कि राज्य-सभा ने २८ फरवरी, १९५६ को हुई अपनी बैठक में, लोक-प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, जिसको लोक-सभा ने १८ फरवरी, १९५६ को हुई अपनी बैठक में पारित किया था, बिना किसी संशोधन के सहमति प्रकट की है।

(२) राज्य-सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १९१ के उपबन्धों के अनुसार, मुझे लोक-सभा को यह सूचना देनी है कि राज्य-सभा ने २८ फरवरी, १९५६ को हुई अपनी बैठक में, लोक-सभा द्वारा १८ फरवरी, १९५६ को विधि जीवी परिषद् (राज्य विधियों की मान्यता) विधेयक १९५५ में, किये गये निम्न संशोधनों से सहमति प्रकट की है।

अधिनियम सूत्र

१. पृष्ठ १ पंक्ति १ में 'sixth year' [छठे वर्ष] शब्द के स्थान पर "seventh year" (सातवें वर्ष) शब्द रख दिये जांये।

खण्ड १

२. पृष्ठ १, पंक्ति ४ में '१९५५' [1955] शब्द के स्थान पर '१९५६' [1956] शब्द रख दिया जाये।

विनियोग विधेयक

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :*

"कि वित्तीय वर्ष १९५५–५६ के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ

खण्ड १ से ३ अनुसूची विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये

†**श्री एम० सी० शाह** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब श्री सी० डी० देशमुख द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा जारी होगी। इस विधेयक के लिये आवंटित कुल समय में से ८ घंटा ८ मिनट शेष हैं। २४ सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं। मैं १५ मिनट प्रत्येक को दे सकता हूं।

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : इसमें से २ घंटे खण्डवार चर्चा के लिये तथा आधा घंटा तृतीय वाचन के लिये चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस प्रकार ५-३० घंटे रह जाते हैं। माननीय मंत्री के लिये ४५ मिनट छोड़ कर शेष पौने पांच घंटे रह जाते हैं। मैं प्रत्येक सदस्य को १० से १५ मिनट तक दे सकता हूं।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने आपने भाषण में इस बिल का स्वागत किया था और यह कहा था कि यदि जो हम राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं इसको विकेन्द्रीयकरण कर दें तो ज्यादा उपयुक्त होगा, अर्थात् जितनी राज्य सरकारें हैं उनके जिम्मे यह काम कर दिया जाय। इससे जितना भी यह काम है वह बहुत सरलता से और ज्यादा अच्छी तरह से चल सकेगा। इस सम्बन्ध में मैंने यह भी बताया था कि कुछ देशी रियासतें मसलन मैसूर, ग्वालियर, इन्दौर, बीकानेर इत्यादि ऐसी थीं जिन्होंने इस व्यवसाय को चलाया था और जिन्होंने अपने तमाम कर्मचारियों के लिये जीवन बीमा कराना अनिवार्य कर दिया था। उनका यह परीक्षण सफल रहा और अब मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वे छोटे हों या बड़े, उन सबके लिये बीमा कराना अनिवार्य कर दिया जाय। इससे उनको यह फायदा होगा कि जब वे रिटायर होंगे तो उनको जीवन बीमे की रकम मिल जायेगी जिससे कि वे अपना निर्वाह अच्छी प्रकार चला लेंगे। उनको जो पेंशन मिलती है, कई केसिस (मामलों) में वह इतनी कम होती है कि उनका गुज़ारा भी नहीं हो सकता और ऐसी हालत में उनको बीमे का जो रुपया मिलेगा उससे उनको कितनी रिलीफ (सहायता) मिल सकता है इसका अन्दाजा सहज ही लगाया जा सकता है। साथ ही साथ उस आदमी के जो उत्तराधिकारी होते हैं उनके लिये भी यह जो बीमा है बहुत सहायक सिद्ध होता है। उनको वक्त पर यह रुपया मिल जाय तो वे अपने बच्चों की पढ़ाई को जारी रख सकते हैं और उनको अपने गुज़ारे के लिये भी दूसरों का मोहताज नहीं होना पड़ता है। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि सभी सरकारी कर्मचारियों के लिये, चाहे वे बड़े हों या छोटे, चाहे वे दफ्तरों में हों या सरकारी व्यवसायों में, जीवन बीमा कराना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिये।

साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार आजकल जीवन बीमे पर जो कमीशन एजेंटों को देती है, वही कमिशन सरकार को कर्मचारियों को देनी चाहिये जिनके लिये कि जीवन बीमा अनिवार्य होगा और उनके लिये यह आवश्यक नहीं होना चाहिये कि वे एजेंटों की मार्फत बीमा करायें। जो कमिशन की रकम है वह आंशिक रूप से पहले प्रीमीयिम में से काटी जा सकती है और यदि ऐसा किया गया तो इससे कर्मचारियों को इंसेंटिव (प्रोत्साहन) मिलेगा और जीवन बीमा और भी ज्यादा लोकप्रिय हो जायगा।

जीवन बीमे को नेशनलाइज़ करने के बारे में वित्त मंत्री जी ने एक कारण यह बताया कि इसमें बहुत सी खराबियां पैदा हो गई थीं जिनको दूर करना बहुत जरूरी था। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि एक स्टेट जो अपने आपको वेलफेयर स्टेट कहती है उसके लिये यह आवश्यक है कि वह जीवन बीमा जैसे व्यवसाय को अपने हाथ में ले और ऐसे महत्त्वपूर्ण व्यवसाय को प्राइवेट सैक्टर के हाथ में रहने देना किसी भी कारण से उचित नहीं समझा जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि फंड (निधि) को इधर उधर कर दिया जाता था, इनका दुरुपयोग किया जाता था और इसी तरह की और भी बहुत सारी खराबियां इस व्यवसाय में देखने में आई। साथ ही साथ उन्होंने कहा

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राधेलाल व्यास]

कि अब जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिये वह यह कि खर्चा कम से कम हो और एफीशेंसी (कार्यपटुता) ज्यादा से ज्यादा हो। उन्होंने यह भी कहा कि मुनाफे की भावना को हटा देना चाहिये। अब हमें देखना यह है कि जिन उद्देश्यों के लिये राष्ट्रीयकरण किया गया है वे पूरे होते हैं या नहीं। इस वक्त भी बहुत से व्यवसाय राज्य के पास हैं जैसे मशीन टूल्स का मैनुफेकचर है, फरटिलाइज़र फैक्टरी है और इसी तरह के और भी कई बहुत से कार्य हैं जो सरकार स्वयं कर रही है और कईयों को निकट भविष्य में शुरू करने वाली भी है। रेलवेज़ तो बहुत देर से सरकार के अधीन हैं। वहां पर प्राफिट जो होता है उसको उस तरह से नहीं देखा जाता है जिस तिरह कि देखना चाहिये। वहां पर जो खर्च होता है उसका भी लिहाज नहीं रखा जाता। यह भी नहीं देखा जाता है कि जो खर्च किया जा रहा है क्या उसका किया जाना वाजिब है और किस तरह से उसको कम किया जाय। मुझे आशा है कि आगे के लिये सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि जितना खर्चा जीवन बीमा व्यवसाय पर अब तक होता था, राष्ट्रीयकरण के बाद उस पर उससे कम हो। इस बात का सरकार को तखमीना भी लगाते रहना चाहिये और यह देखते रहना चाहिये कि खर्चा जितना कम हो उसको उतना ही कम किया जाय। जिन-जिन राज्यों का मैंने पहले ज़िक्र किया है जहां पर कि सरकारों द्वारा जीवन बीमा चलाया गया था, यह मैं अपने तजुर्बे से बता सकता हूं कि बहुत कम खर्चे में उन्होंने इसको चलाया। जो एकाउंटेंट-जनरल उस स्टेट का होता था वह तो लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी का सैक्रेटरी होता था जिसको कि अपनी निजी तनख्वाह के सिवाय और कुछ भी नहीं मिलता था। जो वहां का असिस्टेंट एकाउंटेंट-जनरल था वह लाइफ इनश्योरेंस का डेपुटी सैक्रेटरी था। इन दो आदमियों के सिवाय एक एकाउंटेंट था और चार या पांच क्लार्कस थे। इतने छोटे से स्टाफ के ज़रिये सारा काम चलता था। जहां तक प्रोपोज़र्ज़ (प्रस्तावकों) के मेडिकल एग्जेमिनेशन का ताल्लुक है यह एक सरकारी डाक्टर किया करता था जिसको कि कुछ फीस जरूर दी जाती थी। बहुत ही इकोनोमिकली (मितव्ययता) वहां पर लाइफ इनश्योरेंस का काम किया जाता था। अब जब कि हम लाइफ इनश्योरेंस को नेशनलाइज करने जा रहे हैं मैं सजेस्ट (सुझाव) करता हूं कि इसको दो विभागों में बांट दिया जाय, एक तो सरकारी कर्मचारियों के लिये और दूसरा पब्लिक (जनता) के लिये। जहां तक सरकारी कर्मचारियों की लाइफ इनश्योरेंस का ताल्लुक है, वह काम हमारे सरकारी विभागों द्वारा ही किया जाना चाहिये। हां, उनको यह काम करने के लिये कुछ थोड़ा सा एडिशनल स्टाफ (अतिरिक्त कर्मचारी) दिया जा सकता है। यदि ऐसा किया गया तो मैं समझता हूं कि कम से कम खर्चे में अधिक से अधिक मुनाफा पालिसी होल्डर्ज को मिल सकेगा और साथ ही साथ हमारा जो इसको लोकप्रिय बनाने का उद्देश्य है वह भी कुछ हद तक पूरा हो सकेगा।

किसी भी कार्य को चलाने के लिये जो उसके कर्मचारी होते हैं वही उसकी रीढ़ की हड्डी होते हैं। और उस कार्य की सफलता और विफलता उन कर्मचारियों पर ही निर्भर करती है। यह मानी हुई बात है कि आज जो कम्पनियां इस काम को चला रही थीं उनमें बहुत से योग्य और अनुभवी अधिकारी थे, साथ ही उनमें ऐसे भी अधिकारी थे जिनको मेनेजमेंट ने अपने रिश्तेदार आदि होने के कारण रख लिया था और जो अयोग्य होते हुए भी बड़ी-बड़ी तनख्वाहें ले रहे थे। अगर इस व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाना है तो यह जरूरी है कि इस व्यवसाय में काम करने वाले कर्मचारी, चाहे वे छोटे हों या बड़े, योग्य होने चाहियें, उनमें ईमनदारी होनी चाहिये और उनमें काम करने की शक्ति होनी चाहिये। इस कार्य को केवल शहरों तक ही सीमित नहीं रखना है, वरन् इसका उद्देश्य यह है कि इसको देहातों में भी फैलाया जाय ताकि देश का गरीब से गरीब आदमी भी अपनी आय में से कुछ बचत करके राष्ट्रनिर्माण के लिये दे सके। इसलिये इस काम को सफल बनाने के लिये यह बहुत आवश्यक है कि इसके कर्मचारियों को अच्छी ट्रेनिंग दी जाय।

जहां तक एजेंट्स का सवाल है हमको यह बतलाया गया था कि हजारों तो डमी (नाममात्र) एजेंट बन गये हैं। पिछली दफा भी इस विषय की चर्चा हुई थी उस समय भी यही कहा गया था। आज होता यह है कि अगर किसी को बीमा करवाना होता है तो वह यह कहता है कि मेरी पत्नी को एजेंट बनवा दिया जाये ताकि उसको मेरे पहले प्रीमियम में से ३५ या ५० पर सेंट कमीशन मिल जाये और जब तक मैं प्रीमियम देता रहूं तब तक उसका पांच या सात पर सेंट मिलता रहे। आज ऐसे हजारों एजेंट हैं जो कि कभी घर से बाहर नहीं निकले और किसी का बीमा नहीं करवाया, केवल पांच रुपये देकर एजेंट बन गये मैं समझता हूं कि इस व्यवसाय में एजेंट का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है और उसकी योग्यता पर ही इस व्यवसाय की उन्नति निर्भर करती है। जो लोग बीमा करवाते हैं वे अपने प्रीमियम में से कुछ कंसेशन लेना चाहते हैं या अपने किसी रिश्तेदार को एजेंट बनवाकर उसके द्वारा अपना बीमा करवाते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि इस बुराई को दूर करने के लिये यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि जो लोग सीधे आकर अपना बीमा करवाना चाहें उनको प्रीमियम में कुछ कनसेशन दिया जाये। ऐसा करने से लोग सीधे आकर अपना बीमा करवायेंगे और एजेंट के मार्फत नहीं आवेंगे।

इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में मेरा दूसरा सुझाव यह है कि एजेंटों के लिये कोई परीक्षा रखी जानी चाहिये, जैसे कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षा है। उसके लिये सरकार को कोई कालेज आदि खोलने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार केवल कोर्स (पाठ्यक्रम) निश्चित कर दे और उस परीक्षा की फीस निश्चित कर दे और यह जरूरी करदे कि जो उस परीक्षा को पास कर लेगा उसको एजेंट बनने का अधिकार होगा। ऐसा करने से बहुत लोग एजेंट बन सकेंगे और आजकल जो एजेंट कम होने से अनुचित लाभ उठाया जा रहा है वह बन्द हो जायेगा। आजकल इसी तरह की बात नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के बारे में भी हो रही है। आजकल जमींदारों को मुआवजा दिया जा रहा है सरकार चाहती है कि उसमें से वे लोग कुछ रुपये का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदें और इसके लिये कुछ रुपया काट लिया जाता है। लेकिन सरकारी कर्मचारी एजेंटों को वह पैसा दे कर कमीशन दिलवाते हैं। यह जरूरी बात है कि जब वे ऐसा करते हैं तो उसमें कुछ हिस्सा अपने लिये भी कमीशन का रखते होंगे। अगर इस व्यवसाय में एजेंट्स की संख्या कम रही तो यहां भी यही हालत रहेगी। जिसको बीमा करवाना होगा वह अपने जाने हुए एजेंट के द्वारा बीमा करवायेगा और उसके कमीशन में से कुछ हिस्सा भी लेगा। इसको दूर करने का यही तरीका हो सकता है कि जो स्वयं सीधा अपना बीमा करवाने को आवे उसको कुछ प्रीमियम पर रिबेट (छूट) दिया जाया करे, जैसा कि किताबें बेचने वाले खरीदने वालों को कुछ कमीशन दे दिया करते हैं। और एजेंट उन्हीं लोगों को बनाया जाय जो कि निर्धारित परीक्षा पास कर लें। ऐसा करने से इस व्यवसाय की काफी तरक्की हो सकती है।

एक बात और है कि इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार देश में होना चाहिये। इस कार्य को पटवारी, स्कूल मास्टर और ग्राम सेवक बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर यह व्यवस्था कर दी जाय कि इन लोगों को बिना लाइसेंस लिये ही यह काम करने का अधिकार होगा और बीमा कराने पर इनको एजेंटों की भांति कुछ कमीशन भी दिया जायेगा तो मैं समझता हूं कि यह व्यवसाय काफी तरक्की कर सकेगा और देहातों में अधिक से अधिक फैल सकेगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने कल अपने भाषणों में, और पहले भी जिस रोज कि यह बिल पेश हुआ था, यह ऐतराज किया था कि आखिरकार जब जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है तो जनरल बीमा व्यवसाय का भी राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया जाता और इसके साथ ही बैंकिंग का भी राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया जाता। मैं समझता हूं कि अगर सरकार ने अभी इन चीजों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया है तो इसके मानी यह नहीं हैं कि वह ऐसा करना ही नहीं चाहती। इस वर्ष हमने इंपीयिरल बैंक आफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया है। इसके यह मानी नहीं हैं कि यह कोई आखिरी चीज हो गयी। अभी एक चीज हाथ में ली है, उसका अनुभव लेंगे और उसको ठीक जमा लेने के बाद फिर अगला कदम

[श्री राधेलाल व्यास]

आगे बढ़ायेंगे । आज जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया है । पर इसके यह मानी नहीं हैं कि आगे जाकर जनरल बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा । इस काम को जमा लेने के बाद अगला कदम उठाया जायेगा जिसमें उसका भी राष्ट्रीयकरण होगा । थोड़ी चीजों को सफलतापूर्वक चलाना ज्यादा अच्छा है बनिस्बत इसके कि बहुत सी जिम्मेदारियां को एक साथ अपने ऊपर ले लिया जाय और उनमें गड़बड़ी पैदा हो । सरकार ने जो कदम उठाया है वह सही है और मैं समझता हूं कि जल्दी ही सरकार बैंकिंग और जनरल इनश्योरेंस के राष्ट्रीयकरण का भी कदम उठायेगी ।

एक ऐतराज़ माननीय सदस्य श्री अशोक मेहता जी ने यह उठाया था कि सरकार ने पहले यह आर्डिनेंस क्यों जारी किया । अगर उनको राष्ट्रीयकरण करना था तो पहले हमारे सामने एक बिल लाते और उसको पास करवाते । लेकिन मैं तो समझता हूं कि सरकार ने आर्डिनेन्स पास करके बहुत अच्छा किया । अगर सरकार यह आर्डिनेन्स जारी न करती तो वही परिणाम होता जैसा कि वित्त मंत्री जी ने बतलाया था । उसका नतीजा यह होता कि एकाउंट इधर से उधर कर दिये जाते, फर्जी दस्तावेज तैयार किये जाते पुराने दस्तावेजों की जगह नये बनाये जाते । क्या इस सबका रोकना सम्भव हो सकता था । उसके बाद फिर सरकार को कानून द्वारा अधिकार लेकर इन सारे मामलों को फिर से खोलना पड़ता और बड़ी हैरानी का सामना करना पड़ता । इससे तो यही अच्छा हुआ कि लोगों को बुराई करने का मौका ही नहीं मिला । लोगों को २४ घंटे तक का मौका नहीं मिला । एक कम्पनी के मैनेजर तो यह कहते सुने गये थे कि वित्त मंत्री कम से कम २४ घंटे का तो मौका देते । मैं तो सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उसने आर्डिनेन्स जारी करके बहुत अक्लमन्दी का सबूत दिया और लोगों को बुराई और बेईमानी करने का मौका नहीं दिया । अतएव मैं इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

†**श्री फीरोज गांधी :** (ज़िला प्रतापगढ़—पश्चिम व ज़िला राय बरेली—पूर्व) : मैं इस विधेयक तथा माननीय वित्त मंत्री के विचारों से पूर्णतया सहमत हूं तथा जीवन बीमा के सरकारी क्षेत्र में आने का स्वागत करता हूं ।

जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर, हमें राष्ट्रीय योजना के आधार पर विचार करना चाहिये और हमारी राष्ट्रीय योजना समाजवादी उद्देश्य के आधार पर है । इसीलिये मेरा विचार है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये यह कदम बड़ा ही उचित तथा शक्तिशाली है । मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि सरकार ऐसी नीति निर्धारित करे जिससे गैर-सरकारी क्षेत्र को पूर्णत: ज्ञात हो जाये कि सम्पूर्ण पूंजी विनियोजन राज्य के हित के लिये होना चाहिये ।

मेरा विचार है कि गैर-सरकारी समवायों तथा संस्थाओं में लगभग १२ प्रतिशत जीवन बीमा पूंजी लगी हुई है और इस अध्यादेश से हमने इस प्रकार कुल अंश पूंजी के १२ प्रतिशत का राष्ट्रीयकरण कर दिया है । परन्तु इस राष्ट्रीयकरण से उद्योगों में कुछ चिंता हो गई है और आपत्ति उठाई गई है कि यह कार्य अध्यादेश के द्वारा क्यों किया गया है । परन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि यदि यह कार्य अध्यादेश के द्वारा नहीं किया जाता तो स्थिति बहुत ही अधिक बिगड़ जाती । मैं मानता हूं कि केवल कुछ व्यक्तियों के कारण यह व्यवसाय बदनाम हुआ है अन्यथा बीमा एक सहकारी उपक्रम था ।

इन बीमा समवायों की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री बहुत कुछ बता चुके हैं । मैं केवल कौटिल्य के अर्थ शास्त्र में बताई गई व्यवस्था बताता हूं । कौटिल्य ने बताया है कि गबन लगभग ४० प्रकार से किया जाता है और यह सभी कार्य इन बीमा समवायों में किये जा रहे हैं ।

कल श्री अशोक मेहता तथा श्री गुरुपादस्वामी ने बताया कि बीमा समवाय तथा बैंकिंग उद्योग आपस में मिले जुले हैं । श्री अशोक मेहता ने केवल एक उदाहण दिया था परन्तु मेरा विचार है कि इस प्रकार की सभी उदाहरण प्रस्तुत करना लोक हित में है । बिड़ला सिंहानिया, टाटा, गोयनका, श्री तुलसीदास

†मूल अंग्रेजी में

किलाचन्द तथा डालमिया जैन सभी की बीमा समवाय भी हैं तथा बैंक भी हैं। डालमिया जैन का नाम विशेषतया उल्लेखनीय है। जिस दिन डालमिया को गिरफ्तार किया गया था उसी दिन श्री शांति प्रसाद जैन भारत बीमा समवाय के निदेशक चुन लिये गये थे। इन सभी समवायों में लाखों व्यक्तियों ने बीमा करवाया हुआ है। तथा ५५ करोड़ रुपया बीमे की किस्त के रूप में आता है।

बीमा समवाय को चलाने के लिये बहुत कम धन की आवश्यकता पड़ती है। ओरियन्टल बीमा समवाय को ले लीजिये। इसकी प्रदत्त पूंजी ६ लाख रुपया है तथा जीवन निधि ७९ करोड़ रुपया है। आज देश में लगभग १७० बीमा समवाय हैं जिनमें से वित्त मंत्री के अनुसार २५ का दिवाला निकल चुका है तथा २५ ने अपनी निधि का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उन्हें अपना व्यापार दूसरे समवाय को हस्तान्तरण करना पड़ा तथा हानि बीमाधारों को उठानी पड़ी।

वर्तमान समवायों को ले लीजिये ६६ समवायों ने, बीमा नियंत्रक को ७–७–१९५५ को अपने लेख तथा विवरणियां प्रस्तुत नहीं की थीं। २३ ने १९५४ के लेखों तथा विवरणियों को अक्तूबर, १९५५ तक प्रस्तुत नहीं किया है। १७० में से केवल ११ समवायों को प्रशासकों ने अपने हाथ में ले लिया है। अध्यादेश जारी हो जाने के पश्चात ४ समवाय और इसमें सम्मिलित हो गये हैं। यह गैर-सरकारी क्षेत्र का प्रबन्ध है।

बीमानिदेशक ने विवरणियां प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि यह विवरणियां केवल इसलिये प्रस्तुत नहीं की गई हैं क्योंकि यह समवाय उनको प्रस्तुत करने की इच्छा अथवा क्षमता नहीं रखते हैं।

१९५४ में इन समवायों ने ५४ करोड़ रुपया एकत्रित किया था तथा लगभग १५।। करोड़ रुपया इस ५४ करोड़ को एकत्रित करने के लिये व्यय किया था। इसके अतिरिक्त सरकार ने छोटी बचत योजना में १९५१–५२, १९५२–५३, १९५३–५४ में क्रमशः ४८·६ करोड़, ४८·७ करोड़ तथा ४३·६ करोड़ रुपया एकत्रित किया था और बीमा समवायों ने क्रमशः ४०·७ करोड़, ४५·२ करोड़ और ४७·८ करोड़ रुपया एकत्रित किया। आय-व्ययक में वित्त मंत्री ने बताया है कि छोटी-बचत की राशि ६५ करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

श्री अशोक मेहता ने यह पूछा था कि बीमा निदेशक ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की? पहले मैं भी इस पक्ष में था परन्तु पूर्णतया विचार करने पर मुझे ज्ञात हुआ कि कार्यवाही करना बड़ा कठिन है। दो वर्ष पूर्व सरकार एक समवाय का प्रशासक नियुक्त करना चाहती थी परन्तु कानूनी सलाहकारों ने बताया कि ऐसा नहीं किया जा सकता है।

बीमा अधिनियम का दस बार संशोधन किया जा चुका है, परन्तु आप संशोधन करते रहिये और बीमा समवायों के स्वामी इस प्रकार के रास्ते निकालते रहेंगे जिससे वह जनता को लूटते रहें। बीमा समवाय के स्वामी मालदार होते हैं। निदेशक यह कैसे जान सकता है कि वह कब भ्रष्ट होने जा रहा है।

बीमा उद्योग अब देश की जनता की भलाई नहीं कर रहा है। प्रत्युत बीमाधारी को लूटने का षड्-यन्त्र है। इन समवायों के व्ययगत अनुपात की जांच मैंने की है। १९५३ में आल इंडिया जनरल इन्श्योरैंस कम्पनी का दो वर्षों का व्ययगत अनुपात ३९ प्रतिशत था। इन्हीं वर्षों तथा अवधि में भास्कर इन्श्योरेंस का व्ययगत अनुपात ५५ प्रतिशत, बम्बई लाइफ इंश्योरेंस का ४९ प्रतिशत, बम्बई म्युचुअल का ३७ प्रतिशत, फ्री इंडिया जनरल का ३१ प्रतिशत, हिन्दुस्तान कोआपरेटिव का ३८ प्रतिशत, लक्ष्मी इन्श्योरैंस का ३५ प्रतिशत, लांग लाइफ इन्श्योरैंस का ६६ प्रतिशत, नेशनल इंश्योरैंस का ३८ प्रतिशत, न्यू एशियाटिक का ४७ प्रतिशत, न्यू ग्रेट इंश्योरैंस का ३७ प्रतिशत, न्यू इंडिया का ४० प्रतिशत, ओरियन्टल का २० प्रतिशत, रूबि जनरल का ४० प्रतिशत, कर्मशियल इंश्योरैंस का १०० प्रतिशत रहा है।

[श्री फीरोज गांधी]

एम्पायर आफ इंडिया इंश्योरैंस कम्पनी का व्ययगत अनुपात १४ प्रतिशत है यह सबसे कम है तथा यह केवल इस कारण कि इसका प्रबन्ध, प्रशासक के हाथ में है ।

वित्त मंत्री ने जीवन निधि के उस प्रयोग की ओर निर्देश किया है। उन्होंने कुछ उदाहरण दिये तथा कुछ मैं प्रस्तुत करता हूं। एक बीमा समवाय के स्वामी का एक अन्य समवाय था । दूसरे समवाय ने बम्बई में कुछ भूमि ११,४०,०७७ रुपये में खरीदी । कुछ माह पश्चात् यह भूमि पहले समवाय को ४०,९०,६५४ रुपये में बेच दी गई । दोनों का स्वामी एक ही व्यक्ति था ।

दूसरा उदाहरण लीजिये । बीमा समवाय ने एक बैंक के कुछ शेयर खरीदे तथा बैंक का दिवाला निकल गया । मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि वह अपनी संस्था के शेयर कम मूल्य पर खरीद रहे थे तथा इस प्रकार इन बीमा समवाय निधि से धन कमा रहे थे ।

तीसरा उदाहरण, इस समवाय ने बिहार की कोयले की खानों में शेयर खरीदे तथा दुबारा बेनामीदारों को बेच दिये। चौथे समवाय ने भी ऐसा ही किया। पांचवें समवाय ने बम्बई की एक कपड़ा मिल में २६ लाख रुपये के शेयर खरीदे। उसी दिन ये शेयर ५२,००० रुपये की हानि उठा कर बेच दिये गये। छठे समवाय ने बम्बई की एक दूसरी कपड़ा मिल के ४७,७०,००० रुपये के शेयर खरीदे। यह भी उसी दिन १,५९,००० रुपये की हानि उठाकर बेच दिये गये । सातवें समवाय ने बम्बई के एक समाचारपत्र में २६,१०,००० रुपये के शेयर खरीदे कुछ माह पश्चात् यह भी ६७,५०० रुपये की हानि उठा कर बेच दिये गये। आठवें समवाय ने निदेशक टिप्पण पुस्तिका में पृष्ठों पर गिनती ही नहीं लिखी थी। ९वें मामले में न्यायवादी की शक्तियां एक ऐसे व्यक्ति को दी गई थीं जो बिल्कुल अजनबी था। वह न तो इस बीमा कम्पनी के निदेशक बोर्ड का कोई सदस्य था और न ही कोई लेखा अधिकारी आदि था। यह एक विचित्र मामला है। कुछ प्रकार के लेन देनों में मूल्यांकन किया गया है। मैं आपको एक मूल्यांकन रिपोर्ट का उद्धरण पढ़कर सुनाता हूं ।

†**श्री जी० डी० सोमानी** (नागौर-पाली) : वह एक उदाहरण दे रहे हैं और उसे बारबार दोहरा रहे हैं ।

†**श्री फ़ीरोज गांधी** : अन्य कम्पनियों का निर्देश अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जा चुका है। मैं उसी कम्पनी का हवाला दूंगा जिसमें मैं विशेषज्ञ हूं ।

हां तो मैं रिपोर्ट पढ़ कर सुनाने जा रहा था । यह मूल्यांकन रिपोर्ट एक प्रकार का व्यवस्थित अपराधिक षड्यन्त्र है । यह एक ही सम्पत्ति की दूसरे मूल्यांकिक द्वारा दी गई दूसरी रिपोर्ट है । कुछ आंकड़ों को छोड़ कर यह बिल्कुल वही पहली रिपोर्ट ही है ।

अब मैं एजेंटों की ओर आता हूं । श्री अशोक मेहता ने इनका पूरा विवरण दे दिया है कि ये कौन व्यक्ति हैं, इनके पीछे कौन छुपा होता है आदि । ये व्यक्ति केवल मालिक अथवा प्रबन्धक को जो रुपया उन्हें उससे प्राप्त होता है वापिस देने के लिये ही रखे होते हैं । इस कार्य के लिये उन्हें लगभग प्रतिमास १५० रुपये तक मिल जाते हैं ।

सरकार को बीमा कम्पनियों के कर्मचारियों को यह आश्वासन देना चाहिये कि वह उन्हें सेवा से मुक्त नहीं करेगी । वास्तव में इस व्यवसाय के बढ़ने की ही समभावनायें हैं। अतः किसी भी कर्मचारी को निकालने में कोई युक्ति नहीं दिखाई देती है । कुछ ऐसी भी शिकायतें हैं कि कुछ कम्पनियों के कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं दिया गया है । वित्त मंत्री को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये ।

बीमा का कार्य प्रारम्भ करने के लिये बहुत थोड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है । फिर तो यह भाग्य और पुरुषार्थ का खेल मात्र रह जाता है । अब सरकार बीमा कम्पनियों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने जा

†मूल अंग्रेजी में

रही है और बड़ी शीघ्र ही उनका राष्ट्रीयकरण होने जा रहा है। मुझे आशा है कि जन साधारण तथा पालिसी होल्डर सभी सरकार को सहयोग देने के लिये आगे आयेंगे।

मैं श्री गुरुपादस्वामी के इस सुझाव से पूर्णत: सहमत हूं कि एक की बजाय चार निगम होने चाहियें। उनमें प्रतियोगिता होने दीजिये ताकि प्रत्येक निगम यह दिखा सके कि वह क्या कर सकता है। अब सरकार को जीवन बीमा को रहीम के इस कथन के अनुसार चलाना चाहिये :

तरुवर फल नहिं खात है,
सरवर पिये न पान।

गैर-सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी कमी यही है कि वह केवल फल से ही प्यार करते हैं और वृक्ष की कोई चिन्ता नहीं करते हैं। अस्तु, इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री जी० डी० सोमानी** : मैं वित्त मंत्रालय को इस मामले को पूर्णतया गुप्त रखने के लिये बधाई देता हूं। यह अध्यादेश बीमा कम्पनियों के प्रबन्धकों के लिये एक विस्फोट की तरह था। इस सबका श्रेय वित्त मंत्री को है इसमें कोई सन्देह नहीं कि जीवन बीमा के मामले की काफी देर से छानबीन की जा रही थी। किन्तु किसी को यह आशा नहीं थी कि सरकार इतनी जल्दी से और इस प्रकार से इसकी घोषणा कर देगी। जैसे श्री अशोक मेहता ने कहा है इस मामले के लिये अध्यादेश जारी नहीं किया जाना चाहिये था। इस प्रकार का सदूर-प्रभावी विषय पहले संसद् में रखा जाना चाहिये था। वित्तमंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि इसमें कई खतरे थे। जब तक यहां पर विधेयक पर चर्चा होती कम्पनियां उस आन्तरिक काल में अपने संसाधनों को इधर उधर बिखेर सकती थीं। किन्तु वित्त मंत्री ने यह ठीक अनुमान नहीं लगाया है। इस में तो उन्होंने उलटे अपने विभाग की कमजोरी ही प्रगट की है वह इस प्रकार की बातों को नही रोक सकते हैं। जो कोई लोग इस प्रकार हेरा फेरी करने का प्रयत्न करते वह उन्हें दण्ड दे सकते थे। इससे लोगों को अध्यादेश जारी करने तथा इस सभा द्वारा अब पहले से किये कृत्य के लिये विधेयक बनाने की अपेक्षा अधिक लाभ हो सकता था।

बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने के लिये यह जो कठोर कदम उठाया गया है उसकी तह में कम्पनियों के कुछ कदाचार बताये गये हैं। उनकी अनियमिताओं का एक के बाद दूसरा चित्र खींचा गया है। किन्तु वास्तविकता इस प्रकार है। बीमा कम्पनियों की कुल जीवन बीमा निधि ३९० करोड़ रुपये है। अब वित्त मंत्री ने हमें कलकत्ता, बम्बई और कानपुर में गुम होनेवाली सरकारी प्रतिभूतियों की राशि बताई है इन तीन स्थानों पर क्रमश: ३० लाख, ३० लाख और १५ लाख रुपयों के अतिरिक्त सरकार को शेष सभी रुपये का लेखा मिल गया है। यदि ३९० करोड़ रुपये में से ७५ लाख रुपये का लेखा न मिल सका हो, जो कि कुल राशि का ·२५ प्रतिशत से भी कम है, तो कौन सी बड़ी अनियमिता की बात हो गई है। उसको कितना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जा रहा है। यह सब कुछ अनुत्तरदायी व्यक्तियों के कारण हुआ है। आप इन तथ्यों को जनता के सामने रखें। यदि राष्ट्रीयकरण के लिये कोई विधेयक संसद् के सामने रखा जाता तो क्या उस ३९० करोड़ रुपये को कुछ हो सकता था ? आपका यह भय बिल्कुल मिथ्या है। बीमा कम्पनियों पर यह लांछन व्यर्थ में ही लगाया जा रहा है। मेरे पहले वक्ता भी एक ही कम्पनी की अनियमिताओं का उदाहरण देते गये हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या वह सभी एक ही कम्पनी के सम्बन्ध में थे ?

†**श्री जी० डी० सोमानी** : जी, हां। उन्होंने स्वयं इसको स्वीकार किया है।

†**श्री भागवत झा आजाद** (पूर्निया व संथाल परगना) : उन्होंने कहा है कि यदि अन्य कम्पनियों के सन्तुलन पत्र देखे जायें तो उनमें भी ऐसी ही अनियमितायें पाई जा सकती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जी० डी० सोमानी** : इस सम्बन्ध में मुझे माननीय सदस्य ने बताया है कि वह एक अन्य कम्पनी के सम्बन्ध में ऐसी ही अनियमितायें खोज रहे थे परन्तु उन्हें एक भी ऐसी अनियमिता नहीं मिली है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : इससे कम्पनी की ऐसी चीजों को छपाने की चतुराई प्रगट होती है ।

†**श्री जी० डी० सोमानी** : इससे यह सिद्ध होता है कि माननीय सदस्य बड़ी सतर्कता से कई दिनों से इन कम्पनियों में ऐसी अनियमितायें ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं किन्तु उन्हें एक कम्पनी को छोड़ कर अन्य किसी भी बड़ी कम्पनी में ऐसी अनियमितायें नहीं मिली हैं । अतः मैं कहूंगा कि सरकार ने जीवन बीमा उद्योग के साथ न्याय नहीं किया है । वित्त मंत्री को इस बात को स्वीकार करना चाहिये कि बीमा उद्योग की ९९।। प्रतिशत निधि का लेखा बिल्कुल सुरक्षित ढंग से रखा गया है ।

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : किन्तु यह ९० लाख गुम होने वाला रुपया सरकारी प्रतिभूतियों का रुपया है ।

†**श्री जी० डी० सोमानी** : जनता के धन का इस प्रकार दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों की आप निन्दा कर सकते हैं किन्तु माननीय सदस्यों को यह ध्यान होना चाहिये कि इस दशा में भी दूसरे पक्ष से २ करोड़ रुपये की बृहत् राशि तत्काल ले ली गई थी । आप ऐसे लोगों के बारे में सोच रहे हैं जिनका देश में बहुत कुछ है । ऐसे व्यक्ति इस प्रकार की अनियमिताओं और समाज-विरोधी कृत्यों से हमेशा डरेंगे । जिन्होंने पहले यह अनियमिता की है उन्हें भी इसका फल भोगना पड़ा है । इससे देश के अन्य लोगों के कान खड़े हो गये हैं ।

अब मैं कम्पनियों के परिसमापन की ओर आता हूं । इंगलैंड में भी जहां लोगों का व्यावसायिक नैतिक स्तर इतना ऊंचा माना जाता है जहां ९६ बीमा कम्पनियों का परिसमापन हुआ है और ८५० कम्पनियों को दूसरी कम्पनियों के साथ मिलाया गया है भारत में उसी अवधि में केवल २५ कम्पनियों का परिसमापन हुआ है और २५ को दूसरी कम्पनियों में मिलाया गया है ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : वहां पर कुल कितनी कम्पनियां हैं ?

†**श्री जी० डी० सोमानी** : मैं कुल संख्या तो नहीं जानता हूं किन्तु मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर परिसमापन के आंकड़े हमारे सामने कोई अच्छा चित्र नहीं रखते हैं । मेरा निवेदन है कि व्यापार के दौरान में कभी कभी असफलतायें भी आ सकती हैं अतः कुछ कम्पनियों का परिसमापन भी हो सकता है । हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि जितना कारोबार वे कर रही हैं उसके किस अनुपात में उनका परिसमापन हुआ है । श्री ए० डी० शराफ ने भारत की सरकारी तथा गैर-सरकारी बीमा कम्पनियों के सम्बन्ध में कहा है कि युद्ध के उपरान्त उनका कारोबार इंगलैंड और अमेरिका की कम्पनियों के समतुल्य हो गया है । जहां १९५२ तक समाप्त होने वाले पिछले दशाब्द में डाक विभागीय जीवन बीमा का कारोबार केवल १६ प्रतिशत बढ़ा है वहां अन्य भारतीय बीमा कम्पनियों का कारोबार २१४ प्रतिशत बढ़ गया है । मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि बीमा कम्पनियों की सफलताओं को छोटा करके और उसकी थोड़ी सी अनियमिताओं तथा कदाचारो को बहुत बड़ा करके बताया जा रहा है । वित्त मंत्री ने अपने रेडियो भाषण में उनकी सफलता और उनके त्याग के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा है ।

मैं सभा को यह भी बताना चाहता हूं कि अन्य देशों में बीमा उद्योग का कैसे राष्ट्रीयकरण किया गया है । १९४९ में इंगलैंड की लेबर पार्टी ने इसे चुनाव लड़ने का आधार बनाया था । किन्तु बाद में सभा में वाद-विवाद के उपरान्त उसे स्वयं ही इस विषय को छोड़ देना पड़ा । इसी प्रकार स्वीडन ने भी बीमा उद्योग के राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध अपना निर्णय दिया है । नार्वे, हालैंड, फ्रांस आदि सभी यूरोपी तथा अमरीकी देशों में यही अनुभव हुआ है कि गैर-सरकारी उद्योग बड़ी अच्छी सफलतायें प्राप्त कर रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

माननीय वित्त मंत्री ने अपने रेडियो भाषण में कहा है कि जहां कहीं भी बीमा उद्योग के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न दिल लगा कर हाथ में लिया गया है वहां इसमें सफलता मिली है। किन्तु उन्होंने ऐसे किसी देश का निर्देश नहीं किया है। मैं वित्त मंत्री से जानना चाहूंगा कि किस देश में इस काम में सफलता मिली है? माननीय वित्त मंत्री ने अपने रेडियो भाषण में यह आश्वासन दिया था कि गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को जीवन बीमा कम्पनियों से जितना रुपया मिला था उतना उन्हें मिलता रहेगा किन्तु इस विधेयक की पुरःस्थापना करते हुए उन्होंने अपने भाषण में यह बात नहीं कही है। कलकत्ते से यह सूचना मिली है कि बीमा आयुक्त ने यह अनुदेश दिये हैं कि उपलब्ध निधि का ८५ प्रतिशत अवश्य ही सरकारी प्रतिभूतियों में लगाया जाय और केवल १५ प्रतिशत अनुमोदित प्रतिभूतियों, पूर्वाधिकार अंशों और ऋण-पत्रों आदि में लगाये जायें। यह अनुदेश वित्त मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के प्रतिकूल है। मैं स्पष्टतः जानना चाहता हूं कि अब राष्ट्रीयकरण के बाद गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ बीमा उद्योग की ओर से क्या व्यवहार होगा। क्या वित्त मंत्री द्वारा दिया गया आश्वासन पूरा किया जायगा अथवा नहीं?

यह कहा गया है कि राष्ट्रीयकरण का एक कारण द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। किन्तु जब यह आश्वासन दिया गया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र को बीमा निधि का उतना ही अंश मिलता रहेगा जितना कि पहले मिलता था तो फिर राष्ट्रीयकरण से सरकार को उससे कोई अधिक धन नहीं मिल सकता है। अतः यह तर्क बेकार सिद्ध हो जाता है। यह व्यवसाय बड़ी जटिल प्रकृति का है। इसमें बड़ी अनभ्यता उपक्रम तथा व्यापक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। जहां तक सरकारी उद्योगों के अनुभव से ज्ञात हुआ है यह सन्देह होता है कि क्या केन्द्रीय सरकार की मशीनरी इस व्यवसाय को उतनी ही कुशलता और दक्षता से चला सकेगी जैसे कि यह पहले चल रहा था।

†**श्री एम० सी० शाह** : कदाचित् और भी अच्छी तरह।

†**श्री जी० डी० सोमानी** : हम उस घड़ी का स्वागत करेंगे। किन्तु मैं केन्द्रीय सरकार से एक और आश्वासन लेना चाहता हूं कि यदि इस को अच्छी प्रकार न चला सकी तो वह इस के राष्ट्रीयकरण का अन्त करने में जरा भी नहीं हिचकिचायेगी।

†**कुछ माननीय सदस्य** : कभी भी नहीं।

†**श्री जी० डी० सोमानी** : ब्रिटेन की सरकार ने जब देखा कि कार्य ठीक नहीं हो रहा है तो उसने इस्पात उद्योग के राष्ट्रीयकरण का अन्त कर दिया था। किन्तु यहां सभी सदस्य कह रहे हैं कि 'कभी नहीं'। क्या कोई कार्य क्षमता से हो रहा है अथवा नहीं। इस बात का निर्णय यहां सिद्धांतों तथा विचारधारों को ध्यान में रख कर किया जाता है।

निजी क्षेत्र की कथित अनियमितायें राष्ट्रीयकरण का कारण बतायी गई हैं। इस तर्क से तो सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में अनिमितायें होने पर उस क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ाना बन्द कर देना चाहिये। मेरा निवेदन है कि यदि सम्बन्धित सरकारी विभाग ने अधिक निगरानी, सावधानी तथा सक्षमता के साथ कार्य करके अपने वृहत् अधिकारों का उचित प्रयोग किया होता तो अधिकतर अनियमितायें हुई ही नहीं होतीं। आखिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सरकारी क्षेत्र में नैतिकता का स्तर निजी व्यापारिक क्षेत्र से अधिक ऊंचा है। चाहे निजी व्यापारिक क्षेत्र का व्यापारी हो अथवा सरकारी क्षेत्र का पदाधिकारी, प्रत्येक में मानवीय कमजोरियां होती हैं। असली चीज यह है कि शासन-व्यवस्था की निगरानी कड़ी रखी जाय जैसा मैं शायद कह चुका हूं, पदाधिकारियों द्वारा अनियमितायें करते रहने की कहीं अधिक सम्भावना है क्यों कि उन्हें कोई जोखिम नहीं है, किन्तु यदि कोई बड़े व्यापारिक संगठन का मालिक है तो उसे बराबर यही खतरा बना रहेगा कि उसके द्वारा की गयी कोई भी अनियमिता सरकार तथा जनता के सम्मुख

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जी० डी० सोमानी]

आते ही न केवल उसकी बदनामी होगी वरन् उसके समस्त व्यापारिक संगठन के अस्त व्यस्त होने का खतरा पैदा हो जायगा। सरकार के पास करने के लिये और बहुत से काम हैं, लेकिन अपने सीमित प्रशासिक तथा टेक्निकल साधनों से वह आवश्यकता से अधिक कार्य ले रही है जो देश का विकास करने के बजाय मार्ग में कठिनाइयां ही पैदा कर सकता है।

अनियमिताओं के सम्बन्ध में मुझे आखिर में इतना ही कहना है कि यदि कोई निष्पक्ष जांच समिति इस मामलेमें जांच के लिये बिठाई जाय तो निजी क्षेत्र उसका स्वागत करेगा। उस निष्पक्ष जांच को यह बताने दीजिये कि क्या इतनी रुकावटों और कठिनाइयों के होते हुए भी इस उद्योग ने अपना काम साहस और सक्षमता से नहीं किया है और जो अनियमितायें बताई जाती हैं क्या वे अधिकतर कल्पित नहीं हैं। बार-बार अनियमिताओं पर जोर दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि वहां ४०० करोड़ रुपये की वृहत् पूंजी लगी हुई है उसको देखते हुए वास्तविक अनियमिताओं का अनुपात बहुत कम है। मैं सरकार से इस सम्बन्ध में निश्चित घोषणा चाहता हूं कि कुल पूंजी का कथित अनियमिताओं की पूंजी से क्या अनुपात है। क्योंकि मैं समझता हूं कि यह बहुत बुरी बात है कि जब इस उद्योग को राष्ट्रीयकृत किया जा रहा है तो इस प्रकार की चीज रिकार्ड में जा रही है कि समस्त उद्योग ने दुर्व्यवहार किया है, अक्षमता दिखाई है, जब कि वास्तव में नहीं के बराबर अल्प मात्रा में यह चीज हुई है। इस आरोप को साबित करने के लिये जनता को अधिक सूचना दी जानी चाहिये। यदि राष्ट्रीयकरण नीति के आधार पर किया जा रहा है, तो फिर उद्योग की निन्दा न करके इस बात के लिये प्रशंसा के दो शब्द होने चाहिये कि कितनी रुकावटों के विरुद्ध इस उद्योग का निर्माण करके वर्तमान स्थिति तक इसे पहूंचाया गया है। मेरा निवेदन है कि अनियमिताओं के प्रश्न पर इतना अधिक होहल्ला मचाया गया है कि इसने न केवल बीमा व्यवसायों को हानि पहुंचाई है वरन् अन्य उद्योगों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समस्त निजी उद्योग पर इसकी प्रतिक्रिया होगी। इसलिये मैं कहता हूं कि कथित आरोपों की झूठ या सचाई की जांच के लिये एक समिति बिठाई जाय। वित्त मंत्री जी द्वारा तथा अन्य वक्ताओं द्वारा जो ये आरोप लगाये गये हैं कि अधिकतर उद्योग ने ऐसी हरकत की है, मैं इसे चुनौती देता हूं। कुल पूंजी के अनुपात में अत्यन्त अल्प संख्या ने इस प्रकार की बातें की हैं। यदि उद्योग को समस्त रूप में देखा जाय तो उसके कृत्तित्वों पर देश को वास्तव में गर्व हो सकता है।

†**श्री गाडगिल** (पूना—मध्य) : सबसे पहले मैं श्री फीरोज गांधी को उनके भाषण पर बधाई देता हूं। बीमा उद्योग के विरुद्ध इससे अधिक शक्तिशाली आरोप की कल्पना नहीं की जा सकती। फिर, श्री सोमानी ने निष्पक्ष जांच की जो बात कहीं उसका मैं समर्थन करता हूं। जब भी तीव्र आरोप लगाये जाते हैं मैं सदा निष्पक्ष जच का समर्थक हूं, जैसे कि बम्बई के दंगों के बारे में। यह उचित ही है कि बिना अपनी रक्षा का अवसर दिया किसी व्यक्ति की निन्दा न की जाय। किन्तु जांच समिति की नियुक्ति से राष्ट्रीय करण के कार्य में विलम्ब नहीं होना चाहिये।

प्रेस में तथा इस उद्योग में रुचि रखने वाले कुछ व्यक्तियों द्वारा यह आलोचना की गयी है कि निर्णय एकाएक ही कर लिया गया अथवा अभी इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण का समय नहीं आया है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध समाचार-पत्र 'हिन्दू' ने कहा है कि यह राष्ट्रीयकरण समाजवादी राज्य का उद्घाटन स्वरूप है किन्तु इसके लिये देश ने अभी अपनी राय नहीं दी है। मुझे इस सम्बन्ध में यह कहना है कि राष्ट्रीयकरण कांग्रेस दल की ही धुन नहीं है, इसे सिद्धांत रूप में २२ दिसम्बर, १९५४ को लोक-सभा द्वारा स्वीकार किया गया था जो कि देश की प्रतिनिधि सभा है। आगामी आम चुनावों में जो भी सरकार आये, इस नीति को कार्यान्वित करने की वह बाध्य होगी। जहां तक कांग्रेस का सम्बन्ध है, वह काफी अरसे से इसका पक्षपोषण करती रही है। इसलिये यह कहना कि बीमे के राष्ट्रीयकरण का निर्णय एकाएक

†मूल अंग्रेजी में

किया गया या ऐसे निर्णय का अभी समय नहीं आया, ठीक नहीं है ।

इसके अतिरिक्त गत दिसम्बर में जब यह प्रश्न पूछा गया था कि बीमे के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में क्या हो रहा है तो श्री एम० सी० शाह ने उत्तर दिया था कि यह प्रश्न विचाराधीन है । इससे यह स्पष्ट है कि यह निर्णय एकाएक नहीं किया गया है ।

फिर, हमें अब समस्त परिस्थिति को एक भिन्न दृष्टिकोण से देखना है । अब हमारी अर्थ-व्यवस्था एक आयोजित अर्थ-व्यवस्था है । संविधान में परिभाषित हमारे कुछ आर्थिक लक्ष्य हैं जिन्हें हम प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं । इसलिये यह स्पष्ट है कि देश में आर्थिक क्षेत्र में सरकार का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिये । जब कि हमने समाजवादी राज्य की स्थापना को ध्येय बना लिया है तो पूंजी निर्माण का उत्तरदायित्व निजी क्षेत्र पर छोड़ कर इसे समाज की जिम्मेदारी बनाना चाहिये ।

जहां तक जीवन बीमा उद्योग के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है, हमें यह देखना है कि इस विशिश्ट उद्योग का राष्ट्रीयकरण देश के सर्वोत्तम हित में है या नहीं । जैसा वित्त मंत्री जी ने कहा, इसकी कसौटी है : प्रीमियम, अधिकतम लाभ, रोजगारी के अवसर, सारे उद्योग का स्वरूप तथा व्यवसाय को एक ट्रस्ट के रूप में प्रबन्धित करना । इन सभी बातों की दृष्टि में मैं समझता हूं कि इसका राष्ट्रीयकरण किया जाना आवश्यक था ।

इंगलैंड के लेबर दल का हवाला दिया गया था कि वह अपने राष्ट्रीयकरण की नीति पर पुनः विचार कर रहा है । श्री सोमानी को मैं यह बतलाना चाहता हूं कि व्यक्ति की तरह दल का मस्तिष्क भी होता है । किन्तु लेबर दल की नवीनतम प्रवृत्ति से—जो श्री बेवन द्वारा लिखित लेखों से झलकती है—स्पष्ट है कि बिना उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के समाजवाद की स्थापना नहीं की जा सकती । इसलिये वह लेबर दल में एक नवीन जीवन फूंकने का प्रयत्न कर रहे हैं और मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि आगामी चुनावों में इंगलैंड में यह चुनाव आंदोलन का एक मुख्य विषय बन जाय । इसमें सन्देह नहीं कि अन्य देशों के अनुभव से हमें शिक्षा लेनी चाहिये । किन्तु सारी चीज पर देश विशेष की सामाजिक, आर्थिक तथा सैद्धांतिक परिस्थितियों तथा वहां के समाज को ध्यान में रख कर विचार करना है । हम देख चुके हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये हमें रुपये की आवश्यकता है और जब तक वित्त सम्बन्धी मामलों पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं होता तब तक निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना सम्भव नहीं है ।

निजी उद्योग द्वारा जो कुछ बीमा व्यवसाय के लिये किया गया है उसकी महत्ता मैं कम नहीं करना चाहता । गत बीस वर्षों में हमारे देश की कम्पनियों ने देश में काम कर रही विदेशी कम्पनियों से प्रतियोगिता कर लगभग सारा व्यवसाय अपने हाथ में ले लिया है । श्री फीरोज गांधी द्वारा जो तीव्र आलोचना की गयी है उसके बावजूद भी मैं भारतीय बीमा कम्पनियों को अच्छे कार्य का प्रमाण-पत्र देने को तैयार हूं, किन्तु उनसे निवेदन करता हूं कि देश के बृहत्तर हित में आप अपने हितों का त्याग कर दीजिये । समाजवादी राज्य की स्थापना के लिये आप और मैं सब बाध्य हैं ।

इसका दूसरा पहलू भी है । आपने काम किया है । किन्तु क्या आपने पर्याप्त काम किया है ? यही कसौटी है । श्री देशमुख द्वारा दिये गये भाषण से स्पष्ट है कि और भी अधिक किया जा सकता था । प्रीमियम कम किया जा सकता था । बीमे को अधिक लोकप्रिय बनाया जा सकता था । ग्रामीण-क्षेत्रों से उनकी बचत को बीमा में लगाने का प्रयत्न किया जा सकता था । इसमें सन्देह नहीं कि श्री ए० डी० श्रौफ ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का आभास दिया है कि आगामी दस वर्ष में जीवन बीमा उद्योग व्यवसाय क्या करने जा रहा है । उन्होंने कहा है कि इसमें विस्तार करने के लिये गांवों में ४,५५,००० एजेंटों तथा शहरों में ६०,००० एजेंटों की आवश्यकता होगी । इतनी बड़ी संख्या को आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिये २०,००० इंस्पेक्टरों तथा २,५०० कार्यकारी पदाधिकारियों की आवश्यकता होगी । इस प्रकार लगभग पांच लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा । अब यह सरकार का काम है कि यदि वह

[श्री गाडगिल]

यह साबित करना चाहती है कि सरकारी क्षेत्र की आलोचना सही नहीं है तो उसे उपरोक्त लक्ष्य को दस वर्ष से भी कम काल में पूरा कर दिखाना चाहिये ।

अध्यादेश जारी करने पर भी आपत्ति उठायी गयी थी । मेरे पास इस समय 'बम्बई समाचार' नामक गुजराती समाचार पत्र है । जसमें कहा गया है कि अहमदाबाद के मिल मालिकों को कपड़े पर लगाये जाने वाले शुल्क के विषय में पहले से मालूम हो गया था और जब कि सामान्यत: उस दिन जब से कि बढ़ा हुआ शुल्क लागू हुआ, ९३,००० गांठें स्टाक में होनी चाहिये थीं, वास्तविक संख्या केवल ४२,००० गांठों की थी । शेष को विशेष रूप से निर्मित गोदामों में पहुंचा दिया गया था । इसलिये जब अगली बार बजट पेश किया जाय तो इसका अवश्य ख्याल रखा जाय कि ऐसे अधिकार ग्रहण किये जायें जिससे पहले किये गये सौदे भी इसके अन्तर्गत आयें । इन शब्दों के साथ में बीमा के राष्ट्रीयकरण का स्वागत करता हूं तथा कहता हूं कि और भी उद्योगों को राष्ट्रीकृत किया जाय ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** देश में इस समय निजी उद्योग के विरुद्ध हवा चल रही है । मुझे दुख है कि केवल जीवन बीमा का ही राष्ट्रीयकरण किया गया तथा अन्य प्रकार के बीमे को छोड़ दिया गया । मुझे आशा है शीघ्र ही अन्य बीमा व्यवसाय का भी राष्ट्रीयकरण होगा ।

बीमा कम्पनियों द्वारा विभिन्न प्रकार की जो अनियमितितायें तथा धोकेबाजी की गयी है उसके पर्याप्त उदाहरण हैं । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में यह एक उपयुक्त कदम उठाया गया है । इस कदम उठाने का मुख्य तात्पर्य बीमा कम्पनियों द्वारा की गयी अनियमिततायें है और वास्तव में हमें बीमा व्यवसाय को कहीं पहले ही राष्ट्रीकृत कर देना चाहिये था ।

यह तर्क उपस्थित किया गया कि बीमे के राष्ट्रीयकरण से पूंजी निर्माण बन्द हो जायगा । कर जांच समिति का कहना है कि देश में कुल ७१९ करोड़ रुपये के पूंजी निर्माण में बीमा निधि की वृद्धि २२ करोड़ रुपये है । जो मित्र बीमे के राष्ट्रीयकरण के विरोध में हैं, उन्हें इन आंकड़ों का प्रतिवाद करना चाहिये । हमारे देश में प्रीमियम का राष्ट्रीय आय से अनुपात केवल १/२ प्रतिशत है । अभी तक हम केवल इतना ही प्राप्त करने में सफल हो सके हैं । इंगलैंड में यह अनुपात २·८ प्रतिशत है ।

बीमे के राष्ट्रीयकरण के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे । गैर-सरकारी क्षेत्र में बीमे में दो महत्वपूर्ण दोष हैं । एक यह है कि वह बहुत छोटे पैमाने तक सीमित है । राष्ट्रीयकरण से ग्रामीण-क्षेत्रों में उसका प्रसार होगा और उससे जो धन प्राप्त होगा उसका कुछ भाग ग्रामीण-क्षेत्रों में बीमा-व्यवसाय के प्रसार के लिये खर्च किया जायगा । हमें बताया गया है कि वित्त मंत्री छोटी बचतों से ५०० करोड़ रुपये इकट्ठा करने की आशा करते हैं । राष्ट्रीयकरण के बाद यदि हम उचित ध्यान दें, तो हम अब तक जो इकट्ठा करते रहे हैं उससे कहीं अधिक इकट्ठा कर सकेंगे ।

यह कहा गया है कि सरकारी क्षेत्र में बहुत फिजूलखर्ची होगी । वे मित्र यह बतायें कि अब तक ऐसा क्यों हुआ है । अन्य देशों के आंकड़ों की तुलना में, हम जो कुछ खर्च कर रहे हैं वह उससे कहीं अधिक है जो एक अच्छा जीवन बीमा व्यापार चलाने के लिये आवश्यक है । भारत में व्यय अनुपात २९ प्रतिशत है जबकि ब्रिटेन में वह केवल १२ प्रतिशत और अमेरिका में १७ प्रतिशत है । वह सारा धन एजेन्टों, विशेष एजेंटों, मुख्य एजेंटों और प्रधान एजेंटों के नाम में उन मित्रों के जेब में जाता है । भुगतान किये गये प्रीमियम का ४० प्रतिशत एजेंटों को, ६४ प्रतिशत विशेष एजेंटों को, ४८ प्रतिशत मुख्य एजेंटों और ३२ प्रतिशत प्रधान एजेंटों को दिया जाता है । फरजी एजेंटों को ३२·४ प्रतिशत दिया जाता है । यह फरजी एजेंट अधिकतर उनकी सम्बन्धी-महिलायें, पुलिस अधिकारियों की पत्नियां, राजस्व अधिकारियों के परिवारों के सदस्य होते हैं । इसी कारण इस देश में व्यय-अनुपात इतना ऊंचा हुआ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरे विचार से जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण बहुत पहले ही किया जाना चाहिये था। इस व्यवसाय के सम्बन्ध में जितने भी उपबन्ध हैं उनको पालन करने की अपेक्षा उल्लंघन ही अधिक होता है। मेरे मित्र श्री सोमानी ने कहा कि राष्ट्रीयकरण के बाद भी बीमा कम्पनियों के साधनों का उपयोग करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कहता हूं कि जरूर फर्क पड़ेगा। अभी इन साधनों का उपयोग सार्वजनिक भलाई के लिये नहीं वरन् विभिन्न उपक्रमों के कुछ व्यक्तियों की भलाई के लिये होता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अधीन हमें यह देखना होगा कि बीमा-व्यवसाय के साधनों का उपयोग उचित दृष्टिकोण से उचित प्रकार से करना होगा। गैर-सरकारी कम्पनियों का जीवन बीमा व्यवसाय में धन लगाने का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ कमाना होता है जबकि सरकार इसे पूर्वनिर्धारित प्राथमिकता के अनुसार खर्च करेगी। श्री सोमानी का यह कथन कि गैर-सरकारी कम्पनियों ने जिस प्रकार इस निधि का उपयोग किया है। उससे भिन्न प्रकार से इस नीति का उपयोग नहीं किया जायगा, शत प्रतिशत ग़लत है। कहा गया है कि भारत सरकार को कहीं पर कुप्रबन्ध नहीं दिखाई पड़ा है। यदि बीमा-व्यवसाय की कार्य-कुशलता के कारण ऐसा है तो मैं उन्हें अवश्य बधाई दूंगा। चूंकि अब वह सरकारी नियंत्रण के अधीन है, इसलिये ग़लतियां पकड़ी जायेंगी और ठीक की जायेंगी।

श्री सोमानी ने ब्रिटेन का उदाहरण दिया है किन्तु वहां समापन आंकड़े तुलना में पहुत ऊंचे हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक जगह उस व्यवसाय में सम्बद्ध हमारे मित्र एक से हैं। अतः हमें अधिक सावधान होना चाहिये और शीघ्र ही राष्ट्रीयकरण करना चाहिये।

यह बिलकुल ग़लत कहा गया है कि अध्यादेश जारी करके सरकार न लोकतंत्रात्मक सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। बीमा कम्पनियों ने सिद्ध कर दिया है कि वे इस बीमा-व्यवसाय में कितने कुशल हैं। यदि सरकार अध्यादेश जारी न करती और उसे संसद् के सामने न रखती, तो उनके लिये हरएक बात अच्छी होती मैं वित्त मंत्री को इसलिये बधाई देता हूं कि उन्होंने अध्यादेश जारी कर रातोंरात प्रशासन अपने हाथ में ल लिया। मुझे आश्चर्य है कि पदाधिकारियों का प्रशिक्षण इतना गुप्त किस प्रकार रखा जा सका कि श्री सोमानी भी न जान सके। आशा है कि जब बैंकों का और सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण होगा उस समय वित्त मंत्रालय और कुछ आश्चर्य दिखायेगो।

†**श्री एम० सी० शाह :** ५४ व्यक्तियों को पहले आगे भेज दिया गया था कि वे २० तारीख के प्रातःकाल अपने-अपने स्थान पर अधिकार ले लें। १९ तारीख को रात ८॥ बजे रेडियो पर घोषणा की गयी और उन पदाधिकारियों को दूसरे दिन १०-२० तक, इसक पूर्व कि प्रबन्धक अपने कार्यालयों में पहुंच जायें, अपना स्थान ग्रहण करने का अधिकार दिया गया था।

†**श्री भागवत झा आजाद :** इन विस्तरों से यह दिखायी पड़ता है कि कार्य-कुशलता बढ़ गयी है और श्री सोमानी के इस आशंका के लिये कोई आधार नहीं है कि कुशलता पूर्वक उनका प्रबन्ध नहीं किया जायेगा। सरकारी क्षेत्र गैर-सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा, अधिक कुशलता से कार्य कर सकता है इसका यह एक अच्छा उदाहरण है। इसकी जांच करने के लिये एक आयोग की मांग की गयी है। यदि सरकारी क्षेत्र उचित प्रकार से प्रबन्ध करने में असमर्थ रहे तो राष्ट्रीयकरण समाप्त कर दिया जाना चाहिये। मुझे विश्वास है कि ऐसी कोई बात नहीं होगी। इसके राष्ट्रीयकरण के लिये पर्याप्त साक्ष्य और औचित्य है और यह बहुत अच्छी प्रकार से किया गया है। आशा है कि बैंकों और बीमे के अन्य पहलुओं के राष्ट्रीयकरण के लिये एक दूसरा विधेयक सभा के समक्ष आयेगा।

†**श्री तुलसीदास** (मेहसाना—पश्चिम) **:** मुझे कई प्रश्नों का उत्तर देना है। सर्वप्रथम, उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में कहा गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये निधि की आवश्यकता है और इसी कारण यह विधेयक रखा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तुलसीदास]

अधिकतर बीमा कम्पनियों ने जो भी अच्छा काम किया है उसके लिये वित्त मंत्री ने अपन भाषण में प्रशंसा का एक शब्द भी नहीं कहा है। कुछ बीमा कम्पनियों ने जो भ्रष्टाचार किया है उसके कारण वित्त मंत्री ने संपूर्ण बीमा-व्यवसाय पर दोषारोपण किया है। माननीय वित्त मंत्री ने भ्रष्टाचार के जिन थोड़े से मामलों का उल्लख किया है उनमें कुल व्यापार का और जीवन निधियों की कुल राशि का बहुत ही थोड़ा अनुपात सम्बद्ध है अथवा वह इतना नगण्य है कि इतनी कड़ी कार्यवाही न्यायोचित नहीं कही जा सकती। अतः मेरी राय में वित्त मंत्री सारा विषय उचित दृष्टिकोण से प्रस्तुत करन में असफल रहे हैं।

मैं यह स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि मैं इन भ्रष्टाचारों की निन्दा करता हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि इन भ्रष्टाचारों में अन्तर्ग्रस्त निधियों का अनुपात इतना नगण्य है कि वित्त मंत्री ने व्यर्थ ही संपूर्ण बीमा जगत् और स्वदेश के तथा विदेश के भारतीय व्यापारियों को बदनाम किया है। दूसरी बात यह है सरकारी नीति और नियंत्रण की प्रशासनिक व्यवस्था भी इन भ्रष्टाचारों के लिये उत्तरदायी है। मैं यहां बताना चाहता हूं कि सरकारी व्यवस्था किस प्रकार उत्तरदायी है। किसी भी स्थिति में, सरकार के समक्ष जो उद्देश्य है उसे प्राप्त करने के लिये राष्ट्रीयकरण न तो आवश्यक और न अपेक्षित है।

माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि कंपनियों ने कुछ थोड़ा काम किया है यद्यपि वह पर्याप्त नहीं है। मुझे यह कहने से हर्ष होता है कि उन्होंने कम से कम यह तो स्वीकार किया कि कंपनियों ने कुछ थोड़ा काम किया है। किन्तु काफी कठिनाइयों के बावजूद जैसे विदेशियों का सहानुभूति रहित रुख, भारतीय बीमा-कर्ताओं ने जो अच्छा कार्य किया है उसका कोई उल्लेख उन्हीं ने नहीं किया है। स्वतंत्रता मिले अभी केवल ७ या ८ वर्ष हुए हैं और फिर देशका विभाजन भी हुआ है। वास्तव में इस उद्योग न कवल १९५० से ही कुछ कार्य करना आरम्भ किया है। किन्तु गत पांच वर्षों में ही इस उद्योग ने न केवल भारत के वरन् विश्व क मानचित्र में अपने छाप कायम की है। १९४१ में इन कम्पनियों का कुल कारोबार ४२ करोड़ रुपये से बढ़कर अब २४७ करोड़ रुपये हो गया है और १९३८ में बीमा-कर्ताओं का कारोबार २१९ करोड़ रुपय से बढ़कर १९५५ में ११५० करोड़ रुपये हो गया है। भारतीय बीमा-कर्ताओं की प्रीमियम आमदनी १९३८ में ११·५ करोड़ रुपये थी जबकि १९५४ में वह ४७·५ करोड़ रुपये हो गयी है। १९३८ में जीवन बीमा निधियां ५०·६ करोड़ रुपये थीं और वह १९५४ में २८० करोड़ रुपये हो गयी हैं। सबसे हाल के आंकड़ मेरे पास नहीं हैं किन्तु वह लगभग ३५६ करोड़ रुपये हैं। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि इस उद्योग ने अच्छी प्रगति की है किन्तु कुछ थोड़ से नगण्य भ्रष्टाचारों की दुहाई देकर यह सिद्ध किया गया है मानो संपूर्ण उद्योग का प्रबन्ध बुरा है। मेरा तात्पर्य इतना ही है कि भारत में कुल १९ या २० कम्पनियां इस उद्योग में ८५ प्रतिशत व्यापार करती हैं पहले सारा कारोबार विदेशी कम्पनियों के हाथ में था किन्तु आज ९० प्रतिशत कारबार भारतीय कम्पनियों के नियंत्रण में हैं। यह कम सफलता नहीं है। इसके अतिरिक्त इन कम्पनियों ने विदेशों में भी पर्याप्त कारबार किया है। माननीय मंत्री ने जिस प्रकार बताया है कि उस तरह यदि बीमा उद्योग की हालत होती तो वह आज की विद्यमान स्थिति में न पाया जाता।

मैं बताना चाहता हूं कि एशिया में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जिसका बीमा उद्योग भारत के बाहर विदेशों में फैला हुआ है। किसी अन्य एशियाई देश की कम्पनियां अपने राज्य-क्षेत्र से बाहर व्यापार नहीं करतीं। इस उद्योग की यह एक दूसरी असफलता है। माननीय मंत्री ने इस उद्योग की पूरी तौर से निन्दा की है जैसे कि वह सबसे अधिक बेईमान और अकुशल है और उसका प्रबन्ध बहुत ही बुरा है। मैं पूछता हूं कि यदि ऐसी स्थिति होती तो क्या उसे इतनी सफलता मिलती।

अब मैं इस प्रश्न के सम्बन्ध में वित्त मंत्री तथा अन्य कुछ माननीय सदस्यों की बातों का उत्तर देना चाहता हूं। उन्होंने बीमा-व्यवसाय की कुछ कमियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। इसके लिये भारतीय बीमा-कर्ताओं को दोष देने का कोई कारण नहीं है। भारत में प्रति व्यक्ति २५ रुपये का बीमा

होता है जबकि अमेरिका और अन्य देशों में यह रकम बहुत बड़ी होती है। मैं कह सकता हूं कि इससे हमारे देश में बचत की बुरी हालत दिखायी पड़ती है किन्तु भारत में ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत ही थोड़ी है जिन्हें बचत करने के और बीमे में धन लगाने के साधन प्राप्त हैं। भारतीय जनसंख्या के कुल ३ प्रतिशत लोग आयकर देते हैं जबकि अमेरिका में ४० प्रतिशत लोग आयकर देते हैं। अतः भारत में लगभग १० लाख करदाताओं पर ३० लाख बीमाधारी हैं जब कि अमेरिका में बीमाधारियों की संख्या करदाताओं की संख्या से तिगुनी नहीं है। उस हद तक उद्योग उन लोगों तक अवश्य पहुंचा है जो बीमा पालिसी ले सकते हैं और बीमे में धन लगा सकते हैं। भारत में बीमे की कमी से इस देश की गरीबी, निरक्षरता और पिछड़ापन दिखायी पड़ता है और न कि बीमाकर्ताओं की ओर से कोई कमी या उदासीनता। माननीय वित्त मंत्री ने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि बीमा कम्पनियों ने छोटे आदमियों या निम्न वर्ग के लोगों से कोई सम्पर्क नहीं स्थापित किया है जैसा कि अमेरिका में औद्योगिक बीमा के नाम से प्रचलित है और जो बहुत बड़े पैमाने पर औद्योगिक कर्मचारियों में कार्यान्वित है। कदाचित् भारतीय बीमाकर्ताओं के विरुद्ध माननीय मंत्री का अपर्याप्तता का सबसे वाहियात आरोप है। एक तो भारत में औद्योगिक कर्मचारियों की कुल जनसंख्या ही कितनी है और उनमें से कितने साक्षर हैं और कितनों के पास पर्याप्त साधन हैं कि वे धन बचा सकें और बीमे में लगा सकें। दूसरी बात यह कि सरकार ने स्वतः ऐसा कानून बनाया है कि एक हजार रुपये से कम का बीमा नहीं किया जा सकता। इस उपबन्ध से बीमा कम्पनियां औद्योगिक और कृषि-कर्मचारियों का बीमा करने के लिये असमर्थ होती हैं। फिर इन कर्मचारियों के पास इतनी बचत नहीं होती कि वे बीमा करा सकें। अतः इससे यह स्पष्ट है कि वह आरोप कितना वाहियात और निराधार है।

आगे वित्त मंत्री ने बीमा कम्पनियों की दुर्बलता का निर्देश किया है जैसे कि ७० कम्पनियां बोनस नहीं दे सकीं, २५ कम्पनियां एकीकरण करने से असमर्थ रहीं और अन्य २५ कम्पनियों के और कुछ दोष हैं। मैं यह नहीं बताना चाहता कि अन्य देशों में यह कहां तक हुआ है। विद्यमान स्थिति के लिये सरकार भी दोषी है। इस बात के बावजूद कि पिछले १५ साल से नियंत्रण की व्यवस्था काम कर रही है सरकार ने छोटी बीमा कम्पनियों को एकीकरण के लिये प्रोत्साहित कर मजबूत बनाने का कभी प्रयत्न नहीं किया और न उसने उन कम्पनियों को शक्तिशाली बनाने की दृष्टि से बड़ी कम्पनियों से कभी विचार विनिमय किया और न उसके लिये उपाय ढूंढने का प्रयत्न किया है। दूसरी ओर ऐसी अकुशल तथा आर्थिक दृष्टि से उन कमजोर कम्पनियों के प्रति प्रशासन की हमदर्दी रही है। जब-जब बीमा उद्योग ने प्रीमियम की दरें घटाना चाहा, तब तब सरकार ने ऐसा करने के लिये मना किया। शायद इसी तरह सरकार ने छोटी कम्पनियों को प्रोत्साहन दिया है। आपको मालूम होगा कि अधिकतर छोटी कम्पनियां ही बन्द पड़ गयी हैं। जब उन्होंने अन्य कम्पनियों के साथ मिल जाना चाहा तब सरकार ने कहा कि आप एकाधिकार बनाना चाहते हैं। वास्तव में आप छोटी कम्पनियों को एकसाथ मिलने देना नहीं चाहते। यही कारण है कि छोटी कम्पनियों ने संपूर्ण उद्योग को बदनाम किया है। बड़ी कम्पनियों का इतना अधिक बोलबाला है कि ८० प्रतिशत निधि ऐसी १९ प्रमुख कम्पनियों के नियंत्रण में हैं जिनके पास २ करोड़ रुपये से अधिक निधियां हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि अधिकतर बीमाकर्ताओं में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ग़बन के चार मामलों का उन्होंने उदाहरण दिया है किन्तु जैसा कि श्री सोमानी ने कहा है यह १ प्रतिशत से भी कम है। मैं वह एक प्रतिशत भी नहीं चाहता। किन्तु फिर, जैसा कि, श्री फीरोज गांधी ने बताया है, १९५२ में ग़बन की जानकारी सरकार को मालूम थी फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

†**श्री एम० सी० शाह** : यहां जिस मामले का उल्लेख किया गया है वह टाइम्स आफ इंडिया की इमारत और कुछ नाहुर सम्पत्ति की खरीद के बारे में था। केवल जानकारी के रूप में सरकार को यह तथ्य

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एम० सी० शाह]

मालूम हुआ कि उस खरीद के लिये अधिक रुपया दिया गया है। तुरंत अनुसंधान किया गया और उस समय भारत सरकार उस कम्पनी को अपने हाथों में लेने के लिये एक प्रशासक नियुक्त करना चाहती थी किन्तु उसके कानूनी सलाहकारों ने यह सलाह दी कि चूंकि एक मामला उच्चतम न्यायालय में चल रहा है इसलिये वैसा करना संभव नहीं है। इस पर सरकार ने ऐसे मामलों को रोकने और शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से संविधान को संशोधित करने का प्रयत्न किया।

†**श्री तुलसीदास** : जब पिछले सत्र में बीमा अधिनियम में संशोधन किया गया तब मैंने संकेत किया था कि इस अधिनियम के अधीन सरकार जिन शक्तियों को ले रही है वह इतनी असाधारण हैं कि किसी देश में ऐसे अतिनियम के अधीन सरकार ने ऐसी शक्तियां नहीं ली हैं। माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि बीमा अधिनियम दस बार संशोधित किया गया। मैं उनसे पूछता हूं कि उसके लिये कौन उत्तरदायी था? स्वतः उद्योगपतियों ने ही सरकार से कहा कि आप अधिनियम में संशोधन कीजिये और इन शक्तियों को लीजिये। किन्तु कुछ नहीं किया गया और कोई प्रशासनिक कार्यवाही नहीं की गयी। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि बीमे की कसौटी है कि हम कम लागत पर अधिक से अधिक बीमा कराने की व्यवस्था करें। उन्होंने यह भी कहा है कि अन्य देशों की अपेक्षा भारत में बीमा प्रीमियम की दरें बहुत ऊंची हैं। वे जानते हैं कि इसके कारण कम्पनियों के नियंत्रण से परे हैं; यूरोप और उत्तरी अमेरिका की अपेक्षा भारत में मरण-दर बहुत ऊंची है। दूसरी बात यह है कि प्रशासन का रुख और नियंत्रण प्रीमियम दर कम करने के पक्ष में नहीं होता। उदाहरणार्थ, १९५४ में जब प्रमुख कंपनियों ने अपने दर घटाये तब प्रशासन ने उन पर दबाव डाल कर उनसे अपनी दरें कम न करने के लिये कहा जिससे छोटी और अकुशल कंपनियां बंद न पड़ जायें। बीमा कम्पनियों ने बीमाधारियों के हित में यह जो काम किया था, उसको घातक स्पर्धा कहकर कुछ क्षेत्रों में ग़लत अर्थ लगाया और गया छोटी इकाइयों के बहाने काफी शोरगुल मचाया गया।

माननीय वित्त मंत्री ने संकेत किया है कि अनेक कंपनियां बोनस देने में असमर्थ रहीं। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि इसका कारण यह है कि छोटी कम्पनियां बड़ी कम्पनियों के साथ-साथ चलने में असमर्थ रहीं। जिन कम्पनियों ने बोनस नहीं दिया है वे ऐसी ही कंपनियां हैं जिनकी निधि ५० लाख रुपये से कम है।

माननीय वित्त मंत्री ने यह भी संकेत किया है कि १९५४ में १,००० शिकायतें आयी हैं और उनमें से कई बीमा अधिनियम की धारा ४७क के अधीन नियंत्रण को सौंप दी गयी हैं। बीमा वर्ष-बोधिका १९५५ में दिये गये आंकड़ों के अनुसार, १९५४ में नियंत्रक को कुल ९८ मामले और १९५५ में १०८ मामले सौंपे गये थे। १९५१ से १९५५ के पास वर्षों में कुल २८७ विवाद थे। इनमें से ३८ विवाद निरर्थक होने के कारण अस्वीकार किये गये, १२५ वापस ले लिये गये और ४० मामलों का निर्णय दावेदारों के पक्ष में हुए। ७० विवादों का निर्णय अभी नहीं हुआ है। १९५४ को वर्ष-बोधिका के अनुसार, नियंत्रक ने केवल ६ विवादों का निर्णय दावेदारों के पक्ष में किया है। अतः माननीय मंत्री ने १,००० का जो उल्लेख किया है वह वास्तविक स्थिति की एक अतिरंजित कल्पना है।

माननीय मंत्री ने अन्य अनियमताओं का भी निर्देश किया है। उनमें एक फरजी एजेन्टों के सम्बन्ध में है। उनका कहना है कि ऐसे एजेंटों की संख्या बहुत अधिक है। तर्क के लिये यदि हम उनके कथन को ठीक मान भी लें, तो हम उनसे पछते हैं कि क्या सरकार इस स्थिति के लिये उत्तरदायी नहीं हैं? सरकार ने एजेंटों की नियुक्ति के लिये कोई भी अर्हता निश्चित नहीं की। इसके विपरीत इस बात को प्रोत्साहन दिया कि ५ रुपये जमा करके कोई भी व्यक्ति एजेन्ट बन सकता है। वित्त मंत्री का एक संशोधन "संसद् सदस्यों के लिये अनर्हता निवारण" है इसको इसीलिये रखा गया है कि इस सभा के बहुत से सदस्य

†मूल अंग्रेजी में

एजेन्ट हैं। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि बहुत से जाली एजेन्ट हैं पर सरकार ही इसके लिये उत्तरदायी है ।

दूसरा आरोप नियंत्रित राशियों के विनियोजन के बारे में है : वित्तमंत्री ने कहा कि सब प्रकार की प्रतिभूतियों पर और कभी-कभी बिना किसी प्रतिभूति के भी ऋण दिये गये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह बात गलत है। यह बात १९५० के पूर्व थी। ऐसे हानिकरण विनियोजन बहुत थोड़ी मात्रा में किये गये हैं। बीमा-ईयर बुक से हमें पता लगता है कि ५-५ प्रतिशत राशि सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित की गयी है, ८ प्रतिशत बीमाधारियों के ऋण में और १६ प्रतिशत औद्योगिक प्रतिभूतियों में विनियोजित की गयी है। बीमा अधिनियम के अनुसार १५ दिन प्रतिशत राशि गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियों में विनियोजित को जा सकती है। पर वास्तव में २ प्रतिशत राशि ही हमने गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियों में लगाई है। अतः वित्त मंत्री ने जो आरोप लगाया है वह गलत है। फिर, मैं बताना चाहता हूं कि जीवन बीमा राशि के ८० प्रतिशत पर २० कम्पनियों का नियंत्रण है और उनके विनियोजनों पर काफी लाभ हो रहा है। मैं कह सकता हूं कि यदि ९० प्रतिशत विनियोजन लाभदायक सिद्ध होता है तो कारबार सफल रहेगा। अतः स्पष्ट है कि ८० प्रतिशत कम्पनियों ने उचित आधार पर ही विनियोजन किया है।

दूसरा आरोप व्ययों के सम्बन्ध में है। भारत में यह व्यय २७ प्रतिशत है जब कि अमरीका में १७ प्रतिशत और ब्रिटेन में १५ प्रतिशत है। पर भारत जैसे अर्द्धविकसित देश की तुलना अमरीका और ब्रिटेन जैसे देश से करना ठीक नहीं। भारत में व्यय की अधिकता के कई कारण हैं। भारत में प्रथम वर्ष की किस्त को परिनियत सीमा ९० प्रतिशत और नवकरण पर १५ प्रतिशत है। यदि नये कारबार का अनुपात कुल कारबार के अनुपात से अधिक है तो भारत का औसत अमरीका तथा ब्रिटेन के औसत से स्वभावतः ही ज्यादा होगा। पर भारत में नया कारबार पुराने कारबार से बहुत कम है अतः व्यय अधिक होता है। भारत में जारी किये गये बीमा की राशि का औसत ३,००० रुपये है जब कि अमेरिका में ८,००० रुपये है और छोटी प्रतिस्थापना में उपरि व्यय अधिक होता है। फिर भारत का बीमा उद्योग उतना पुराना नहीं है जितना अमरीका या ब्रिटेन का। भारत में व्यय अधिक होने का कारण कमीशन क भुगतान भी है। यहां कमीशन की दर अन्य देश से अधिक है। माननीय वित्तमंत्री बीमा उद्योग के महत्व को ठीक नहीं समझ सके हैं। इस उद्योग पर उन्होंने जो आरोप लगाये हैं उससे केवल व्यावसायिक समुदाय को ही हानि नहीं हुई है बल्कि सारे देश को हानि हुई है।

यदि आप इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं तो ठीक है कीजिये पर उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि चूंकि इसमें बहुत कुप्रबन्ध है अतः इसका राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। यह बात ग़लत है किसी क्षेत्र को व्यर्थ में बदनाम करना या उसकी निन्दा करना ठीक नहीं है ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अधिनियम के अन्तर्गत बहुत सी कम्पनियों को प्रशासकों के अधीन कर दिया गया है। इनमें कितनी प्रगति हुई है? अब सरकार पूरे उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहती है। माननीय वित्तमंत्री ने उन कम्पनियों के बारे में कुछ भी नहीं बताया क्योंकि उनकी हालत पहले से भी अधिक खराब हो गयी है। मैं माननीय वित्तमंत्री को चुनौती देता हूं कि वह खराब कम्पनियों को अपने अधीन कर लें और एक निगम बना दें। मैं कहता हूं कि निगम बनाने से सफलता नहीं मिलेगी। सरकारी निगम के अन्तर्गत सभी कम्पनियों को नहीं रखना चाहिये। निगम सरकारी क्षेत्र के अधीन रहे और फिर दोनों प्रकार की कम्पनियों में प्रतियोगिता होने दीजिये। श्री अशोक मेहता ने कहा कि हम राष्ट्रीयकरण जारी रखेंगे चाहे वह देश के लिये हानिकर क्यों न हो पर यह समाजवादी ढांचा नहीं है। मुझे भय है कि सरकार इसके बाद शीघ्र ही अन्य उद्योगों का भी राष्ट्रीयकरण करेगी।

जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि इस उद्योग ने हमारे देश में अन्य किसी भी देश की अपेक्षा अधिक उन्नति की है फिर भी इस उद्योग की निन्दा की गयी है। यदि आप इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं तो ठीक है राष्ट्रीयकरण कीजिये पर व्यर्थ में दोषारोपण करना ठीक नहीं है। श्री अशोक मेहता

[श्री तुलसी दास]

द्वारा पेश किये गये तर्कों के विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता । हम देखते हैं कि सरकार अधिक से अधिक अधिकार अपने हाथों में लेना चाहती है । यदि हम सभी क्षेत्रों में अपना पूर्ण प्रभुत्व चाहते हैं तो इस देश में कोई स्वतन्त्रता नहीं है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: वाद-विवाद कल जारी रहेगा । श्री वेंकटरामन् के बाद मैं डा० लंका सुन्दरम् को बुलाऊंगा ।

†**श्री वेंकटरामन्** (तंजोर) : श्री तुलसीदास के सुन्दर भाषण को समझना बहुत कठिन था । यदि उन्होंने इस सभा को अपनी विचारधारा से सहमत बनाने की चेष्टा की होती तो मैं समझता हूं कि उन्हें घोर असफलता मिलती ।

१९३८ के बाद इस उद्योग का विनियमन करने और नियंत्रण करने के लिये हमेशा प्रयत्न किया गया पर विधान पारित करने के बाद तुरन्त ही विधि का अपवंचन शुरू हो गया । इसी कारण समय-समय पर विधि में संशोधन भी करना पड़ा ।

श्री तुलसी दास द्वारा कही गयी एक बात को मैं सही करना चाहता हूं । उन्होंने बताया कि बीमा अधिनियम के यह सभी संशोधन बीमा कम्पनियों के कहने पर ही किये गये थे । पर मैं उनको बाताना चाहता हूं कि १९५० में जब इस सभा में समेकित विधेयक पेश किया गया था तो बीमा कम्पनियों ने उसका घोर विरोध किया था । १९३८ में जब विधेयक पर चर्चा हो रही थी तो, श्रीमान् आपने, उस समय आप एक सदस्य थे, कहा था कि यदि बीमाधारी ही बीमा कम्पनियों के निदेशक बनायें जायें तो वह निदेशक बोर्ड की गतिविधियों का अच्छी तरह नियंत्रण कर सकते हैं । पर उसका क्या परिणाम हुआ ? बीमाधारियों का कोई भी सच्चा प्रतिनिधि निदेशक नहीं बन सका । कम्पनी के पिट्ठू ही बीमाधारियों के निदेशक बनाये जाते हैं । कम्पनियां सच्चे और झूठे सभी प्रकार के प्रतिपत्र इकट्ठा कर लेती है और उन्हीं के सहारे ऐसे व्यक्ति को चुनाव में हरा देती है जो उनके पक्ष को नहीं होता । इस प्रकार उनका ही आदमी चुना चाता है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब तीन बजे हैं । यह मामला कल तक के लिये स्थगित किया जाता है । अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प लेते हैं ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

पैंतालीशवां प्रतिवेदन

†**श्री आल्तेकर** (उत्तर सतारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा २९ फरवरी, १९५६ को इस सभा के सामने रखे गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन से सहमत है ।"

यह समय के आवण्टन के सम्बन्ध में है । सामुदायिक परियोजना सम्बन्धी असमाप्त संकल्प के लिये २ घंटे २४ मिनट का समय उपलब्ध है और शेष ६ मिनट में श्री सी० आर० नरसिंहन् मद्यनिषेध सम्बन्धी अपने संकल्प का प्रस्ताव करेंगे जिसके लिये साढ़े तीन घंटे आवण्टित हैं । अन्य संकल्पों के लिये, यदि रखे जाते हैं, प्रतिवेदन में समय बता दिया गया है ।

मैं सभा से इस प्रतिवेदन को स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा २९ फरवरी, २९५६ को इस सभा के सामने रखे गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन से सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं की जांच के लिये समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प —— समाप्त

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा ९ दिसम्बर, १९५५ को श्री रघुवीर सहाय द्वारा सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार योजनाओं का परीक्षण करने के लिये समिति की नियुक्ति के बारे में रखे गये संकलप पर अग्रेतर चर्चा करेगी ।

कुल चार घण्टा समय आवण्टित किया गया था और १ घण्टा ३६ मिनट समय लिया जा चुका है। २ घंटा २६ मिनट समय उपलब्ध है। हम तीन बजे चर्चा प्रारम्भ कर रहे हैं ? सभा की बैठक ५ बजकर ३० मिनट पर समाप्त होती है। ६ मिनट आवण्टित किये गये हैं ताकि दूसरा संकल्प, जो रखा जाय, भी शुरू किया जा सके बजाय इसके कि लगातार शलाका ली जाये और सभी बात अनिश्चित हो जाय ।

श्री राघवाचारी बोल रहे थे वह अपना भाषण जारी रखेंगे । वह ५ मिनट ले चुके हैं । दस मिनट शेष हैं ।

†**श्री राघवाचारी** (पेनुकोंडा) : उस समय मैं कह रहा था कि सामुदायिक परियोजना का विचार श्री टी० प्रकाशम् द्वारा शुरू की गयी फिरका विकास योजना का ही एक विस्तृत रूप है और उसके बाद पुराने मद्रास तथा वर्तमान आंध्र के उन्हीं क्षेत्रों को सामुदायिक परियोजना तथा राष्ट्रीय विस्तार योजनाओं में रखा गया है केन्द्रीय सरकार और राज्य तथा गांवों तक सभी स्तरों पर जो दूसरा वैभागिक संगठन है उसका काम ठीक समय पर धन न मिलने के कारण ठीक प्रकार से नहीं चल रहा है ।

इस संकल्प का उद्देश्य यह है कि एक समिति बना दी जाय जो इन बातों की जांच करे कि आवण्टित राशि का उपयोग ठीक प्रकार से किया जा रहा है, या नहीं, क्षेत्रों में सहयोग की सच्ची भावना पैदा की गयी है या नहीं, उन क्षेत्रों में काम करने वाले पदाधिकारी वहां के लोगों से वास्तव में आत्मविश्वास पैदा कर रहे हैं या नहीं और क्या सार्वजनिक कार्यकर्ताओं का सहयोग मिल रहा है या नहीं और एक प्रतिवेदन पेश करें कि वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था में क्या परिवर्तन आवश्यक है ।

[**पंडित ठाकुरदास भार्गव** पीठासीन हुए]

मैं समझता हूं कि यह समय इस प्रकार के परीक्षण के लिये सार्वाधिक उचित है । समय समय पर काम की प्रगति के प्रतिवेदन पेश होते रहे हैं जिनमें 'शानदार काम' का दावा किया गया है पर अपने जिले तथा पड़ोसी जिले के सम्बन्ध में मुझे काफी निराशा हुई है ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में हमने ९० करोड़ रुपये से २० या २२ करोड़ रुपये खर्च किये हैं । दूसरी पंचवर्षीय योजना में हम और अधिक धन खर्च करने जा रहे हैं । जब हम इतनी बड़ी राशि व्यय कर रहे हैं तो यह अच्छा होगा कि अभी तक किये गये काम का हर एक निरीक्षण कर लें ।

मुझे पता है इसकी आलोचना भी काफी की गयी है । 'कुरुक्षेत्र' पत्रिका में आलोचनायें प्रकाशित होती रहती हैं। मैं 'आलोचना के लिये आलोचना' करने वाले लोगों में से नहीं हूं पर रचनात्मक कार्यवाहियों या पुनर्निर्माण से ही देश की उन्नति होगी । इसी को आप सामुदायिक परियोजना कह लें । मैं देखता हूं कि प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति काम के लिये लाये जाते हैं । और पदाधिकारियों को काम पर लगाया जाता है । पर यह लोग उस काम तथा उस वातावरण के लिये पूर्णतः उपयुक्त नहीं होते । उन्हें वहां पर किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होना पड़ता और न वह काम की ही चिन्ता करते हैं कि क्या काम हो रहा है । वह तो केवल अपने से बड़े पदाधिकारी को खुश करने की चिन्ता करते हैं । यही ढंग चला आ रहा है। बड़े-बड़े पदाधिकारी अपने कर्त्तव्य के प्रति न्याय नहीं कर रहे हैं और न उनका दृष्टिकोण ही निःस्वार्थ

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राघवाचारी]

है। दलगत हितों से उनका अधिक सम्बन्ध है। उनमें निष्पृश्ता की भावना नहीं है। ऐसी स्थिति में उनसे काम की क्या आशा की जा सकती है। वे केवल अपनी डायरियों में लिख देंगे कि इतने कुयें खोदे गये हैं, इतने तालाब बनाये गये हैं और इतनी सड़कों का निर्माण किया गया है आदि।

गांवों में स्थानीय विकास कार्य अत्यन्त अल्प मात्र में हो रहा है। गांवों में इस प्रकार का कार्य करने वाली संस्थायें पंचायतें तथा ग्राम्य सहकारी समितियां हैं। ये जनतांत्रिक संस्थायें हैं तथा गांवों की जनता से उनका निकट सम्बन्ध है। जब इस प्रकार की संस्थायें मौजूद हैं तो इस कार्य के लिये नवीन संस्था की क्या आवश्यकता है। इस दिशा में गांव-पंचायतों और बहु-प्रयोजनीय सहकारी समितियों का उपयोग किया जाना चाहिये।

विभिन्न स्थानों की योजना समितियों की अध्यक्षता वहां के कलक्टर द्वारा की जाती है। लेकिन कलक्टर के पास इस कार्य के लिये बिल्कुल समय नहीं रहता है। कलक्टर और सदस्यों के बीच सहानुभूति और समन्वय की भावना नहीं रहती है। मेरा सुझाव है कि इसका सभापति कलक्टर न हो बल्कि कोई गैर-सरकारी व्यक्ति हो। वही लोग इससे सम्बद्ध रहें जिन्हें वस्तुतः उत्साह है। तभी प्रगति हो सकती है। मेरा कहना यह है कि स्थानीय कार्य पंचायतें और सहकारी समितियां करें न कि कोई ऐसा संगठन जो उन पर ऊपर से लादा गया हो।

†**सभापति महोदय** : संकल्प पर ५ बज कर २४ मिनट तक चर्चा होगी और मेरा विचार है कि योजना उपमंत्री ३०–३५ मिनट का समय लेंगे। अतः अब १ घंटा और २५ मिनट बाकी हैं। माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि वे दस मिनट के अन्दर ही अपना भाषण समाप्त कर दें।

†**श्री एस० एस० मोरे** : (शोलापुर) सामुदायिक योजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं से मुझे बड़ी सहानुभूति है क्योंकि मैं समझता हूं कि इनसे देहाती जनता के हृदयों में प्रसन्नता और प्रकाश आयेगा।

लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य सम्पूर्ण प्रशासन पद्धति को प्रजातांत्रिक बनाना है। हम चाहते हैं कि लोग अपनी समृद्धि के कार्यों में अधिक से अधिक भाग लें, और साधारण मनुष्य अपने जीवन के निर्माण का स्वयं विधायक बने। लेकिन क्या हमें इस कार्य में जनता का सहयोग प्राप्त हो रहा है। मुझे मालूम है कि उन कार्यों के लिये स्वीकृत ९० करोड़ रुपये खर्च नहीं किये जा सके। इसका कारण यह था कि अधिकांश कार्य सरकारी पदाधिकारियों के हाथों में थे और सरकारी पदाधिकारी कठोर नियमों में बंधे रहते हैं। इस देश में जिस कार्य का राष्ट्रीयकरण किया जाता है उस पर सरकारी पदाधिकारियों का एकाधिकार हो जाता है हम अभी भी ब्रिटिश शासन प्रणाली के प्रभाव में हैं। हमें लोगों को इस प्रवृत्ति से मुक्त करना है।

मैं यह मानता हूं कि कुछ पदाधिकारी सही दृष्टिकोण अपना रहे हैं। जो पदाधिकारी अपनी आलोचना के लिये प्रस्तुत है वह देश के लिये आधारस्तम्भ है। इस प्रकार की स्वस्थ मनोवृत्ति स्तुत्य है।

मेरे मित्र श्री राघवाचारी ने बिल्कुल सच कहा है कि सहकारी समितियों का सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है क्षेत्र के चुनाव से लेकर योजना के सम्पन्न होने तक पदाधिकारी के अतिरिक्त कोई दिखाई नहीं देता। अभी लोग पदाधिकारी के साथ भली प्रकार सहयोग करना नहीं सीखे हैं।

देश में आने वाले अनेक विदेशियों ने इन योजनाओं की सराहना की है। मैं इन विदेशियों की सद्भावना में शंका नहीं करता किन्तु वे हमारे द्वारा आयोजित दिखावे से प्रभावित हो जाते हैं। विदेशियों को उस स्थान पर नहीं ले जाया जाता जहां सामुदायिक योजनायें हीन अवस्था में हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अतः मेरा निवेदन है कि इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कार्य ग्रामवासी का सहयोग प्राप्त करना है। ग्रामीण निर्धन हैं, अनपढ़ हैं, अज्ञानी हैं और मैली-कुचैली जगह में रहता है, उसकी आत्मा मर चुकी है, हमें उसमें नवीन प्राण की सर्जना करनी है। उसे यह बताना है कि वही अपने भविष्य का विधाता है। जैसा श्री नहरू ने कहा है--ग्रामवासी को गलतियां करने दो। अपने अनुभव से वह स्वयं सीख जायेगा।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होने को है। इस योजना में ४,८०० करोड़ रुपया लगाया जायेगा लेकिन जनजीवन, और जनशक्ति का कुछ भी उपयोग नहीं किया जा रहा है यह देश में निष्क्रिय पड़ी है।

हमें गांवों का सहयोग प्राप्त करना है। गांवों को संगठित करिये। गांव वाले अपने हितों और अपनी समस्याओं की स्वयं देखभाल करें। एक नलकूप यहां और एक नलकूप वहां लगा देने से कोई लाभ नहीं होगा। वहां सड़कें बनाइये, उन्हें बीज दीजिये, भूमि की व्यवस्था कीजिये। यह समस्यायें छोटी-छोटी दिखायी देती हैं किन्तु उन सबको मिला कर देखा जाय तो उन्हें हल करना बहुत बड़ा काम है। यदि सामुदायिक परियोजनाओं को सफलतापूर्वक सम्पन्न करना है तो गांववालों से अनुरोध कीजिये कि वे इसमें हिस्सा बटायें--केवल आदेश देने से कुछ नहीं होगा।

मैं श्री रघुवीर सहाय द्वारा प्रस्तुत संकल्प का हार्दिक समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि सरकार को एक समिति बनानी चाहिये जो इन परियोजनाओं के काम की जांच करें जिससे कि यह मालूम हो सके कि कहां तक काम हुआ है।

डा० राम सुभग सिंह (शाहाबाद--दक्षिण) : मेरे मित्र श्री रघुवीर सहाय जी ने जो प्रस्ताव इस सदन के सम्मुख रखा है उसका मैं कुछ हद तक समर्थन करता हूं। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि एक समिति बना कर इस बात की जांच की जाय कि निश्चित किये गये धन में से अब तक कितना धन किन-किन मदों पर व्यय किया गया है और क्या वह ठीक प्रकार से व्यय किया जा रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना में ९० करोड़ रुपया इस कार्य के लिये जैसा कि और माननीय सदस्यों ने कहा है, रखा गया था। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना में करीब २०० करोड़ रुपया रखा गया है। हमारे मित्र के प्रस्ताव के दूसरे भाग में कहा गया है कि क्या सहकारिता की सच्ची भावना पैदा की गई और किस हद तक। तीसरे भाग में कहा गया है कि क्या कार्य के भारी पदाधिकारी उन लोगों से विश्वास पैदा करने में सफल हो सके हैं जिनमें काम करने के लिये उनसे कहा गया जाता है। चौथे भाग में कहा गया है कि जनता में काम करने वाले लोगों का कहां तक सहयोग प्राप्त किया गया और क्या जिला नियोजन समितियां वास्तव में उस प्रयोजन की पूर्ति कर रही हैं जिन के लिये वे बनाई गई थीं। मैं इन चारों बातों के बारे में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मेरे समर्थन करने का कारण यह है कि आगे चलकर इन चीज़ों पर काफी रुपया खर्च करने का विचार है और देश के निर्माण की योजनायें इन्हीं चीजों को आधार मान कर बनाई जा रही हैं।

वस्तुतः मुझे इस योजना से कोई मतभेद नहीं है और मैं इसका दिल से समर्थन करता हूं कि हिन्दुस्तान के तमाम गांवों में इस प्रकार के कार्य किये जायें। नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल (राष्ट्रीय विकास परिषद्) ने सितम्बर सन् ५५ में फैसला किया कि अगली योजना में देश के सभी गांवों को नेशनल एक्सटेंशन सर्विस (राष्ट्रीय विस्तार सेवा) के अन्दर शामिल कर लिया जायगा और उसने यह भी कहा कि कम से कम ४० प्रतिशत ब्लाक्स (खंड) को कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स (सामुदायिक योजनाओं) के रूप में परिणत किया जाय। लेकिन सवाल तो यह होता है कि अब तक जो ९० करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया, उसमें से कितने रुपये का सदुपयोग किया गया है?

बजट पर बोलते हुए वित्त मंत्री महोदय ने कहा इसके लिये एक बड़ी हाई पावर कमेटी (उच्च शक्ति समिति) बनेगी जो यह देखेगी कि बड़ी-बड़ी योजनाओं में किस तरह से रुपया खर्च किया जा

[डा० राम सुभग सिंह]

रहा है। उन्होंने यह भी कहा था कि जो अनेकों कमेटियां बनीं जैसे एस्टिमेट कमेटी (प्राक्कलन समिति) कैबेनिट कमेटी और आरगेनाइजेशन एंड मेथड्स कमेटी (संगठन तथा प्रक्रिया समिति) बनीं लेकिन इन सब कमेटियों के बनने के बावजूद भी कोई खास और माकूल व्यवस्था ऐडमिनिस्ट्रेशन (शासन) में खर्च की नहीं हो पाई है और आगे भी होने की कोई सम्भावना नहीं है उन्हों ने कहा है कि आगे आने वाले पांच वर्षों में अपव्यय बढ़ने की सम्भावना है और धन की बर्बादी और अपव्यय के बहुत से रास्ते खुल जायेंगे और इसलिये उन्होंने हमें चेतावनी दी कि हमें इस प्रकार के व्यय होने वाली व्यवस्था पर और अधिक निगरानी रखने की आवश्यकता है ताकि राष्ट्रीय संपत्ति का अपव्यय न होने पाय और वह एक सुनीयोजित व्यवस्था के अनुसार राष्ट्र निर्माण कार्यों पर खर्च हो और जब ऐसा होगा तभी देश और जनता को अधिकाधिक लाभ पहुंचा सकेगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने यह भी बतलाया कि योजना कमीशन (आयोग) की राय के अनुसार एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है लेकिन उन्होंने यह कहा है कि हम लोग कितनी कमी कर पायेंगे, यह बतलाना कठिन है।

कम्युनिटी प्राजेक्ट्स के मातहत जो ९० करोड़ रुपये की व्यवस्था थी, वह सारा रुपया अभी तक खर्च नहीं हुआ है और आज जरूरत इस बात की है कि हम उसके सम्बन्ध में जांच करें कि वह रुपया अभी तक क्यों नहीं खर्च हो पाया । यह हो सकता है कि सभी जगह इस सम्बन्ध में जांच न की जा सकती हो लेकिन खास-खास कम्युनिटी प्राजेक्ट्स में इस बात की जांच अवश्य होनी चाहिये कि वहां पर रुपया पूरा खर्च न किये जाने का क्या कारण है। देखना यह है कि एक कम्युनिटी प्राजेक्ट को जो करीब ६८, ६९ लाख या ७० लाख के करीब रुपया दिया जाता है, तो उसमें से कितना रुपया वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में लगा, इस्टैबलिशिमेंट चार्जेज (स्थापना व्यय) पर कितना रुपया खर्च आया और कितना रुपया वास्तविक निर्माण कार्यों पर व्यय हुआ जैसे कि कुओं की मरम्मत और नये कुओं की खुदाई, गांवों की सिंचाई, और पशुओं की नस्ल और गांवों की छोटी-छोटी सड़को के बनाने आदि जैसे उपयोगी कार्यों पर ? यह अजीब चीज है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में जब भी प्रशासन की ओर सही दृष्टिकोण अपनाया गया है लोगों ने निःशुल्क और स्वेच्छापूर्वक श्रमदान दिया है।

इसमें यह भी कहा गया कि ६० प्रतिशत के करीब लोगों ने यह काम करने में सहायता दी है। लेकिन इसका यह तो मतलब नहीं हुआ कि जो १,२०० ब्लाक्स कम्यूनिटी प्राजेक्ट्स में १ लाख २३ हजार गांवों में काम कर रहे हैं और जिसमें ७०० कम्युनिटी प्राजेक्ट्स के करीब शामिल हैं, सभी जगहों पर अच्छा काम हुआ है। यह ६० प्रतिशत जो बतलाया गया यह तो औसत बतलाया गया है : मैं बतलाना चाहता हूं कि कई जगह ऐसी हैं जहां बिल्कुल काम नहीं हुआ और मंत्री महोदय तो हमारे वहां से आते हैं उनको स्वयं इस बात का अनुभव होगा कि जो मैं कह रहा हूं कि वह सही है या नहीं। ठीक है मैं यह मानने को तैयार हूं कि एक-आध जगह पर थोड़ा बहुत काम हुआ है लेकिन वह भी कोई खास उत्साहवर्द्धक नहीं है। मंत्री महोदय का भी गांव से सम्बन्ध है और मेरा तो गांवों के साथ घनिष्ट सम्बन्ध है, वे इस बात से इंकार नहीं करेंगे कि ग्रांड ट्रंक रोड सरीखी मेन (मुख्य) सड़कों पर ही काम चल रहा है जिनसे कि बड़े-बड़े अफसरान को गुजरना होता है और इंटीरियर में गांवों के अन्दर काम नेगलेक्टेड (उपेक्षित) पड़ा है मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जहां तक ऐडवाइजरी कमेटी (मंत्रणा समिति) का सवाल है उसकी बैठक हमेशा कलक्टर और ऐडमिनिस्ट्रेटर की स्वीट विल (इच्छा) पर जब उनको सुविधा होती है तो बुलाई जाती है और गैर-सरकारी सदस्यों की सुविधा असुविधा की तनिक पर्वाह नहीं की जाती। ऐडवाइजरी कमेटी की तभी मीटिंग बुलाई जाती है जब कि कलक्टर कमिश्नर या ऐडमिनिस्ट्रेटर उसको बुलाना चाहते हैं और जैसे कि श्री राघवाचारी ने अभी आपको बतलाया कि कलक्टर को इनकी मीटिंग बुलाने की फुरसत ही बहुत कम मिलती है और जिसका नतीजा यह होता है कि ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग्स नहीं हो पातीं। मैं तो कहूंगा कि अगर कलक्टर के काम के बारे में जनता को सन्तोष है, कलक्टर

का काम उत्साहवर्द्धक है तो उसको उसमें जरूर रखा जाय, हमको उसमें ऐतराज नहीं है लेकिन यदि उस जिले की जनता को कलक्टर के प्रति संतोष न हो, तो वहां पर कलक्टर को चेयरमैन रखने से मेरी समझ में कोई लाभ नहीं होगा और उस जगह पर कलक्टर को जरूर चेयरमैनी की जगह से तबदील कर देना चाहिये। अब आप हमारे ही वहां का सवाल ले लीजिये। अगर हमारे यहां ठीक से काम नहीं होता और इर्रीगेशन सेक्रेटरी के चलते, कलक्टर के चलते यह १५,२० लाख रुपया नाजायज रूप में लगता है और आप उस कलक्टर को चेयरमैन बनाते हैं और वह कमिश्नर की हैसियत से ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग पर प्रिसाइड (अध्यक्षता) करता है तो मैं नहीं समझता कि कोई भी स्वाभिमानी आदमी ऐसे अफसर के मातहत रह कर किसी कमेटी में काम कर सकेगा जिसके चलते इतना नाजायज रुपया टैक्स के रूप में लिया गया और फिर गवर्नमेंट को उसे छोड़ना पड़ा। उस अफसर की गलती से वह टैक्स लगा।

दूसरा सवाल यह है कि मान लीजिये कि कम्युनिटी प्राजेक्ट के ६०० गांव हैं और उनके लिये ६८ लाख रुपया दिया जाता है जिसका मतलब यह हुआ कि मोटे तौर से एक गांव का हिस्सा ११ हजार रुपये होता है और अगर एक हजार रुपये इस्टैब्लिशमेंट के लिये भी रख लिया जाय तो हर गांव के पीछे १० हजार रुपया आता है। मैं पूछता हूं कि क्या १० हजार रुपया उस गांव पर खर्च किया गया है? मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि वह नहीं खर्च किया गया है। उन १० हजार रुपयों से गांवों के अन्दर सड़कों का निर्माण, पुराने कुओं की मरम्मत और नये कुओं की खुदाई का काम और कोआपरेटिव्स (सहकारिता) के जरिये किसानों के लिये सुन्दर बैलों और सांडों का जो प्रबन्ध करने का काम था, पूरा नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि मैं एक मीटिंग में गया और वह कम्युनिटी प्राजेक्ट का गांव है लेकिन वहां पर मैंने देखा कि गांव के बाहर जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उस पर तो गेट बना दिये गये हैं और सड़क ठीक कर दी गई है क्योंकि जब अफसर लोग उधर आयेंगे तो वे पायेंगे कि वाकई यहां पर काम हो रहा है। अफसरों के स्वागतार्थ वहां पर कुमहूं द्वार हाथी की चित्रकला को लेकर बनाया गया और अफसरों की आसानी की खातिर विलेज एप्रोच रोड (गांव को मिलाने वाली सड़क) ठीक कर दी गई, लेकिन गांव के अन्दर के कठेज की सड़क ठीक करने का काम नहीं किया गया और जब सरकार का ध्यान उसकी ओर दिलाया गया और उनको पत्र लिखा गया कि गवर्नमेंट गांव के अन्दर काम कराये और रास्ते ठीक करवाये तो जवाब आता है कि वह काम तीन महीने में पूरा होने वाला है। ३१ मार्च को उसकी अवधि पूरी हो जायेगी तो क्या दिसम्बर से यह काम बिलकुल बंद कर दिया गया है और कोई नया काम नहीं शुरू किया जायगा। मैं उसका जवाब देता हूं। मेरे सामने चिट्ठी मौजूद है। ३० मार्च को मियाद खत्म हो जानी है। दिसम्बर से काम चल रहा है और जनवरी में हमने अपनी चिट्ठी से ध्यान आकर्षित किया, अगर अब वह डर से काम पूरा हो जाय तो अलग बात है। लेकिन मेरा तो कहना है कि खुद ब खुद वे इस काम को क्यों नहीं करते और उसको कराने के लिये चिट्ठी लिखने की क्यों आवश्यकता पड़े और फिर उसका टालमटोल जवाब दिया जाय। जिनके जिम्मे यह काम कराने का भार होता है वे जिम्मेदारी से अपने कर्त्तव्य को नहीं निभाते। हमारे देखने में आया है कि ऐडमिनिस्ट्रेटर जाते हैं और उनके जाने पर उनका स्वागत होता है और टीमटाम होता है जिससे वह अन्दाजा लगा लेते हैं कि गांव में अच्छी तरह चल रहा है जब कि हकीकत इसके विपरीत होती है और वे चट से अपनी रिपोर्ट में लिख देते हैं कि इस गांव में बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। इस तरह की गलती कर बैठते हैं और वे गांव के अन्दर खुद अपनी आंखों से यह नहीं देखते कि किस तरह काम चल रहा है और काम की प्रोग्रेस (प्रगति) क्या है। वे यह नहीं देखते कि वहां पर जो कार्य करने के लिये कर्मचारी हैं और जो अमला है वे ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। जहां तक इन कामों में जनता के सहयोग को प्राप्त करने का ताल्लुक है, हमारा यह अनुभव है कि हमारे अफसरान जनता को इस काम में सहयोग देने के लिये तैयार करने में असफल रहे हैं और वे जनता में जरूरी जागृति नहीं पैदा कर सके हैं ताकि जनता उनको नव निर्माण के कार्यों में सक्रिय सहयोग दान करे। केवल मीटिंग मात्र में बोल देने से अफसरों का कर्त्तव्य पूरा नहीं हो जाता है बल्कि

[डा० राम सुभग सिंह]

उनको खुद जनता के बीच जाकर उससे सम्पर्क स्थापित करना चाहिये और उनकी समस्याओं और कठिनाइयों को समझना चाहिये। खाली ग्राम सेवकों के गांवों में जाने से और जनता से मिल लेने पर से काम नहीं चलने वाला है और मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि यह जो हमारे अफसरों की शान है कि हम गांवों में न जायें, तो यह फेल्योर (असफलता) की निशानी है और ऐसे अफसरों को ऐसे पदों पर नहीं चाहिये।

दूसरी चीज यह है कि अगर कमिश्नर साहब पटना से कहीं १५० मील के फासले पर प्रिज़ाइड करने जायें तो गवर्नमेंट उनकी टी० ए० (यात्रा भत्ता) देती है लेकिन वहां का किसान अगर उस मीटिंग में शामिल होने आये तो उसको रहने के लिये जगह भी नहीं मिलती और उसकी कोई पूछ नहीं होती जब कि आफिशियल मेम्बर (सरकारी सदस्य) की आवभगत होती है और ठहरने का माकूल इन्तजाम किया जाता है, हर जगह यही देखने में आता है कि नान-आफिशियल मेम्बर (गैर-सरकारी सदस्यों) को उतनी सुविधायें नहीं दी जातीं।

आचार्य कृपलानी : नान-आफिशियल (गैर-सरकारी सदस्य) सत्तू बांध कर जायें।

डा० राम सुभग सिंह : अगर कृपलानी जी की मीटिंग हो तो सत्तू लेकर जायें लेकिन कलक्टर साहब की मीटिंग में सत्तू लेकर क्यों जांय ?

श्री एस० एस० मोरे : भूखों मरे।

डा० राम सुभग सिंह : जिन लोगों को टाई और सूट-बूट से सम्बन्ध है वे किसानों में खप नहीं सकेंगे। लोग उनके सामने जाकर सलाम भी करें और सत्तू भी लेकर जायें यह शायद जनता गवारा नहीं करेगी।

श्री तिम्मय्या (कोलार—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : इसमें कोई सन्देह नहीं कि सामुदायिक परियोजनाओं ने ग्राम्य जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किये हैं और कृषकों को अनेक प्रकार की सुविधायें प्रदान की हैं। फिर भी मैं समझता हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को इनसे कोई लाभ नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान कुछ कमियों की ओर आकर्षित करूंगा।

रैयत को ऋण देते समय परियोजना पदाधिकारी प्रायः उन्हीं व्यक्तियों को ऋण देता है जो किसी प्रकार की प्रतिभूति दे सकते हैं इसी प्रकार अच्छी किस्म की खाद और बीज भी उन्हीं लोगों को मिलते हैं जिनके पास जमीन होती है। भूमिहीन व्यक्तियों को इनसे कोई लाभ नहीं होता। मेरा निवेदन है कि योजनाओं को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाये कि समाज के दुर्बल पक्ष की आवश्यकतायें पूरी हों।

कुटीर उद्योगों में अनुसूचित जाति के नवयुवकों को भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिये। इस क्षेत्र में हरिजन युवकों की संख्या में वृद्धि की जाये। परियोजना पदाधिकारी भूमिहीनों को भूमि देने का कार्य भी कर सकते हैं। इस तरह लोगों में उत्साह एवं सहकारिता की भावना उत्पन्न की जा सकती है। केन्द्र नगरों के समीप होने चाहिये।

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : आपका अभिप्राय योजनाओं के प्रधान कार्यालयों से है।

श्री तिम्मय्या : चूंकि हम समाजवादी ढंग पर समाज की रचना कर रहे हैं हमें समाज के दुर्बल पक्ष की सहायता का विशेष ध्यान रखना है।

पदाधिकारी स्वयं को जनता का अंग नहीं समझते हैं। इसी कारण जनता का यह विचार हो गया है कि सारा काम सरकार कर रही है और उनका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। पदाधिकारियों को यह

अनुभव करना चाहिये कि वे सामाजिक कार्यकर्ता अथवा ग्राम सुधारक हैं अन्यथा जनता का सहयोग नहीं मिलेगा ।

सरकार हरिजन बस्तियों में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करे ताकि अस्पृश्यता दूर की जा सके मुझे आशा है कि सरकार इन सुझावों पर ध्यान देगी ।

डा० रामा राव (काकिनाडा) : यह एक नवीन योजना है और जो नवयुवक एवं नवयुवतियां इस कार्य में लगे हुए हैं उनमें शनैः शनैः नवीन भावना जाग्रत हो रही है । योजनायें एक मूलभूत कमी है । जब तक आप भूमिहीनों को भूमि नहीं देते तब तक यथार्थ उत्साह उत्पन्न नहीं हो सकता । फिर भी जो कुछ किया जा रहा है मैं उसका स्वागत करता हूं ।

सर्वप्रथम मैं अपने सामुदायिक परियोजना क्षेत्र——काकिनाडा–पेड्डापुरम परियोजना का उल्लेख करूंगा । वहां पर लगभग बीस दिन पूर्व काम बिल्कुल रूका पड़ा था क्योंकि उन्हें यह मालूम नहीं था कि उस क्षेत्र के लिये ६५ लाख रुपये की जो रकम निर्धारित की गयी है । उसमें वे राशियां सम्मिलित हैं जो लोगों ने चन्दे के रूप में दी थीं । लोगों ने वहां नकद चन्दा एकत्रित किया था किन्तु उन्हें इसका पश्चाताप है कुछ गांवों में ५००० रुपये और एक स्थान पर २०,००० रुपये तक इकट्ठे हुए थे । अकस्मात् किसी व्यक्ति ने यह शंका उत्पन्न कर दी कि उस क्षेत्र के लिये निर्धारित ६५ लाख रुपयों में क्या उक्त चंदे की रकमें भी सम्मिलित हैं । और अब काम बिल्कुल रुक गया है । गांववालों में निराशा उत्पन्न हो गई है । पदाधिकारियों को यह मालूम नहीं है कि रुपया गांववारों को लौटा दिया जाय अथवा काम आरम्भ किया जाये ।

मेरे जिले में कुछ हरिजनों ने मकान की जमीन के लिये कुछ रुपया दिया था । सरकारी आदेश निःशुल्क जगह देने के लिये हैं । लेकिन इन हरिजनों ने इसके लिये रुपया दिया था और उसे भी सात या आठ वर्ष हो गये हैं मैंने इस सम्बन्ध में कलेक्टर को लिखा और उसने कहा कि हमें शीघ्र ही इसे तय कर रहे हैं । लेकिन सात-आठ वर्षों से कुछ नहीं हुआ है । कोई ऐसा व्यक्ति जो यह नहीं चाहता है कि सरकार द्वारा उसकी जमीन ली जाये, किसी प्रभावशाली व्यक्ति को ले आता है और सारा कार्य रुक जाता है । एक बार मैंने कलेक्टर से कहा कि सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को लेकर गांव में चलिये और आधे घंटे में मामला निबटा दीजिये । उन्हों ने ऐसा नहीं किया ।

जैसा कांग्रेसी सदस्य डा० राम सुभग सिंह ने कहा है कि इस कार्य में कुछ दिखावे की मात्रा है । रामचन्त्रपुरम में कुष्ट योजना के सिलसिले में उपकरण, डाक्टरों और कर्मचारी वर्ग की स्वीकृति दी जा चुकी है । कर्मचारी वहां आठ महीने पहले से हैं । किन्तु उपकरण अभी आया है । आप लोगों को आठ महीने पहले नियुक्त क्यों करते हैं जब कि वहां उपकरण नहीं है ।

सामुदायिक योजना क्षेत्र की सबसे अधिक आवश्यकता शुद्ध जल और वैज्ञानिक ढंग पर बने हुये शौचालय हैं । चूंकि अनेक क्षेत्रों में लोग नकद चन्दा करने अथवा श्रमदान करने में समर्थ नहीं हैं । पहले वहां राजस्व विभाग कुयें खुदवा देता था । परियोजनाओं के बाद से उसने वह काम बन्द कर दिया है । सामुदायिक परियोजनाओं के अन्तर्गत अथवा राजस्व विभाग को कुयें खुदाने का काम शीघ्र करना चाहिये ।

त्रिपुरा में पिछले तीन वर्षों से एक भी सड़क नहीं बनी है । मैं यथासंभव राजनीति को अलग रख-कर यह बात कह रहा हूं । केरल में एक पंचायत ने एक साम्यवादी की अध्यक्षता में सामुदायिक परियोजना क्षेत्र में एक सड़क बनाई । उन्होंने डा० केसकर को आमंत्रित किया । किन्तु स्थानीय कांग्रेसियों ने उन्हें वहां आने से मना कर दिया । इस प्रकार का कार्य लोगों में निराशा उत्पन्न कर देता है । विधान-सभा के एक स्वतंत्र सदस्य ने यह बात प्रधान मंत्री को बताई है । मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि कम से कम

[डा० रामा राव]

सामुदायिक योजना के ग्राम कार्य को राजनीति से पृथक् रहना चाहिये । मंत्रिगण सबसे सहयोग की बातें करते हैं किन्तु यथार्थ में ऐसा होता है ।

रायलसीमा के योजना क्षेत्र में लोगों द्वारा धन देने पर भी जिला बोर्ड की धनहीनता के कारण हाई स्कूल और मिडिल स्कूल नहीं खुल पाये हैं । इन क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति पहले ही पिछड़ी हुई है । अतः सरकार को इस दिशा में ध्यान देना चाहिये ।

अतः मैं संकल्प का समर्थन करता हूं । आशा है कि यह समिति त्रुटियों की ओर संकेत कर उनके सुधार के लिये कुछ सुझाव प्रस्तुत करेगी ।

श्री भक्त दर्शन (जिला गढ़वाल व जिला मुरादाबाद—उत्तर-पूर्व) : मैं सबसे पहले अपने आदरणीय मित्र श्री रघुवीर सहाय जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस संकल्प के द्वारा इस सदन का ध्यान एक बहुत ही आवश्यक विषय की ओर आकर्षित किया है । जैसा कि रिपोर्टों से मालूम होता है इस पर लगभग ९० करोड़ रुपयों के व्यय का अनुमान लगाया गया है, और सारे देश के हर गांव में इस योजना की वजह से एक नई जागृति और आशा की किरण पैदा हो गई है । सब जगह बड़े बांध नहीं बन सकते, सब जगह रेलों की लाइनें नहीं बन सकतीं, सब जगह बड़ी-बड़ी मीटर सड़कें नहीं बन सकतीं हैं लेकिन सामुदायिक योजना का प्रकाश हर गांव में पहुंचाया जा सकता है और इसके द्वारा हम अपने गांवों के वास्ते स्वराज्य का वह सुख पहुंचा सकते हैं जिसकी हम बहुत दिनों से कल्पना करते रहे हैं । इसलिये मैं इस विषय को यहां पर लाने के लिये अपने मित्र श्री रघुवीर सहाय जी को बहुत धन्यवाद देता हूं । मैं उन्हें बधाई भी देता हूं क्योंकि एक प्रकार से इस विषय का पुनर्जन्म हुआ है । बैलट (मतदान) में जाकर यह समाप्त हो गया था, अब फिर यह दुबारा आया है, इसलिये श्री रघुवीर सहाय जी बहुत भाग्यशाली हैं कि उनके इस प्रस्ताव का पुनर्जन्म हुआ है ।

सभापति जी, यहां पर बहुत सी बातें सामान्य रूप में कही गयी हैं, लेकिन मैं दो तीन बातों की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । अभी तक जगह-जगह पर जो प्लैनिंग (योजना) या विकास के काम चल रहे हैं, उनमें जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर्स (जिला योजना पदाधिकारी) हैं या जो प्राजेक्ट एग्जिक्यूटिव आफिसर्स (परियोजना कार्यपालक अधिकारी) हैं या डिस्ट्रिक्ट डेवेलपमेंट आफिसर्स (खण्ड विकास अधिकारी) हैं, जहां तक मेरा अनुभव है, वे अधिकांश में आई० ए० एस० या पी० सी० एस० या इसी तरह की और सर्विसेज (सेवाओं) के हैं । मैं उन लोगों को ज्यादा दोष नहीं देना चाहता, वे बड़े अच्छे शासक हैं, उनमें कार्यक्षमता भी है । जहां तक एफिशिएन्सी कार्यक्षमता का सम्बन्ध है, उनकी दक्षता में सन्देह नहीं किया जा सकता । लेकिन जहां तक जनता की सेवा करने का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि वे इस दिशा में अधिक सफल हो सकते हैं । आज जो व्यावहारिक कठिनाई मैंने उत्तर प्रदेश में अनुभव की है वह यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स (जिला योजना पदाधिकारी) और डिप्टी प्राजेक्ट आफिसर्स (उप-परियोजना अधिकारी) नियुक्त किये गये हैं उनको हमेशा यही फिक्र रहती है कि वह किसी तरह रेगुलर लाइन (नियमित पदाली) में जाकर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट (अपर जिला-दण्डाधीश) या कलेक्टर हो जायें । इसलिये उनके दो तीन साल तक काम करने के समय में उनके ऊपर जितना खर्च होता है वह सब बेकार हो जाता है । इस बारे में मेरा सुझाव यह है जिन सार्वजनिक सेवकों ने अपना सारा जीवन गांवों की सेवा में व्यतीत किया है, जो खादी के काम में या दूसरे प्रकार के सार्वजनिक कामों में कुछ अनुभव रखते हैं, अगर उनमें से शिक्षित व्यक्ति मिल सकते हों तो उनको इस कार्य के लिये लिया जाय । यदि यह सम्भव न हो सके तो मेरा दूसरा सुझाव यह है कि हमारी सरकार का जो कृषि विभाग है या सहकारिता का विभाग है, उनमें जो गजटेड आफिस हों उनमें से डिस्ट्रिक्ट प्लैनिंग आफिसर्स (जिला योजना

पदाधिकारी) और डिप्टी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव आफिसर्स (उप-परियोजना कार्यपालक अधिकारी) लिये जाए। क्योंकि उनका जनता से सीधा सम्पर्क रहता है इसलिये वह ज्यादा सफल हो सकते हैं। कुछ दिन हुये मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि शायद गवर्नमेंट की मंशा है कि एक आल इंडिया डेवेलबेंट सर्विस (अखिल भारतीय विकास सेवा) या इसी तरह की कोई दूसरी सर्विस (व्यवस्था) आरम्भ की जाय। मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि इस विषय में कितनी प्रगति हुई है, लेकिन अगर, यह विचार किया जा रहा तो मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं कि जब तक अच्छे विचारों के और अच्छे दृष्टिकोण के लोग इस मैशीनरी में नहीं होंगे तब तक हम लोग संसद् में बैठ कर या प्लनिंग कमिशन (योजना आयोग) में बैठ कर गांवों का पूरा उपकार नहीं कर सकते।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आपने इन कम्युनिटी डिवेलेपमेंट प्राजेक्ट्स (सामुदायिक विकास परियोजना) का कार्यकाल तीन वर्ष का रखा है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर यह कह सकता हूं कि यह समय बहुत कम है। पहले वर्ष तो ऐसे ही काम के प्रारम्भ करने और उसकी सीखने इत्यादि में खत्म हो जाता है और जो तीसरा वर्ष होता है उसमें कर्मचारियों को अपने विभागों में वापस जाने की उत्सुकता होती है और वे ठीक तरह से काम नहीं कर पाते हैं। बीच का ही एक ऐसा वर्ष रह जाता है जब वे ठीक तरह से काम कर सकते हैं। इस वास्ते मेरा सुझाव है कि इनका कार्यकाल पांच वर्ष कर दिया जाय ताकि वे जमाकर काम कर सकें। ऐसा करने से ही मैं समझता हूं कि वास्तविक सफलता प्राप्त हो सकती है। आजकल जो यह तीन वर्ष का समय रखा गया है उसका परिणाम यह हुआ है कि बहुत सी बड़ी-बड़ी रकमें खर्च होने से रह गई हैं। मैं आपको अपने जिले गढ़वाल म बधाण के इलाके की बतलाता हूं। वहां पर जो कम्युनिटी डिवेलेपमेंट ब्लाक (सामुदायिक विकास खण्ड) है वह इसी ३१ मार्च को खत्म हो रहा है। वहां लोगों में जो आशा की संचार हुआ था वह समाप्त होता जा रहा है और उनमें निराशा फैल रही है। कर्मचारी भी कुछ ट्रेनिंग प्राप्त कर पाये थे और अब वहां से कम्युनिटी प्रोजेक्ट को उठाकर दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इस कार्यकाल के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया जाय।

अब मैं एन० ई० एस० ब्लाक्स (राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड) के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। एक नैशनल एक्सटेंशन सर्विस ब्लाक पर साढ़े सात लाख रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से करीब डेढ़ लाख रुपया वेतन, भत्तों, मकान इत्यादि के किरायों और जीप्स आदि पर खर्च हो जाता है। करीब चार लाख रुपये कर्ज के रूप में दिये जाते हैं और केवल दो लाख रुपये ही अनुदानों के रूप में देने के लिये रह जाते हैं। ये चार लाख रुपये जो कर्ज के रूप में रखे जाते हैं और उसको जिन सिद्धांतों के आधार पर दिया जाता है पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु जब हम इस प्रणाली को व्यवहार में लाते हैं तो कठिनाई पैदा होती है। मैं बतलाना चाहता हूं कि मैदानों में एक किसान को यदि ५०० या १००० रुपया मेसनरी, वैल या पक्के कुएं बनाने के लिये दिया जाता है और यदि उसके पास १५ या २० एकड़ भूमि होती है तो वह इस कर्ज को आंसानी के साथ चुका सकता है। लेकिन जब आप पहाड़ी इलाकों की ओर जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है। वे कर्ज अदा नहीं कर पाते हैं। अधिक से अधिक उस कर्ज से जो वह लाभ उठा सकते हैं वह इतना ही है कि वे पेट भर भोजन पा लेते हैं। इस वास्ते मैं प्रार्थना करता हूं कि पहाड़ी इलाकों के लोगों को कर्ज देने की प्रणाली में संशोधन किया जाना चाहिए। अभी यहां यदि यह रखा जाय पर बताया गया है कि जो ९० करोड़ रुपया रखा गया था वह सारा खर्च नहीं हो पाया है। मेरे विचार में कि वे कौन सी मदें ह जिन पर कि पूरा रुपया खर्च नहीं हुआ है तो हम को कर्ज की ही ऐसी मद मिलेगी जिस पर कि पूरा रुपया खर्च नहीं हो सका। मैं चाहता हूं कि पर्वत्तीय इलाकों में और पिछड़े हुए इलाकों में जहां इस कर्ज की रकम कम उपयोग नहीं किया जा सका है लोकल अथोरिटीज को यह सुविधा दी जाय इस बात की छूट दी जाय कि वे इस कर्ज को अनुदान के रूप में वितरित कर दें।

[श्री भक्त दर्शन]

अब मैं एक और बात आपके नोटिस (ध्यान) में लाना चाहता हूं। यदि आप चाहें कि आप सारे देश को एक ही लाठी से हांक लें, तो आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं अपने जिले में जिला विकास संघ (डिस्ट्रिक्ट डिवेलेपमेंट एसोसियेशन) का अध्यक्ष था। यू० पी० सरकार की ओर से एक सर्क्युलर आया कि आपके जिले के लिये २० पक्के कुओं के लिये १०,००० रुपये मंजूर किये गये हैं और आप इसको इन मदों पर खर्च कर सकते हैं। उन मदों में से एक मद या भी थी कि कुएं बनाने पर भी रुपया खर्च किया जाय। मैंने जिप्टी कमिश्नर को लिखा था कि मेरे इलाके में कुएं नहीं बन सकते हैं, इसलिये इस रुपये का उपयोग इरीगेशन चैनल्ज (सिंचाई की नहरें) बनान पर, सिंचाई के कार्यों पर किया जा सकता है और ऐसी करने की आज्ञा दी जाय। लेकिन यह चीज नहीं मानी गई। इसके बाद मैंने डिवेलेपमेंट कमिशनर (विकास आयुक्त) को लिखा। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर (प्रशासक) है, केन्द्रीय सरकार है और उन्होंने एक फारमूला बना रखा है, उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि आप कोई 'कट एंड ड्राई फारमूला' (स्थिर सिद्धांत) बना कर उसको हर जगह पर एप्लाई (लागू) नहीं कर सकते। आपको स्थानीय अधिकारियों को या वहां की प्रान्तीय सरकार को कुछ न कुछ परिवर्तन उसमें करने का अधिकार देना चाहिये। मैं समझता हूं कि इसके बारे में कोई सख्त नियम यदि आप बनायेंगे तो व्यावहारिकता की दृष्टि से सफल नहीं हो सकेंगे। वैसे भी अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि यदि आप मैदानों में कुएं बनाने पर रुपया देते हैं तो आपको पहाड़ी इलाकों के लिये जहां पर ऊबड़-खाबड़ जमीन होती है एफौरस्टेशन के लिये उद्यान कला यानी हार्टिकल्चर के लिये रुपया देना होगा। यदि आप अपने नियमों में इस प्रकार के परिवर्तन करेंगे तभी आपको सफलता मिल सकेगी।

अब एक छोटी-सी बात की तरफ मैं आपका ध्यान और खींचना चाहता हूं। इस सामुदायिक योजना में या राष्ट्रीय प्रसार योजना में क्या कारण है कि जो शब्दावली अमरीका में इस्तेमाल होती है वही यहां पर इस्तेमाल की जाती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। जो इन योजनाओं में सबसे छोटा कार्यकर्ता होता है उसको विल्लेज लेवल वर्कर (ग्राम सेवक) कहा जाता है। गांव वाले कई बार इसको समझ नहीं पाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप उसका नाम ग्राम सेवक नहीं रख सकते हैं? क्या कारण है कि हर चीज में हम अमरीका की या दूसरे विदेशी मुल्कों की नक्ल करते हैं। मैं मानता हूं कि हमें थोड़ा बहुत रुपया विदेशों से मिलता है लेकिन क्या इसका यह अर्थ है कि हम उनकी शब्दावली को भी अपना लें? क्या हमारा शब्दकोष इतना दिवालिया हो गया है कि उसमें विल्लेज लेवल वर्कर आदि के लिये कोई शब्द ही नहीं है? यदि उसके लिये कोई शब्द नहीं मिलता है तो हम कोई शब्द गढ़ सकते हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि हमें इन फारेन (विदेशी) शब्दों को न अपना कर अपने शुद्ध भारतीय शब्द ही इनके स्थान पर प्रयोग में लाना चाहियें।

अन्त में जो प्रस्ताव मेरे मित्र रघुवीर साहय जी ने पेश किया है उसकी भावना का तो मैं समर्थन करता हूं। परन्तु यह चीज जो उन्होंने कही है कि पार्लियामेंट (संसद्) क मैम्बर्ज (सदस्यों) की एक समिति या समितियां बनाई जायें चो जांच पड़ताल करें, इस ो मैं व्यावहारिक नहीं समझता हूं क्योंकि यदि कमेटी बैठेगी तो सिवाय आलोचना के और कुछ व्यावहारिक लाभ प्राप्त नहीं होगा। मेरा सुझाव यह है कि जो कमिटी (समिति) इवेल्युशन रिपोर्ट (विकास प्रतिवेदन) निकालती हैं वे उन में ज्यादा गहराई में जाया करें।

दूसरा सुझाव मैं यह देता हूं कि एक स्थायी कमेटी बनाई जाय जिसमें पार्लियामेंट के मेम्बर (संसद् सदस्य) जो इस विषय में दिलचस्पी रखते हैं रखे जायें। इस कमेटी की कम से कम साल में एक या दो बैठकें हुआ करें और सारी प्रगति पर विचार करने के बाद सदस्यों से सुझाव मांगे जायें। यदि इस तरह से काम किया गया तो हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं।

इतना कहने के बाद अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव रखा गया है उसके पीछे जो भावना है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

†**श्री सी० आर० नरसिंहन्** (कृष्णगिरि) : यद्यपि सामुदायिक परियोजनाओं के बारे में मुझे कुछ भी अनुभव नहीं है फिर भी अपने निर्वाचन क्षेत्र के कुछ सामुदायिक विकास खण्डों के कार्यकर्ताओं के सम्पर्क में आने का अवसर मिला है जिससे मुझे उनके विचारों का पता लगा है । उदाहरण के लिये विधान सभा के एक सदस्य ने कहा है कि उच्च पदाधिकारी, खण्ड अधिकारियों और ग्राम सेवकों को एक खण्ड से दूसरे खण्ड में बड़ी जल्दी-जल्दी स्थानान्तरित करते रहते हैं जिससे शीघ्रतापूर्वक कार्य करने में बाधा पड़ती है । दूसरी चीज यह है कि इन अधिकारियों, क्लर्कों तथा अन्य कार्यकर्ताओं को यह चीज हृदय से भुलाकर काम करना चाहिये कि वे वेतन पाते हैं इसलिये काम करते हैं । ऐसा करने पर ही उन्हें जनता का सहयोग मिल सकता है ।

मेरे एक अन्य मित्र, जो जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष हैं और भारत सेवक समाज में भी हैं, का कहना है कि लोगों को अपना काम आप करने की वास्तविक शिक्षा नहीं दी जाती । वास्तव में देखा जाय तो भौतिक कार्यों के अतिरिक्त लोगों के नैतिक सुधार का कुछ भी कार्य नहीं किया जाता । अधिकारियों की एक आदत यह भी है कि वे जो सामान किसी स्थान पर उपलब्ध होता है, उसी से निर्माण कार्य न करके बाहर से सामान मंगा कर लगाते हैं । उन्हें महंगा फर्नीचर आदि मंगाने में ही आनन्द आता है । कई बार ग्रामवासियों को भूमि की कमी के कारण ५०–६० फीट चौड़ी सड़क बनाने के लिये भूमि देने में कठिनाई जान पड़ती है । हम देखते हैं कि लाल फीताशाही चल रही है । कुछ क्षेत्रों में जिनमें भूमियों का उचित रूप से परिमाप नहीं किया गया है, वहां ऋण मिलने में बड़ा विलम्ब होता है । मैंने अपने क्षेत्र में देखा है कि राजस्व पदाधिकारियों और जनता में सहयोग की भावना नहीं है जिससे सुधार नहीं हो पाता । ये कमियां हैं ; वैसे तो सामुदायिक विकास परियोजनाओं का काम ठीक प्रकार से चल रहा है ।

विशेष रूप से उन खण्डों में जहां मद्यनिषेध है, उनके लिये मेरा सुझाव यह है कि ऐसे वृत्तांत चलचत्र दिखाये जाने चाहिये जिससे लोग अवैध रूप से शराब न बनायें । अन्यथा इन परियोजनाओं द्वारा किया गया सारा काम चौपट हो जायेगा ।

†**श्री देवेश्वर सर्मा** (गोलाघाट-जोरहाट) : मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के राष्ट्रीय विकास खण्डों के विषय में यह जनता हूं कि उन पर प्रशासन व्यय अधिक होता है जिसका परिणाम यह होता है कि अन्य कार्यों के लिये राशि कम रह जाती है । इसके अलावा पदाधिकारियों और मंत्रणा बोर्ड के कार्यों के बारे में बड़ी भ्रांति है जिसके कारण खींचतान मची रहती है और ठीक प्रकार से कार्य नहीं हो पाता । एक विकास खण्ड में मंत्रणा समिति के सुझाव अस्वीकार कर दिये गये थे । इन मंत्रणा समितियों में अधिकांशत: प्रभावशाली व्यक्ति ही होते हैं किन्तु यदि उनके सुझावों को नहीं माना जाता तो फिर उनसे सहयोग की आशा किस प्रकार की जा सकती है ? अधिकारियों और स्थानीय स्वशासी निकायों में समन्वय का अभाव है । मंत्रणा बोर्ड की हैसियत से मैं चाहता हूं कि स्थानीय बोर्ड और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों के कार्यों का स्पष्टीकरण किया जाय । कई बार गांव वालों की दशा धोबी के कुत्ते की भांति हो जाती है जिसका कोई ठिकाना नहीं होता । स्थानीय बोर्ड और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड दोनों एक दूसरे पर काम डालते रहते हैं । इस कारण इन दोनों में समायोजन का अभाव जान पड़ता है जिसका होना इन परियोजनाओं को सफल बनाने के लिये आवश्यक है ।

मैं सारे पदाधिकारियों के बारे में तो नहीं कहता किन्तु उनमें से अधिकांश में वही पहले की बू भरी हुई है अर्थात् अपने अधिकारी को प्रसन्न रखना । इसका परिणाम यह होता है कि केवल कागजी काम होता है जबकि वास्तविकता कुछ और ही होती है, जो आशा से कहीं कम होती है । मेरी समझ में एक बात यह

†मूल अंग्रेजी में

[श्री देबेश्वर सर्मा]

नहीं आती कि जिला कृषि अधिकारी अथवा कृषि विभाग के अन्य किसी पदाधिकारी को परियोजना पदाधिकारी से कम वेतन क्यों मिलता है ? इनमें असमानता का कारण मैं नहीं जान पाता हूं ।

मुझे पदाधिकारियों के लम्बे-चौड़े और ताबड़तोड़ दौरों पर कोई आपत्ति नहीं किन्तु होता क्या है ? पदाधिकारी हवाई जहाज या मोटर से दौरा करते हैं, और सरकारी अतिथि ग्रह में ठहर कर कुछ कर्मचारियों को बुलाकर सामुदायिक परियोजना का संचालन करते हैं । क्या यह धन का अपव्यय नहीं है ?

वास्तव में देखा जाय तो आसाम के कृषकों की दशा बड़ी शोचनीय है । उनके पास पर्याप्त न भूमि ही है और न धन जिससे वे गुजारा चला सकें । समस्या तो यह है कि उन्हें ऋण किस प्रकार मिलें । प्रशासक को तो किसानों के पत्रों के उत्तर देने तक का अवकाश नहीं होता । मेरा यह सब कहने का तात्पर्य कटु आलोचना करना न होकर यह है कि अविलम्ब ही पदाधिकारियों के कार्य के तरीकों और उनके चुनाव के तरीके में सुधार होना चाहिये । मुझे आशा कि मेरे इस सुझाव पर ध्यान दिया जायेगा ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : मुझे सामुदायिक परियोजनाओं के बारे में कुछ अधिक नहीं कहना है । हमें उन पर काफी विश्वास है और गांवों में उन्होंने काफी कार्य किया भी है । अभी बहुत कुछ काय करना है । मुझे हर्ष है कि इसके लिये यह संकल्प जिसका मैं हृदय से समर्थन करती हूं । मैं चाहती हूं कि एक समिति बना दी जाय । हम संसद् सदस्यों को इस विषय में दिलचस्पी लेनी चाहिये और इस पर विचार करना चाहिये कि गांवों में किस प्रकार कार्य होना चाहिये और उसे किस प्रकार कार्यान्वित किया जाये । केवल कागज पर लिखे रहने से कोई लाभ नहीं होगा ।

सामुदायिक परियोजना प्रशासन से मुझे एक निवेदन और करना है । वैयक्तिक झगड़ों के कारण कुछ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों को तोड़ दिया गया है । अतः पदाधिकारियों को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिये ।

मैं अपने माननीय मित्र के इस कथन से सहमत हूं कि पदाधिकारियों को दौरा करते समय स्वयं ही गांवों के अन्दरूनी हिस्सों में जाना चाहिये ।

सामुदायिक परियोजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों की देखरेख करनी चाहिये । वह ग्रामीण जीवन को पूर्णतः विकसित करने के लिये है । परन्तु फिर भी, जो धन वहां उपलब्ध होता है उसका कुछ भाग केवल उपकरणों के लिये सुरक्षित रहता है । अन्य वस्तुओं की आवश्यकता होने पर यह धन उन वस्तुओं के लिये व्यय नहीं किया जा सकता है । इस नियम में ढिलाई की जानी चाहिये ।

अब बीमा-व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है । अन्य कई व्यवसायों का भी राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है । परन्तु यह एक खेद की बात है कि नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में कोई भी कुछ नहीं सोचता है और उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाये गये हैं । मैं सामुदायिक परियोजनाओं के कार्यकर्ताओं और मंत्रियों से यह अनुरोध करूंगी कि वह आकर उनकी अवस्था को देखें । छोटे नगरों को सामुदायिक परियोजनाओं के अन्तर्गत आ जाने दीजिये जिससे कि जो कार्य नगरपालिकायें नहीं करती हैं या नहीं कर सकती हैं वह कार्य इनके द्वारा किये जा सकें ।

†**श्री एस० एन० मिश्र** : मैं लोक-सभा को केवल यही आश्वासन दे सकता हूं कि लोक-सभा के इस ओर बैठे हम लोग, जहां तक नियोजन या उसके किसी पहलू का सम्बन्ध है, आलोचनाओं का स्वागत करते हैं, क्योंकि सामुदायिक परियोजनाओं की तरह की योजनाओं के लिये, जो अनिवार्य रूप से जनता का ही कार्यक्रम है, जनता द्वारा की गई आलोचना इस लोक-सभा के माननीय सदस्यों द्वारा की गयी आलोचना ही, जीवन यापिनी शक्ति हैं । मैं उन लोगों में से हूं जो यह विश्वास करते हैं कि अवहेलना की अपेक्षा

†मूल अंग्रेजी में

आलोचना कहीं अच्छी वस्तु है। पे-स्केल के अनुसार मैं भी यह कह सकता हूं कि नियोजन की आलोचन करना ही एक अर्थ में वास्तविक योजना बनाना है। इस लोक-सभा के सदस्यों द्वारा की गयी आलोचना, मेरी राय में उन्हीं के अपने हितों और आकांक्षाओं सम्बन्धी एक कार्य है और इसलिये वह आलोचनायें स्वागत योग्य है। हम केवल यही आशा करेंगे कि यह आलोचनायें अधिक सहायक ढंग से परियोजना मंत्रणा समितियों को उपलब्ध की जा सकेंगी, और इनसे सक्रिय बनाने और प्रेरित करने की अपेक्षा की जाती है।

हम सामुदायिक विकास कार्य-क्रम के इस आन्दोलन को इतना महत्व क्यों देते हैं? इसका कारण यह है कि हमारे देश की समस्या केवल अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करने का ही नहीं, वरन् एक राष्ट्र का निर्माण करने की है। इसी दृष्टकोण से, हमारे प्रधान मंत्री इस आंदोलन को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण मानते हैं, और उनके विचारों के अनुसार, विश्व में यह सबसे अधिक क्रांतिकारी और आशाप्रद आन्दोलन चलाया जा रहा है। वास्तव में, मैं तो यह समझता हूं, और मेरा विचार है कि लोक-सभा के अन्य माननीय सदस्यों की भी यही धारणा है कि यही भारत में लोकतंत्र का मुख्य आधार बनने को है, क्योंकि वह सामुदायिक परियोजना कार्य-क्रम ही है जो कि लोकतंत्र के मूल को सींचता है। इसलिये यह स्वाभाविक ही है कि इस वाद-विवाद में सदस्यों द्वारा इतनी अधिक अभिरुचि प्रगट की गई है।

इसमें सन्देह नहीं है कि हममें से प्रत्येक यह अनुभव करता है कि आर्थिक उद्धार के लक्ष्य का मार्ग बहुत लम्बा है। यही इस आन्दोलन की विशिष्ट विशेषता है कि इसने जनता में ऐसी आशा, विश्वास और निश्चय की भावना भर दी है कि लक्ष्य को संभवत कल्पनाति शीघ्रता के साथ प्राप्त किया जा सकेगा। मैं चाहता हूं इस सम्बन्ध में हमारा उद्देश्य केवल प्रशंसा करने का ही नहीं होना चाहिये वरन् अपनी सफलताओं और अनुभवों तथा सामने आयी कठिनाइयों का सही मूल्यांकन करना चाहिये। इसलिये मैं केवल यही कह सकता हूं कि हम अपनी ओर से अपनी सफलताओं की अपेक्षा त्रुटियों और कमियों के प्रति अधिक जागरूक हैं। हम जानते हैं कि कुछ अल्पावश्यक कार्यों के सम्बन्ध में हमारे कार्य-क्रम में कुछ त्रुटियां अभी भी हैं। हम इस बात से भली प्रकार अवगत हैं कि विशेष रूप से कुटीर उद्योगों और सहकारिता के क्षेत्र में हम इस आन्दोलन से जो सफलतायें अपेक्षित थीं उनको प्राप्त नहीं कर पाये हैं। इसलिये हम तथ्यों में घपलेबाजी नहीं करते हैं। जब माननीय सदस्य हमारी अदक्षताओं के इस पहलू पर जोर देते हैं तो हम उनसे सहमत हैं।

†**श्री सी० भट्ट** (भड़ौच) : मैं माननीय मंत्री से कुछ ठोस सुझाव चाहता हूं, ये नहीं ···

†**सभापति महोदय** : माननीय मंत्री अपनी इच्छानुसार बोलेंगे। उनका भाषण अभी समाप्त नहीं हुआ है।

†**श्री एस० एन० मिश्र** : मैंने अभी प्रारम्भ किया है।

†**श्री सी० भट्ट** : इस सम्बन्ध में हमने काफी सुन लिया है।

†**सभापति महोदय** : उसका निर्देश यहां आवश्यक नहीं है।

†**श्री एस० एन० मिश्र** : हमें इस बात की भी जानकारी है कि इस आंदोलन के प्रारम्भ में अंत-विभागीय सहयोग अपर्याप्त था। संभव है प्रारम्भ में कुछ त्रुटियां रही हों। यह भी संभव है कि कतिपय परियोजनाओं में धीमी सरकारी गतिविधि के अनिश्चित कर्यक्रम में परिणत हो जाने के लक्षण दिखाई दिये हों। यह भी संभव है कि कई स्थानों में, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है, इस बात का प्रमाण मिला हो कि उच्च अधिकारी ही समूचे कार्य पर छाये हुये हो। इन सब बातों से अधिक महत्वपूर्ण है इसकी सबसे बड़ी त्रुटि और वह है जनसंख्या के निर्धन भागों में इस आंदोलन के लाभों का

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एन० एन० मिश्र]

समान रूप से वितरित न होना। इन बातों की पृष्ठभूमि में, हमारा ख्याल है कि जो कुछ हमने विगत दो वर्षों में किया है उससे निस्सन्देह यह स्पष्ट है कि उक्त कठिनाइयों में से अधिकांश को हल कर लिया गया है और इस आंदोलन के वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति की ओर हम प्रगति कर रहे हैं। आंदोलन की प्रारम्भिक अवस्थाओं में हमें जितने प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता थी उतने हमें नहीं मिले थे। आप यह जानते हैं कि यह एक सर्वाधिक नवीन, संभवतः हमारे लिये पूर्ण रूप से एक नवीन बात है। इसलिये इस आंदोलन के दौरान में हम वर्ष प्रतिवर्ष अनुभव प्राप्त करते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि विगत दो वर्षों में हमने कई पुरानी कठिनाइयों को हल कर लिया है। अब आप देखेंगे कि प्रशिक्षण की व्यवस्था अधिक संतोषजनक है। आप यह भी देखेंगे कि अन्तर्विभागीय सहयोग अब अधिक अच्छा है। उसी प्रकार हमने प्रशासन सम्बन्धी कई अच्छे परिवर्तन किये हैं जिनसे अब प्रशासन अधिक लचीला हो गया है और कार्यपालन में अधिक तेजी लाई गई है। यह सामान्य अनुभव की बात होनी चाहिये। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं जो पूर्णरूप से स्वैच्छिक हो। माननीय सदस्य पायेंगे कि विगत दो वर्षों में, आंदोलन के प्रारम्भ में हमारे समक्ष जो कठिनाइयां थीं उनमें से अधिकांश को हल कर लिया गया है।

माननीय सदस्य ने पूछा कि कुटीर उद्योगों और सहकारिता के बारे में क्या किया जा रहा है। मैं चाहता था कि मैं इस विषय को बाद में लेता और इसे अधिक महत्त्व देता और इस सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक कुछ कहता। किन्तु इसके पहले माननीय सदस्य अपना धैर्य खो बैठें, मैं यह निवेदन करूंगा कि लोक-सभा के सदस्यों को यह भली भांति विदित है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था के इस क्षेत्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिये हमने २६ अग्रिम परियोजनाओं को प्रारम्भ किया है। उक्त परियोजनायें हाल ही में लगभग दो-तीन मास पहले प्रारम्भ की गई हैं और इनसे हम अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। इससे हमें इस कार्य का विस्तार करने में प्रोत्साहन प्राप्त होगा। किन्तु यह बताने के बाद कि हमने प्रारम्भिक बाधाओं को पार कर लिया है, मैं यह कहने जा रहा था कि हम संतुष्टि की दशा में नहीं रह रहे हैं। हम यह दावा नहीं करते हैं कि अब कुछ भी करना बाकी नहीं रहा है। अभी बहुत-सी कठिनाइयां हल की जानी हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह हमारे लिये और लोक-सभा के उन सदस्यों के लिये, जोकि परामर्शदात्री समिति के सदस्य हैं, यह एक बहुत बड़ी चुनौती है, और जैसा कि मैंने निवेदन किया, सदस्यों से यह आशा की जा रही है कि वे उक्त समिति को अधिक गतिशील बनायें और उसे प्रेरणा दें।

परीक्षण के कई और भी तरीके हैं, विशेषकर वे जो कार्य-क्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा निर्धारित किये गये हैं हम यह दावा नहीं करते हैं कि इन सभी परीक्षणों का अनुसरण हमने ठीक प्रकार से ही किया है। उक्त संगठन ने एक परीक्षण यह रखा है कि क्या ग्रामीण व्यक्ति प्रगति करने की इच्छा और उसे हासिल करने के लिये आवश्यक नवीन ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से सामान्यतः प्रेरित हुआ है। दूसरा परीक्षण यह है कि क्या वह अधिक आत्म-निर्भर और प्रश्नों के हल के लिये अधिक योग्य बना है और क्या उसने अपनी योग्यता के बारे में कोई नवीन धारणा बनाई है? तीसरा परीक्षण यह है कि क्या उसने ग्रामीण प्रजातांत्रिक संस्थाओं के जरिये सहयोग से कार्य करना सीखा है और चौथा परीक्षण यह है कि क्या वह जीवन-यापन के स्तर में सभी सामाजिक और नैतिक मूल्यों के साथ उन्नति करने और आर्थिक स्थिति को सुधारने में सफल हुआ है? यदि कोई उक्त सभी परीक्षणों, सभी मानदंडों को लागू करना चाहे तो इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये जो भगीरथ प्रयत्न आवश्यक हैं उनसे वह निश्चय ही प्रभावित होगा। यही कहा जा सकता है कि कालान्तर में साध्य होने वाले लक्ष्य पर ही ये मानदंड लागू हो सकते हैं। जैसा कि एक विशेषज्ञ ने कुछ समय पूर्व कहा था और ठीक ही कहा था कि इन प्रश्नों का उत्तर केवल "हां" और "नहीं" में ही दिया जा सकता है और न ये लक्ष्य एक ही दिन में साध्य किये जा सकते हैं किन्तु उन्हें धीरे-धीरे साध्य करना होगा। मेरा ख्याल है कि इन परीक्षणों का संतोषजनक उत्तर प्राप्त करने के लिये कुछ समय आवश्यक होगा।

†**श्री के० सी० सोधिया** (सागर) : उसके लिये कितना समय आवश्यक होगा ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : ये सभी प्रश्न इस वास्तविक बात पर जोर देते हैं और संकल्प के प्रस्तावक द्वारा भी इसी प्रस्ताव पर जोर दिया गया था, और वह यह है, कि क्या यह आंदोलन दृष्टिकोण में वह परिवर्तन, वह सांस्कृतिक परिवर्तन ला रहा है जो कि इस आंदोलन से अपेक्षित है। माननीय प्रस्तावक के अनुसार, यद्यपि सामूहिक विकास कार्य-क्रम पिछले कई वर्षों से जारी है तथापि जीवन के सामाजिक और नैतिक पहलू में परिवर्तन करने के मुख्य लक्ष्यों को वह प्राप्त नहीं कर सका है। उनके अनुसार, ग्रामीणों में अपनी दशा में सुधार के प्रति कोई उत्साह नहीं था। मुझे उनके इस निष्कर्ष पर पहुंचने का आश्चर्य है, तथापि मुझे हर्ष है कि उन्होंने इस आंदोलन के इस अत्यावश्यक पहलू—सांस्कृतिक पहलू—पर जोर दिया है। यदि आंदोलन के इस पहलू के बारे में किसी प्रकार का कोई संदेह हो तो मैं कहूंगा कि इस आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि इस पहलू के बारे में कोई दुविधा हो तो फिर आंदोलन में रहता ही क्या है ? मैं इस बात पर जोर दूंगा कि आंदोलन की सफलता भौतिक सफलताओं में निहित नहीं है, यद्यपि वे काफी महत्वपूर्ण हैं। वैसे भी आन्दोलन की सफलता आंकड़ों के ताने-बाने में, जो सड़कों के निर्माण, पाठशाला भवनों के निर्माण और ऐसी अन्य बातों के बारे में बुना जा सकता है, निहित नहीं है किन्तु वास्तव में वह उस परिवर्तन में निहित है जो मनुष्य के मन और हृदय में और आचार और विचार में उक्त आंदोलन लाया जा सकता है। और वास्तव में यह पूछना अत्याधिक उपयुक्त होगा कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की विचारधारा और आचार में कोई परिवर्तन हो रहा है।

मेरा विश्वास है कि सांस्कृतिक परिवर्तन लाया जा रहा है और इसके पक्ष में मैं कुछ ठोस उदाहरण देता हूं। यदि मैं इसी प्रकार बोलता रहूं तो कई माननीय सदस्य कहेंगे कि मैं कुछ आत्मीयता के ढंग से बोल रहा हूं, यद्यपि इस समय तक मैंने देश के विभिन्न राज्यों के आठ या नौ परियोजना क्षेत्रों का भ्रमण किया है और मैं प्राप्त अनुभव के आधार पर बोलने का दावा कर सकता हूं। इन क्षेत्रों में मैंने पाया है—और कृपया इसे ध्यान में रखिये कि मैं कोरी बातें ही नहीं कर रहा हूं—कि देश के ग्रामों में जहां-जहां यह आंदोलन पहुंचा है वहां एक नई गतिशीलता आई है। ग्रामों में अब वास्तव में गतिविधियों प्रारम्भ हो गई हैं और अभी हाल ही में जब मैं एक परियोजना क्षेत्र में गया तो वहां एक सार्वजनिक कार्य-कर्ता ने, जिसके लिये मेरे मन में आदर है, मुझे बताया कि यद्यपि पूरे जिले में केवल दो राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड थ तथापि उन्हें इतना काम करना होता था कि साल भर में किसी समय भी उन्हें आराम नहीं मिल पाता था। इसलिये अब इन ग्रामों में गंभीर गतिविधि प्रारम्भ हुई है।

किन्तु इस आंदोलन को हमें सामूहिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिये। उसे वास्तव में एक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण से देखा जाय, इस दृष्टिकोण से नहीं कि लोगों को सामूहिक रूप से कुछ दिया जा रहा है और आप सभी प्रकार की वांच्छनीय वस्तुओं की सूची बना लें, किन्तु यह एक प्रकार प्रक्रिया है, और प्रश्न यह है कि क्या उस आवश्यक प्रक्रिया के अनुसार काम लिया जा रहा है।

अभी हाल में सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के एक ग्राम में, समाज-शास्त्रविज्ञों के एक समूह द्वारा जो अध्ययन किये गये हैं उन्हें मैं लोक-सभा के समक्ष रखने जा रहा हूं। उक्त ग्राम का नाम रनखंडी है और इस ग्राम में समाज-शास्त्रविज्ञों के एक समूह द्वारा, जिसमें सभी शाखाओं के—नृतत्व-शास्त्र, अर्थ-शास्त्र और और अन्य सामाजिक विज्ञानों के—प्रतिनिधि हैं, इस समय समूह गतिशीलता, नेतृत्व, दलबन्दी, बोलचाल की भाषा, गांव में महिलाओं की स्थिति, पंचायत के कर्त्तव्य आदि का बातों का अध्ययन कर रहे हैं और यदि इन विशेषज्ञों की राय को निरपेक्ष नहीं माना जायेगा तो किस निरपेक्ष परीक्षण को ठीक माना जायेगा यह मैं नहीं जानता हूं। सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में मेरा निवेदन है यदि सांस्कृतिक परिवर्तन से यदि हमारा आशय यह है कि लोगों के दृष्टिकोण और विश्वास

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एम० एस० मिश्र]

में उनके आर्थिक और सामाजिक सम्बन्धों में उनकी दक्षताओं और ज्ञान में परिवर्तन हो और वैसी ही अन्य बातें हों तो उक्त ग्राम के अध्ययनों से यह ज्ञात होता है कि इस आंदोलन के फलस्वरूप ग्रामीण जीवन के सभी आवश्यक क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहे हैं। उन्होंने यह पाया है कि जो ग्राम वैमनस्य और दलबन्दी के कारण लगभग नष्ट हो चुका था वही ग्राम अब सामूहिक परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किये गये रचनात्मक कार्यों में सहयोग देने की आश्चर्यजनक प्रवृत्ति दिखा रह है। उसी प्रकार उन्होंने यह पाया कि अन्य सहयोगात्मक गतिविधियों में परस्पर मतभेद होते हुये भी उन्होंने सहयोग दिया है। उन्होंने यह भी पाया है कि शिक्षा सम्बन्धी और अन्य सुविधाओं बढ़ जाने के परिणामस्वरूप, समाज जो सामाजिक दूरी और कठोरता थी वह कम होती जा रही है। एक और महत्वपूर्ण बात हुई है, और वह यह है कि व्यावसायिक कठोरता भंग हुई है और नये व्यवसाय निकल रहे हैं जिन में नये ज्ञान और नई दक्षताओं की आवश्यकता है, और आपको यह जानकर हर्ष होगा कि कुछ ग्रामीण चमारों और बुनकरों ने सिलाई की मशीनें खरीद ली हैं और अब वे दर्जी बन गये हैं। इस तरह से व्यवसायिक कठोरता भी भंग होती जा रही है और लोग नये व्यवसायों में लग रहे हैं जिनके लिये नवीन ज्ञान और नई दक्षताओं की आवश्यकता है।

महिलाओं की स्थिति के बारे में उन्हें यह देखकर असीम संतोष हुआ है कि महिलाओं की स्थिति में एक उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है और अब कई बालिकायें पाठशालाओं में जाने लगी हैं जबकि कुछ समय पूर्व पाठशालाओं में जाने वाली बालिकाओं की संख्या अत्यल्प या नहीं के बराबर थी। महिलाओं की क्रमिक मुक्ति जिन अन्य तरीकों से हो रही है उनसे व भावि हुये हैं। उसी प्रकार उन्होंने यह देखा कि युवकों की गतिविधियों के क्षेत्र में काफी उत्साह और एक नई भावना मौजूद है।

विशेषज्ञों के इस समूह द्वारा किये गये अथवा किये जा रहे अध्ययनों के सभी परिणाम मैं नहीं बताऊंगा। सभी परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुये हैं और उनका अध्ययन अभी पूर्ण नहीं हुआ है किन्तु मैं यह बता रहा था कि जनता की शोचनीय अपेक्षावृत्ति का आवरण टूट चुका है और उत्साह का स्रोत बह निकला है। जनता की संस्कृति और मनोवृत्ति में परिवर्तन हुआ है। जनता की परिवर्तित मनोवृत्ति अथवा परिवर्तन की गति के तथ्य के बारे में किसी प्रकार का कोई सन्देह नहीं हो सकता है। उक्त अध्ययनों ने इस बात पर स्पष्ट रूप से जोर दिया है।

इसके बाद, मैं एक दूसरा उदाहरण दूंगा। कुछ ही दिन पहले, एक बड़े अच्छे पत्रकार ने एक समाचारपत्र में इसका उल्लेख किया था। उसने बचत के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में एक बड़ा परिवर्तन देखा था। वह सोनीपत के सामुदायिक परियोजना क्षेत्र में गया था। वहां से वह अपने मन पर यह छाप लेकर लौटा कि अब लोग सामाजिक रूप से होने वाले धन के अपव्यय को कम करते जा रहे हैं, सामाजिक संस्कारों, समारोहों और इसी प्रकार की अन्य बातों पर होने वाले अपव्यय को कम करने जा रहे हैं। उसने कहा है कि सोनीपत के सामुदायिक परियोजना क्षेत्र के ग्रामीणों ने अब शादियों में औसत रूप से होने वाले खर्च को घटाकर आधा कर दिया है। इससे पता लगता है कि बचत के प्रति लोगों का क्या दृष्टिकोण है और अब हमारे देश के विकास के लिये यह एक महत्वपूर्ण बात होने जा रही है। यदि लोगों के मस्तिष्क में बचत के, और विशेषकर सामाजिक अपव्यय को कम करने के लिये इस विचार को बैठाया जा सके, तो मैं समझता हूं कि विकास के लिये आवश्यक आन्तरिक संसाधनों को प्राप्त करने में हमें कोई बड़ी कठिनाई नहीं होगी।

इस संकल्प के प्रस्तावक ने कहा था कि इस आन्दोलन के फलस्वरूप ग्रामीणों में विकासकार्यों के प्रति कोई अगुआई तथा उत्सुकता पैदा नहीं हो पाई है। मैं कार्य-क्रम मूल्यांकन संघटन द्वारा इसके इस पक्ष के सम्बन्ध में कही गई सभी बातों को नहीं लूंगा। लेकिन, उस संघटन द्वारा प्रस्तुत उसके अन्तिम प्रतिवेदन को प्रस्तावना में ही स्पष्ट रूप से जोर देते हुये कहा गया है कि इस आन्दोलन ने लोगों

के मस्तिष्क में इतनी हलचल पैदा कर दी है जितनी कि पहले किसी प्रकार भी नहीं की जा सकती थी; और उन्होंने अपनी ओर से कहा है कि अब आम तौर पर संघटित कार्यवाही का महत्व अधिक समझा जाने लगा है। उनका मत यह भी है कि अब रचनात्मक कार्य के अधिक अवसर सुलभ हो जाने से युगों पुरानी गुटबाजी का भी अन्त होता जा रहा है।

मैं जब कार्य-क्रम मूल्यांकन संघटन जैसे विशेषज्ञ तथा स्वतन्त्र संघटन द्वारा प्रस्तुत किये गये इन सभी प्रमाणों को देखता हूं, तब मुझे प्रस्तावक के इस कथन पर विश्वास करना कुछ कठिन प्रतीत होता है कि ग्रामवासियों में सामुदायिक विकास कार्य-क्रम में योग देने की कोई उत्सुकता पैदा होने का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। मुझे विश्वस है कि माननीय सदस्य इस एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात को जानते होंगे कि सामुदायिक विकास कार्य-क्रम में जहां सरकार ने लगभग ३० करोड़ रुपये लगाये हैं, वहीं जनता ने भी उसमें १८ करोड़ रुपयों से कम नहीं लगाये हैं। यह एक सत्य है, और इससे पूरी तौर पर यह सिद्ध हो जाता है कि सामुदायिक विकास कार्य-क्रम के प्रति जनता ने किस मात्रा में उत्साह या उत्सुकता दिखाई है। मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य एक क्षण के लिये भी यह सोच सकते हैं कि यह सब कुछ जनता के एक स्वयं-स्फूर्ति तथा ऐच्छिक उपक्रमण के बिना भी सम्भव हो सकता है।

अब, मैं एक अन्य महत्वपूर्ण बात को लेता हूं जिस पर कि माननीय सदस्यों ने जोर दिया था। वह उस आलोचना के सम्बन्ध में है जिसमें कहा गया था कि अधिकारियों के दृष्टिकोण में किंचित भी परिवर्तन नहीं हुआ है। मानवीय उपकरणों की रचना एक दीर्घकालीन विधि होती है। हम भी तो वर्तमान परिस्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार अपने को नहीं बदल सके हैं, और इसीलिये हम इतने शीघ्र उनके बदलने की आशा भी नहीं कर सकते। फिर हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिये कि अधिकारियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन अन्य लोगों की अपेक्षा कुछ धीमी गति से ही होगा।

लेकिन, मैं उस विख्यात पत्रकार द्वारा दिये गये उदाहरण को यहां प्रस्तुत कर सकता हूं उसने हाल ही में कई सामुदायिक परियोजनाओं का दौरा करने के बाद यही परिणाम निकाला है कि अधिकारियों की मनोदशा में भी एक उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। उसने कहा कि परिवर्तन इस प्रक्रिया ने उनको भी अछूता नहीं छोड़ा है, कहने का तात्पर्य यह है कि जब जब अधिकारीगण परिवर्तन की इस प्रक्रिया के समर्पक में आये हैं, उन पर भी वास्तव में उसका प्रभाव पड़ा है। कदाचित् आपको स्मरण होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले एक अधिकारी ने कहा था कि सन्निहन की इस प्रक्रिया ने अधिकारियों के मस्तिष्कों में काफी परिवर्तन कर दिया है। इसी अधिकारी ने कहा था कि सरकारी अधिकारियों का विचार था कि वे जनता के इस कार्य-क्रम म सन्निहित कर रहे थे, लेकन उन्होंने आश्चर्य के साथ यह देखा कि वे स्वयं उसमें सन्निहित हो गये थे। इसीलिये, उसने कहा था कि यह सन्निहित की प्रक्रिया एक विचित्र प्रक्रिया थी। आगे उसने कहा कि इस विशाल और स्फूर्तिदायक ज्वार दे उनमें से प्रत्येक को अपने में समो लिया था, और इसीलिये उनके दृष्टिकोण में एक भारी परिवर्तन हो गया था।

मैं राजस्थान के एक अधिकारी का उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। इस विख्यात पत्रकार ने अपने दौरे के समय अभी हाल ही में इससे सम्पर्क स्थापित किया था। जब इस अधिकारी के सामने यह सुझाव रखा गया कि उसे जयपुर सचिवालय में स्थानांतरित किया जाय, तो आप जानते हैं कि उसने क्या उत्तर दिया ? उसने सचिवालय में वापिस जाकर कलम-घसीटू काम करने के प्रति अपनी अरुचि दिखाई। वह उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। अब आप अनुभव कर सकते हैं कि अधिकारियों के मस्तिष्कों और उनके हृदयों पर भी इस कार्यक्रम का क्या प्रभाव पड़ा है।

सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में इतना सब कह चुकने के बारे, मैं अब भौतिक सफलताओं को लेता हूं। प्रस्तावक महोदय ने कहा है कि भौतिक सफलतायें तो समुद्र में बूंद के सदृश्य रही हैं, और उन्होंने समस्या का स्पर्श भर किया है, उसका समाधान नहीं किया है। हमारी अपार और अपूर्ण रहने वाली

[श्री एस० एन० मिश्र]

आवश्यकताओं के सम्बन्ध में तो निस्सन्देह ही यह कहा जा सकता है । लेकिन इस कार्य-क्रम के सम्बन्ध में किये गये अपने प्रयासों और व्यय को देखते हुऐ, मुझे किंचित भी सन्देह नहीं है । कि हमारी सफलता काफी संतोषप्रद रही है । मैं इन सफलताओं से सम्बन्धित सभी आंकड़ों के ब्यौरे में नहीं पड़ूंगा, लेकिन जिस प्रकार मैंने गांवों में होने वाले सांस्कृतिक परिवर्तन के सम्बन्ध में एक दो उदाहरण दिये थे, उसी प्रकार मैं इसके सम्बन्ध में किये गये कुछ वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के बारे में बताऊंगा ।

प्रस्तावक महोदय ने सिंचाई-कार्यक्रम की सफलता के बारे में संदेह प्रकट किया है । मैं मानता हूं कि इससे भी अधिक कुछ किया जा सकता था । लेकिन, सिंचाई-कार्यक्रम के सम्बन्ध में जो कुछ किया गया है वह भी बिलकुल नगण्य नहीं है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग १६ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की गई है । और, इसी सिंचाई-कार्यक्रम के कारण, या नई पद्धतियों तथा प्रविधियों को स्वीकार करने के कारण, हम यह देखते हैं कि कृषि-उत्पादन में १५ से २० प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है । इसके सम्बन्ध में जो सर्वेक्षण किये गये हैं, उनसे यही परिणाम निकला है ।

मैं सभी के विवरण में नहीं जाऊंगा, लेकिन जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं मैं आपका ध्यान उन कुछ वैज्ञानिक सर्वेक्षणों की ओर आकर्षित करूंगा जिन्हें हम 'बैंच मार्क सर्वेक्षण' (आधार-स्तर सर्वेक्षण, एक निश्चित स्तर को आधार मानकर किया जाने वाला सर्वेक्षण) और 'एक्सेप्टैन्स आफ प्रैक्टिस जांच' (नवीन प्रणाली-स्वीकृति जांच, नयी प्रणालियों के अपनाये जाने की जांच) कहते हैं । कुछ 'आधार-स्तर सर्वेक्षण' तो पूरे किये जा चुके हैं और कुछ अभी किये जा रहे हैं, और इनसे अभी और भी परिणाम प्राप्त होंगे । 'नवीन प्रणाली-स्वीकृति जांच' के सम्बन्धित सर्वेक्षण भी किये जा रहे हैं । इन सर्वेक्षणों द्वारा एक वैज्ञानिक प्रणाली से सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन के प्रकार और उसके परिमाण का पता लगाया जाता है । उनसे यह स्पष्ट रूप पर निश्चित हो गया है कि जनता ने अपनी पुरानी रूढ़ियों को त्याग दिया है और अब वह नयी पद्धतियों तथा प्रविधियों को अपनाती जा रही है ।

मैं आपका ध्यान मध्य प्रदेश की मोर्सा परियोजना के सम्बन्ध में किये गये अध्ययनों की ओर विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं । अभी इसका सर्वेक्षण पूरा नहीं हुआ है । लेकिन हमें इसमें 'आधार-स्तर सर्वेक्षण और 'नवीन प्रणाली-स्वीकृति की जांच' दोनों प्रकार के सर्वेक्षणों के अन्तर्गत प्राप्त हुये परिणामों में एक सान्निध्य समीपता देखने को मिलती है, और हमने इससे कुछ बहुत ही तर्क पूर्ण परिणाम निकाले हैं । इस परियोजना के सम्बन्ध में की गई जांचों से पता चलता है कि उन्नत बीजों का उपयोग करने वाले खेतिहर परिवारों का अनुपात १९५३ में २७·९० प्रतिशत से बढ़कर १९५४ में ५७·०३ प्रतिशत तक पहुंच गया है ।

अब, यदि माननीय सदस्य मुझ से पूछें, 'क्या आप हमसे अधिक विश्वास आधार स्तर सर्वेक्षणों को करते हैं,' तो मैं अवश्य ही उत्तर दूंगा, 'कृपया एक बार ठंडे दिमाग से सोचिये और अपने आप से भी अधिक विश्वास उन सर्वेक्षणों का कीजिये जिन्हें इतनी वैज्ञानिक रीति से सम्पन्न किया गया है' । मैं जानता हूं कि मानीय सदस्य एन० एम० लिंगम् मूल्यांकन-संघटनों में गैर-सरकारी व्यक्तियों के सम्मिलित किये जाने के पक्ष में हैं । मैं इसके बारे में बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि यदि माननीय सदस्य अधिकारियों के नाम के साथ जुड़ी हुई सर्वज्ञता की दंतकथा का भांडा फोड़ना चाहते हैं तो यही सबसे उपयुक्त समय है कि वह अपने नामों के साथ जुड़ी हुई सर्वज्ञता का भी भांडा फोड़ कर दें । मूल्यांकन का काम एक ऐसा काम है जिसके लिये कुछ विशेषित ज्ञान की, कुछ विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है । हममें से प्रत्येक उसे नहीं कर सकता है । इसीलिये, जब कार्य-क्रम का मूल्यांकन करने वाले संघटन आधार-स्तर सर्वेक्षण करके या अन्य किसी प्रकार के सर्वेक्षण करके, या कुछ जांच-पड़ताल करके कुछ स्थापनायें करते हैं, तो हमें यह नहीं कहना चाहिये कि इस प्रकार के काम पर हम कोई विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि उसमें गैर-सरकारी व्यक्ति सम्मिलित नहीं थे ।

आपको स्मरण होगा कि यह कार्य-क्रम मूल्यांकन संघटन सामुदायिक परियोजना प्रशासक से सर्वथा स्वतंत्र है, वह सामुदायिक परियोजना प्रशासन के क्षेत्र में नहीं है। इसीलिये, उसका मत सर्वथा वस्तुगत और निष्पक्ष है। उसने सामुदायिक परियोजना प्रशासक के प्रति किंचित भी पक्षपात नहीं किया है। कार्य-क्रम मूल्यांकन प्रतिवेदनों में किये गये उनके मूल्यांकन इस बात के प्रमाण हैं।

†**श्री रघुवीर सहाय** (जिला एटा—उत्तर-पूर्व व जिला बदायूं—पूर्व) : इस संघटन के सदस्यों की योग्यतायें क्या हैं ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : कार्य-क्रम मूल्यांकन संघटन में काम करने वाले सभी अधिकारियों की योग्यताओं का ब्यौरा लोक-सभा के सामने रखने के लिये मुझे पूर्व-सूचना की आवश्यकता है। लेकिन, मैं इतना जनता हूं कि इस संघटन के प्रधान, जिन्होंने अभी हाल ही में अवकाश ग्रहण किया है, देश के सबसे सम्मानित अर्थशास्त्रियों में से थे। प्रोफेसर कर्वे को तो शायद हम संसार के बड़े से बड़े अर्थ-शास्त्रियों की पंक्ति में रख सकते हैं। वे अत्यन्त अनुभवी और सम्मानित व्यक्ति हैं।

मैं आधार-स्तर सर्वेक्षण द्वारा की गई जांच-पड़ताल के परिणामों के सम्बन्ध में कह रहा था। उन्नत बीजों का प्रयोग २७·९ प्रतिशत से बढ़कर ५७·०३ प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार, सामूहिक लाभ के कार्यों में हाथ बंटाने में भी एक महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। १९५३ में सभी घरों के २३·८६ प्रतिशत ने ऐसे कार्यों में हाथ बंटाया था, पर १९५४ में उनकी प्रतिशतता ३१·६७ तक पहुंच गई थी।

इस वाद-विवाद के दौरान में जिन मुख्य बातों पर अधिक चर्चा हुई है, उनमें से एक का सम्बन्ध परियोजना परामर्शदात्री समितियों की कार्यप्रणाली से है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि उनकी कार्य करने की प्रणाली संतोषप्रद नहीं है। यदि ऐसा है, तो सचमुच यह एक चिंता की बात है क्योंकि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के आयोजन और कार्यान्वित में गांव के लोगों का सहयोग प्राप्त करने का कार्य इन्हीं समितियों को सौंपा गया है। इसलिये, यदि ये समितियां पूरी तौर पर सक्रिय जागरूक और उपयोगी नहीं हैं, तो मैं समझता हूं कि सारा आन्दोलन एक प्रकार से विपत्ति-ग्रस्त हो जायेगा।

हमारे लिये एक बड़ी चिन्ता की बात थी कि ये समितियां ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही थीं, इसीलिये हमने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को निर्देशित किया था। राज्य सरकारों ने एक स्वर से यही कहा है कि ये समितियां बड़ी अच्छी तरह से चल रही हैं, गैर-सरकारी सदस्य भी कार्यक्रम के सूत्री-करण और उसकी कार्यान्विति में बड़ी रूचि दिखा रहे हैं, और उनके विचारों से पूरा-पूरा लाभ उठाया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि गैर-सरकारी सदस्यों के विचार सामान्यतः माने और अपना लिये गये हैं और उन्होंने आन्दोलन की सफलता में एक पर्याप्त योग दिया है।

अब, मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे सावधानी से इसका अध्ययन करें। राज्य सरकारों ने, जो प्रतिनिधि-सरकार होने का दावा करती हैं और वास्तव में हैं भी, कैसे इस प्रकार के प्रतिवेदन भेजे कि ये सभी समितियां अच्छी तरह से काम कर रही हैं ? माननीय सदस्यों के मत राज्य सरकारों के मतों से भिन्न क्यों हैं ? फिर भी, मैं लोक-सभा को आश्वस्त करता हूं कि इस मामले की जांच की जायेगी और हम इन समितियों को पूरी तौर पर सक्रिय तथा उपयोगी बनाने का यथा शक्ति प्रयास करेंगे।

अब, मैं इस प्रकार के मामलों की मुख्य-मुख्य त्रुटियों की विवेचना करता हूं। यदि ये समितियां हमारी आशाओं की कसौटी पर खरी नहीं उतरी हैं, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। इन समितियों की रचना भी उनमें से एक हो सकती है। माननीय सदस्य जानते हैं कि इन समितियों में राज्यों के विधान सभाई भी कम संख्या में नहीं हैं। इस बात के निर्णय करने का भार मैं उन्हें पर छोड़ता हूं कि वे इन समितियों को चलाने के लिये अपना कितना समय और शक्ति इनमें लगा पाते हैं। मैं माननीय सदस्यों पर ही सारा दोष नहीं मढ़ता हूं। हो सकता है कि अपनी अधिकाधिक पूर्व-व्यस्तता के कारण ही वेइन समितियों की बैठकों की कार्यवाहियों में भाग न ले पाते हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम के क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि होने और

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एम० एन० मिश्र]

साथ ही लोक-सभा तथा राज्य विधान सभाओं के माननीय सदस्यों की पूर्वव्यस्तताओं के अधिक बढ़ जाने के कारण ही, मैं सोचता हूं कि अब इन समितियों की रचना का पुनरीक्षण करने का समय आ गया है ।

एक और कठिनाई पड़ सकती है.....

†**श्री नम्बियार** (मयूरम्) : हमें अयोग्य घोषित करना ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : नहीं, मैं वैसा कोई सुझाव नहीं देता हूं । लेकिन, इन समितियों में कुछ अन्य तत्व हैं.....

†**श्री देबेश्वर सर्मा** : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । माननीय मंत्री ने एक गम्भीर बात कही है ।

सभापति महोदय : इस स्तर पर ऐसे किसी प्रश्न की अनुमति नहीं दी जा सकती है ।

माननीय सदस्य नियमों को पढ़ें । यदि माननीय मंत्री ठीक जानकारी नहीं दते तो कई उपाय हो सकते हैं, जिनके द्वारा माननीय मंत्रियों को ठीक जानकारी देने के लिये कहा जा सकता है ।

†**श्री एस० एन० मिश्र** : समस्या का दूसरा पहलू, जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं इन समितियों की रचना के बारे में है । आरम्भ में यह उपयुक्त नहीं समझा गया कि पंचायतों और सहकारी संस्थाओं को इन समितियों के लिये अपने प्रतिनिधि चुनने चाहियें । इसलिये जिलाधीशों को ही इन समितियों के लिये व्यक्तियों को नाम निर्देशित करने का अधिकार दे दिया गया था अब यह विश्वास करते हैं कि वह समय आ गया है जब निर्वाचित लोगों को इन समितियों के लिये नाम निर्देशित किया जा सके ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इसलिये हमने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि पंचायतों से इन समितियों के लिये अपने प्रतिनिधि भेजने के लिये कहा जाना चाहिये और जहां पंचायतें यह नहीं कर सकतीं, तो वहां विकास मण्डल आदि तदर्थनिकायों से अपने प्रतिनिधि भेजने के लिये कहा जाना चाहिये ।

इस सभा या राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों की स्थिति के बारे में, राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया है कि उनकी उपस्थिति को वैकल्पिक कर दिया जाय । यदि वे अपने दूसरे पूर्व कामों के कारण आना कठिन समझें, तो उनकी उपस्थिति को वैकल्पिक कर दिया जाय ।

एक और सदस्य ने दूसरा प्रश्न उठाया है कि इन समितियों के गैर-सरकारी सदस्यों को इन बैठकों में आ सकने और ठीक तरह अपना काम कर सकने के लिये पर्याप्त सुविधायें नहीं दी जातीं । यह अत्यावश्यक है कि सदस्यों को पर्याप्त सुविधायें दी जानी चाहियें, जिनमें कुछ भत्ता और आवास सम्बन्धी दूसरी सुविधायें भी सम्मिलित होने चाहियें । इसलिये हमने राज्य सरकारों को इस दिशा में आवश्यक कार्यवाई करने के लिये कहा है । वास्तव में मद्रास, आंध्र और पश्चिम बंगाल आदि कुछ सरकारों ने इन समितियों के सदस्यों को यात्रा और दैनिक भत्ते देने की मंजूरी दे दी है और दूसरी राज्य सरकारें यदि इस काम में पीछे हैं, तो वे भी ऐसी ही कार्रवाई करेंगी ।

इन समितियों के कार्य-संचालन के बारे में दूसरी शिकायत यह है कि सदस्यों को इन निकायों की बैठकों की काफी पहले सूचना नहीं मिलती । यह कितने आश्चर्य की बात है और हमने पुनः इस वारे में कहा है कि सदस्यों को काफी पहले सूचना दी जानी चाहिये ।

सभापति सम्बन्धी प्रश्न भी विवाद का विषय बन गया है प्रतीत होता है कि सदस्य यह सोचते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट के सभापति होने से इन समितियों के उचित कार्य-संचालन में बाधा उत्पन्न होती है । मेरा यह विश्वास है कि इस समय जिला मजिस्ट्रेटों पर प्रशासन सम्बन्धी कर्त्तव्यों का बहुत भार है ।

†मूल अंग्रेजी में

हो सकता है कि वह जिला के विकास कार्यों की ओर पर्याप्त ध्यान और पर्याप्त समय न दे सकते हों। किन्तु मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे उन परिस्थितियों का विश्लेषण करें जिनके कारण जिला मजिस्ट्रेटों को इन समितियों का सभापति बनाना पड़ता है। हमारा यह विचार नहीं है। कि ऐसे योग्य और अनुभवी गैर-सरकारी व्यक्ति नहीं हैं, जो इन समितियों के सभापति के रूप में काम कर सकें। ऐसे लोग हैं और उपलब्ध हो सकते हैं। किन्तु किन परिस्थितियों के कारण जिला मजिस्ट्रेटों को सभापति बनाना पड़ा है ? हमारे सामने अन्तर-विभागीय समन्वय की समस्या है। प्रश्न यह है कि गैर-सरकारी व्यक्तियों के सभापतित्व के द्वारा पर्याप्त उत्तरदायी स्तर पर अन्तर-विभागीय समन्वय हो सकता है या नहीं। फिर, निरन्तरता का भी प्रश्न है—क्या गैर-सरकारी सदस्य के द्वारा यह निरन्तरता कायम रखी जा सकती है। जहां तक कार्यान्विति में आवश्यकतानुसार कमी बेशी करने या शीघ्रतापूर्वक मंजूरी का प्रश्न है, यह प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में जिला मजिस्ट्रेट से सदा अपेक्षित होती है। गैर-सरकारी सभापति रखना उपयोगी अवश्य है, किन्तु ये परिस्थितियां बाधक हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम यह सोचते हैं कि कोई गैर-सरकारी व्यक्ति इस समिति के सभापति के रूप में काम नहीं कर सकता ।

कार्यक्रम-मूल्यांकन के बारे में माननीय सदयों ने कहा है कि संस्था ने कुछ सिफारिशें की हैं किन्तु हमने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया है। कार्यक्रम मूल्यांकन संस्था ने जिला के प्रमुख विकास अधिकारी के रूप में जिला मजिस्ट्रेट के काम के महत्व पर जोर दिया है।

जिला मजिस्ट्रेट को हटा देना इसका इलाज नहीं है, अपितु इलाज यह है कि प्रमुख विकास अधिकारी के रूप में जिला मजिस्ट्रेट की स्थिति सुदृढ़ की जाये, उसके अधीनस्थ कर्मचारीवर्ग का प्रसार किया जाये ताकि वह अपने राजस्व तथा प्रशासन सम्बन्धी कुछ कामों की दूसरे कर्मचारियों को सौंपकर, स्वयं प्रधानरूप से विकास सम्बन्धी कार्रवाइयों में समय दे सकें। वास्तव में, इस बारे में, सामुदायिक परियोजना प्रशासन ने पहले कुछ कदम उठाये थे और राज्य सरकारों से जिला मजिस्ट्रेटों को राजस्व तथा प्रशासन सम्बन्धी कुछ कामों से छुटकारा दिलाने के लिये कहा था, ताकि वे सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में अपने आपको अधिक चुस्ती से साथ लगा सकें।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। प्रशिक्षण कार्यक्रम बारे में कुछ संदेह प्रकट किये गये हैं और माननीय सदस्य समझते हैं कि कोई भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम को चलाने के लिये कोई भी पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि कार्यक्रम तभी सफल हो सकता है जब हम लोगों को ध्यानपूर्वक चुनें और समस्त कार्यक्रम को चलाने के लिये उनको अच्छी तरह प्रशिक्षण दिलायें। स्वभावतः हम इस बारे में बहुत सतर्क हैं और हमने यह शर्त बना रखी है कि खण्ड आरम्भ करने से पूर्व इस काम के लिये पर्याप्त प्रशिक्षण-प्राप्त व्यक्ति होने चाहियें। पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों के विना हम अभी भी किसी खण्ड के आवटन के लिये सहमत नहीं होते। किन्तु इस बात के होते हुये भी, हमने हाल ही में कुछ कदम उठाये हैं और एक विशेषज्ञ समिति नियुक्ति की है। आशा है कि वह समिति तीन या चार महीनों के बाद अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी। मैं मानता हूं कि उचित चुनाव पर हमें जितना ध्यान देना चाहिये, हम उतना नहीं दे रहे हैं। जहां तक सामाजिक संगठनों में ग्राम-सेवकों का सम्बन्ध है, सदा चुनाव से पूर्व परीक्षण होता है, और प्रशिक्षण की अवधि में भी, जो लोग निर्धारित स्तर से नीचे रह जाते हैं, उन्हें निकाल दिया जाता है। इसके होते हुये भी, हाल ही में एक समिति नियुक्ति की गई है, जो समस्त मामले की जांच करके अधिक सुधार करेगी।

पंचायतों के काम और स्थानीय निकायों के सामुदायिक विकास कार्यक्रम के साथ विलय पर माननीय सदस्यों ने उचित जोर दिया है। इस सम्बन्ध में भी मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि संस्था सम्बन्धी यह पहलू माननीय सदस्यों के मन में हैं क्योंकि आवश्यक साधनों और उपायों तथा संस्थाओं के विना हम लोगों को इस योग्य नहीं बना सकते कि वे इस कार्यक्रम में भाग ले सकें या भविष्य में काम जारी रख सकें। इसलिये हम पंचायतों और सहकारी संस्थाओं की रचना पर

[श्री एस० एन० मिश्र]

बड़ा जोर देते रहे हैं और उस कार्यक्रम में स्थानीय निकायों के उचित कार्य पर भी जोर देते रहे हैं। किन्तु स्थानीय निकायों के विलय के बारे में एक कठिनाई है कि इस समय स्वयं स्थानीय निकाय सब स्तरों पर उचित रूप से संगठित या प्रभावी दिखाई नहीं देते। पंचायतों से लेकर जिला स्तर तक स्थानीय निकायों के विभिन्न स्तर हैं। प्रत्येक स्तर पर उनका विलय किस प्रकार हो सकता है। ये सब बातें विचारणीय हैं और कुछ राज्य प्रयोग कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि वे कुछ अच्छे परिणाम उत्पन्न करेंगे, जिनके आधार पर हम आगे बढ़ सकें। जहां तक पंचायतों का सम्बन्ध है, सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अब प्रत्येक ग्राम-पंचायत को योजना बनाने और २००० रुपये तक की लागत वाले निर्माण कार्य करने का अधिकार दिया गया है। हम इन तरीकों या उपायों से स्थानीय निकायों को शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि वे सामुदायिक विकास कार्यक्रम में सक्रिय भाग ले सकने योग्य बन सकें।

अब मैं इस संकल्प के क्रियाकारी भाग को लेता हूं। इसमें समस्त सामुदायिक विकास कार्यक्रम के संचालन की देख-रेख करने के लिये एक समिति या समितियां बनाने के बारे में कहा गया है। मैंने जो कुछ कहा है उसको ध्यान में रखते हुये, मैं इसे आवश्यक नहीं समझता हूं। मुझे विश्वास है कि जिस माननीय सदस्य ने यह संकल्प प्रस्तुत किया है, उन्होंने इस कार्यक्रम के हित के लिये ही ऐसा किया है और वह निष्ठा-पूर्वक कल्याण वृद्धि चाहते हैं। मेरा निवेदन यह है कि इस समय वे सभी उद्देश्य पूरे किये जा रहे हैं।

कार्यक्रम-मूल्यांकन संस्था एक स्वतन्त्र और विशेषज्ञ निकाय है। यह समय-समय पर उद्देश्य सम्बन्धी प्रतिवेदन देती रहती है। इसका उद्देश्य है उपायों और कार्यक्रम के परिणामों का वैज्ञानिक एवं आवर्त्तक पुनर्मूल्यांकन करना और सब संबद्ध लोगों को प्रगति से सूचित करना। इसके कामों में यह बात भी सम्मिलित है कि यह बताये कि लोग अमुक उपायों को क्यों स्वीकार कर रहे हैं और अमुक उपायों को क्यों अस्वीकार कर रहे हैं। यदि आप इसके कामों को देखें तो आपको कोई ऐसी बात नहीं मिलेगी। जो इस संगठन के पर्यवेक्षण में न आती हो और जिसे उस प्रकार की समिति द्वारा करने की आवश्यकता हो, जिसका सुझाव माननीय सदस्य ने दिया हो। यह संस्था इन सब उद्देश्यों को बड़ी अच्छी तरह पूरा कर रही है। श्रीमान् जी, आपको विदित होगा कि इस कार्यक्रम में जो प्रगति की जा रही है और जो अनुभव प्राप्त होता है उसकी इस सभा को सूचना देने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जाता है। हम पुस्तकालय में सामुदायिक परियोजना प्रशासन की ओर से त्रैमासिक प्रतिवेदन रखते हैं। इससे पता चलता है कि लोगों ने कितना काम किया है, इस कार्यक्रम पर कितना व्यय हुआ और कितनी सफलता मिली है। योजना आयोग द्वारा दिये गये प्रगति प्रतिवेदनों पर यहां समय-सम यपर चर्चा होती रहती है। एक परामर्श-दात्री समिति बनाई हुई है जिसमें संसद् सदस्य भी हैं और यह योजना के समस्त विस्तार के बारे में, जिसमें यह कार्यक्रम भी सम्मिलित है, योजना आयोग से सम्पर्क बनाये रखती है। माननीय सदस्यों को इस क्षेत्र में होने वाली सब बातों से परिचय प्राप्त करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। ऐसी कोई बात नहीं जिस के बारे में इस समय जानकारी न मिलती हो। इस संकल्प में जिन बातों पर जोर दिया गया है उन सब के बारे में इस समय जानकारी उपलब्ध है।

उन्होंने जिस समिति का सुझाव दिया है उसकी रचना के बारे में दूसरी महत्वपूर्ण बात भी है। उनका यह विचार प्रतीत होता है कि इन समितियों में संसद् सदस्य होने चाहियें। क्योंकि कार्यपालक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है, इसलिये यदि ऐसी कोई समिति बनाई जाय, तो उसमें स्थानीय विधान मंडलों के सदस्यों को स्थान मिलना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि मैंने जो कुछ कहा है उस पर विचार करते हुये इस संकल्प के प्रस्तावक इस पर अनुरोध करना आवश्यक नहीं समझेंगे।

†**श्री रघुवीर सहाय** : जिस ढंग से यह वाद-विवाद हुआ है वह संतोषजनक है। इससे पता चलता है कि इस मामले को कितना महत्व दिया जाता है। इन परियोजनाओं की प्रगति होनी चाहिये, इस पर

†मूल अंग्रेजी में

सब सहमत थे। इस बात में मतभेद हो सकता है कि यह कार्य कैसे किया जाय।

इस सभा में यह संकल्प रखने का यह प्रभाव हुआ कि जनवरी के आरंभ में इन्दौर मे एक गोष्ठी हुई, जिसमें यह तय किया गया कि केवल कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, बल्कि लोगों में काम करने का उत्साह और जोश पैदा करना चाहिये। मैं समझता हूं कि यही ठीक दृष्टिकोण है। और इसी दृष्टिकोण के इन परियोजनाओं के कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिये।

इस वाद-विवाद से यह तो स्पष्ट हो गया कि देश की बहुत सी परियोजनायें और खण्ड वांछित स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। मेरे क्षेत्र की परियोजना (उसवान परियोजना) भी उस स्तर तक नहीं पहुंची है। और भी ऐसी परियोजनायें हैं जो इस स्तर पर की नहीं हैं। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि ऐसी परियोजनाओं की अवधि बढ़ा दी जानी चाहिये।

मैं सामुदायिक परियोजना के विकास आयुक्तों के सम्मेलन में दिये गये प्रधान मंत्री के भाषण का उल्लेख करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि नवीन भारत के निर्माण का कार्य केवल भाग आंकड़ों और योजनाओं से नहीं हो सकता। इसके लिये तो उस जोश और उत्साह तथा काम करने की भावना की आवश्यकता है जो राष्ट्र को ऊंचे आदर्शों की प्रेरणा दे सकें।

इन सामुदायिक परियोजनाओं के संचालन में इसी उत्साह और जोश की कमी है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह इन परियोजनाओं के बारे में अपनी धारणा और दृष्ठिकोण में उचित संशोधन करें और यहां जो बातें कहीं गई हैं, उन सब को ध्यान में रख कर कार्य करें।

मेरा सरकार को हैरान करने का अभिप्राय नहीं है, इसलिये मैं अपना संकल्प वापिस लेते हुये, इस पर रखे गये संशोधनों को वापिस लेने की प्रार्थना करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे आशा है कि सदस्यों को अपने संशोधन वापिस लेने की सभा की अनुमति है।

संशोधन, सभा की अनुमति से वापिस लिये गये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या प्रस्तावक को अपना संकल्प वापिस लेने के लिये सभा की अनुमति है?

संकल्प, सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

मद्यनिषेध के लिये अन्तिम तिथि निश्चित करने के बारे में संकल्प

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री सी० आर० नरसिंहम्।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** (स्वायम्) : साढ़े पांच बजे चुके हैं और आज गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों का दिन है, इसलिये अधिक समय देने से बुरी प्रथा कायम हो जायेगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : गर-सरकारी सदस्यों का कार्य ३ बज कर ३ मिनट पर आरम्भ हुआ था और मैं पांच मिनट अधिक देने के लिये पहले ही कह चुका हूं।

†**श्री सी० आर० नरसिंहन्** (कृष्णगिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "इस सभा की यह राय है कि मद्यनिषेध दूसरी पंचवर्षीय योजना का अभिन्न भाग समझा जाना चाहिये, और वह सिफारिश करती है कि राष्ट्रव्यापी मद्यनिषेध पूर्ण करने के लिये योजना आयोग द्वारा अंतिम तिथि निश्चित की जाये।"

मैं इस दृढ़ विश्वास के साथ यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि सुशील और स्वस्थ जनता ही कल्याण-राज्य की सर्वोत्तम नींव होती है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अगले दिन अपना भाषण जारी रखेंगे।

इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार, ३ मार्च १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, २ मार्च, १९५६]

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ५९३–९४

खाद्य और कृषि मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ २०४ (१)/५६–पी० वाई–२, दिनांक २१ फरवरी, १९५६ में प्रकाशित मनीपुर खाद्यान्न (यातायात) नियंत्रण आदेश, १९५६ की एक प्रति अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत सभा-पटल पर रखी गयी।

राज्य-सभा के संदेश ५९४

सचिव ने बताया कि राज्य-सभा से निम्नलिखित दो सन्देह प्राप्त हुये हैं :

(१) कि राज्य-सभा ने २८ फरवरी, १९५६ को अपनी बैठक में लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९५६ को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है जो कि लोक-सभा ने १८ फरवरी, १९५६ को पारित किया था; और

(२) कि राज्य-सभा ने २८ फरवरी, १९५६ को अपनी बैठक में विधि-जीवी परिषद् (राज्य विधियों का मान्यीकरण) विधेयक १९५६ में लोक-सभा द्वारा १८ फरवरी, १९५६ को किये गये संशोधन स्वीकार कर लिये हैं।

विधेयक पारित ५९४

विनियोग विधेयक पर विचार किया गया और उसे पारित कर दिया गया।

विधेयक विचाराधीन ५९५–६१२

जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक पर और आगे विचार किया गया। विचार समाप्त नहीं हुआ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत ... ६१२

पैंतालीसवां प्रतिवदन स्वीकार कर लिया गया है।

गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प वापिस ले लिया गया ६१३–३५

सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं की जांच के लिये समिति की नियुक्ति के बारे में श्री रघुवीर सहाय द्वारा रखे गये संकल्प और उससे सम्बन्धित संशोधनों पर और आगे चर्चा जारी रही। संकल्प और संशोधन सभा की अनुमति से वापस ले लिये गये।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प विचाराधीन ६३५

श्री सी० आर० नरसिंहन् ने मद्य निषेध के लिये तिथि निश्चित करने के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया।

शनिवार, ३ मार्च, १९५६ के लिये कार्यावलि––

जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक पर और आगे विचार और उसका पारण।

M86LSD—4-10-57—190—GIPF